

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2019—चैत्र 1, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2019

क्र. ई.-1-84-2019-5-एक.—श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल की सेवाएं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-5-620-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएस., प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

1907

क्र. ई-5-649-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव (कार्मिक), सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 13 से 18 फरवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-776-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे., सचिव, मुख्य मंत्री एवं कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन तथा मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 फरवरी 2019 द्वारा दिनांक 11 से 20 फरवरी 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 11 से 25 फरवरी 2019 तक, पन्द्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 14 फरवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-970-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गिरीश कुमार मिश्रा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को दिनांक 20 फरवरी से 8 मार्च 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी एवं 9, 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री गिरीश कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरीश कुमार मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1018-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री रानी बंसल, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास

को दिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 फरवरी एवं 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल, आयएएस अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2019

क्र. ई-1-233-2015-5-एक.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे., (1988) को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करता है।

क्र. ई-5-751-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पवन कुमार शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 5 मार्च से 12 अप्रैल 2019 तक, उन्तालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 03, 04 मार्च एवं 13, 14 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार शर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2019

क्र. ई-1-90-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता (2002), कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (DMI) भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.	संभागीय कमिश्नर
2	श्रीमती अरूणा गुप्ता (2004). प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.	संचालक, एम. पी. स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	—
4	श्री पार्थ जैसवाल (2015) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शुजालपुर, जिला शाजापुर.	अतिरिक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) श्री बाबूसिंह जामोद, भाप्रसे (2006) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (DMI), भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-91-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री दिनेश श्रीवास्तव (2010), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग
2	सुश्री संस्कृति जैन (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मऊगंज, जिला रीवा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

क्र. ई-1-93-2019-5-एक.— श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 एवं 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्र. ई-5-483-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को दिनांक 8 से 15 मार्च 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री के. के. सिंह, की अवकाश अवधि में वन विभाग का प्रभार श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश

शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार आयोग) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. सी. सेमवाल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-951-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को 5 से 8 मार्च 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 03, 04 एवं 09, 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019

क्र. ई-1-88-2019-5-एक.—श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे (2010), अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), चम्बल संभाग मुरैना पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-97-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अनुराग चौधरी (2010), कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी (2011), कलेक्टर, जिला कटनी.	कलेक्टर, जिला सिंगरौली	—
3	डॉ. पंकज जैन (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा.	कलेक्टर, जिला कटनी	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री अनुराग चौधरी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-98-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मोहम्मद सुलेमान (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग.	—
2	श्री एस. एन. मिश्रा (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	—
3	श्री मलय श्रीवास्तव (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह तथा परिवहन विभाग तथा जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
5	श्री सुखवीर सिंह (1997), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाँवर मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर.	—
6	डॉ. पवन कुमार शर्मा (1999), सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल.	आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	—
7	श्री निशांत वरवड़े (2003), मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.	सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल.	संभागीय कमिश्नर
8.	श्री शशिभूषण सिंह (2009), संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4) उपरोक्तानुसार श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) उपरोक्तानुसार श्री अनिरुद्ध मुकर्जी द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सत्यानंद, भावसे (1992), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) डॉ. पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(7) उपरोक्तानुसार श्री सुखवीर सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाँवर मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाँवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाँवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2019

क्र. ई-1-99-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री शोभित जैन, (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल
2	श्री जे. के. जैन (2001), कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

क्र. ई-1-101-2019-5-एक.—श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री अनिरुद्ध मुकर्जी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं आयुक्त विमानन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, विमानन विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क एवं आयुक्त, विमानन, केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं आयुक्त विमानन के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-102-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया (4)
1	श्री आशीष वशिष्ठ (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया.	अपर संचालक, संचालनालय कौशल विकास, जबलपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री पार्थ जैसवाल (2015) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शुजालपुर, जिला शाजापुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला खण्डवा (इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/90/2019/5/एक, दिनांक 27 फरवरी 2019 द्वारा अतिरिक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए).	—
3	श्री किरोड़ीलाल मीना (2016), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा, जिला टीकमगढ़.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीना. जिला सागर.	—

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-81-2019-5-एक, दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा श्री साकेत मालवीय, भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला पदस्थ किया गया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. ई-1-63-2019-5-एक.—श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे (1997), आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-103-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भरत यादव, (2008), कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री अनुराग चौधरी, (2010), कलेक्टर, जिला सिंगरौली.	कलेक्टर, जिला ग्वालियर (इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/97/2019/5/एक, दिनांक 2 मार्च 2019 द्वारा श्री अनुराग चौधरी को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल पदस्थ किया गया है, को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए).	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री भरत यादव, भाप्रसे (2008) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-104-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विनोद कुमार शर्मा (2003), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर	—
2	श्री सुरेश कुमार (2010), सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-5-105-2019-5-एक.—श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे (1989), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. ई-1-106-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री हरिसिंह मीणा, (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा.
2	श्री मयंक अग्रवाल (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा
3	श्री सतीश कुमार एस. (2013), आयुक्त, नगरपालिक निगम, रतलाम.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल एवं अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.
4	श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ (2014), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा

क्र. ई-5-562-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे (1989) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 7 से 8 मार्च 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-644-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं

24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएस., की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग एवं तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएस., को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय कुमार शुक्ल, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रमोद अग्रवाल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-793-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-925-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रोहित सिंह, आयएएस., अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 5 से 23 मार्च 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रोहित सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-940-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक राजधानी परियोजना भोपाल को दिनांक 25 फरवरी 9 मार्च 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं उप प्रशासक राजधानी परियोजना भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-971-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती हर्षिका सिंह, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 11 से 23 मार्च 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हर्षिका सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1091-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुजीबुर्हमान खान, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 11 से 15 मार्च 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 10 एवं 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुजीबुर्हमान खान, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मुजीबुर्हमान खान, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुजीबुर्हमान खान, आयएएस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019

क्र. ई-5-1025-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को दिनांक 12 से 22 नवम्बर 2018 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1049-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमर पाल सिंह, आयएस., तत्कालीन अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर (वर्तमान में कलेक्टर, जिला उमरिया) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2019

क्र. ई-5-986-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला-सिंगरौली को दिनांक 28 जनवरी से 8 फरवरी 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26, 27 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019

क्र. एफ-1(ए)212-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 जनवरी से 1 फरवरी 2019 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. एफ-1(ए)13-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री विवेक शर्मा, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर को दिनांक 4 से 12 फरवरी 2019 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)77-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. आशीष, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2018 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफावर्ड करते हुए) में लखनऊ (उ. प्र.) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1	डॉ. आशीष	—	स्वयं
2	श्रीमती संजू कुमारी	—	पति

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. आशीष, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. आशीष, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशीष, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2019

क्र. एफ-1(ए)-69-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 8 मार्च 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 03-04 मार्च 2019 व 09-10 मार्च 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री संजय तिवारी, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय तिवारी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 1259.—(प्रतीक्षा सूची क्र. 12), राज्य शासन श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अभ्यर्थी का गृह जिला फतेहाबाद (हरियाणा) है। उसकी जन्मतिथि 25 मार्च 1971 है।

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए)-2018-इक्कीस-ब(एक)2164.—(मेरिट क्र. 30), राज्य शासन, सुश्री श्रेया शर्मा पुत्री श्री ब्रजेश शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 07 अप्रैल 1994 है।

फा. क्र. 3(ए)-2018-इक्कीस-ब(एक)1276.—(मेरिट क्र. 05), राज्य शासन, सुश्री प्राची पाण्डेय पुत्री श्री दीपक कुमार पाण्डेय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 23 अप्रैल 1993 है।

फा. क्र. 1302-2019-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 1525-अ-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर की जाती है:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1. श्री प्रशांत कुमार, अधिवक्ता
2. श्रीमती मधुरिमा मृदुल, अधिवक्ता

3. सुश्री प्रगति नीखरा, अधिवक्ता
4. श्री सुनील फर्नांडिस
5. अवजीत सिंह

उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1. श्री विनीत मल्होत्रा, अधिवक्ता
2. सुश्री सुमन रानी, अधिवक्ता
3. श्री संजीव महाजन, अधिवक्ता
4. श्री कुबेर बौद्ध, अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

F.No. 1525-XXI-B(II)-2019.—The State Government is pleased to appoint Sh. Aditya Ranjan, Advocate Supreme Court, New Delhi, as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the State in the Supreme Court of India, other Courts, Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order. His appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1 (A)7/2005/XXI-B(II), Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)-Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-payment of Professional Services (003)-Fees to pleader.

F.No. 1525-XXI-B(II)-2019.—The State Government is pleased to appoint Sh. Deepakaran Dalal, Advocate Supreme Court, New Delhi, as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the State in the Supreme Court of India, other Courts, Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order. His appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1 (A)7/2005/XXI-B(II), Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)-Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-payment of Professional Services (003)-Fees to pleader.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

फा. क्र. 1481-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

1. श्री शिव चरण पाण्डेय, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल.
2. श्री रूपम वेदी, 22वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर.

फा. क्र. 1502-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सिवनी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी.
2	श्री लखनलाल गर्ग, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, डबरा जिला ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर.
3	श्री राकेश कुमार (गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, छतरपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर.
4	श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, जिला ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 1697-इक्कीस-ब(दो)2019.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

फा. क्र. 1699-इक्कीस-ब(दो).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री अमनीस कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

F. No.1699-XXI-B (2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Amnis Kumar Verma, Distict & Sessions Judge, Morena as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

फा. क्र. 1701-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन (1) श्री भरत सिंह यादव, ADJ, लवकुश नगर, जिला छतरपुर को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर, (2) श्री रईस खान, I-ADJ नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर एवं (3) श्री आनंद प्रिया राहुल I-ADJ अशोक नगर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

फा. क्र. 1701-30-(अ) इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. 1701-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 7 मार्च 2019 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के अधीन (1) श्री भारत सिंह रावत, ADJ, लवकुश नगर, जिला छतरपुर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर, (2) श्री रईस खान, I-ADJ नसरुल्लागंज, जिला सीहोर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर एवं (3) श्री आनंद प्रिय राहुल I-ADJ अशोक नगर को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

फा. क्र. 1730-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में श्री प्रवीण दुबे, अधिवक्ता को उप महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभार से

समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 1730-इक्कीस-ब (दो)2019.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त उप महाधिवक्ता श्री दीपक अवस्थी द्वारा प्रेषित त्यागपत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2018 को उक्त दिनांक से स्वीकृत कर कार्यमुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

फा. क्र. 4486-इक्कीस-ब (दो)2019.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2018 द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में स्थायी अधिवक्ता के रूप में श्रीमती चंचल शर्मा की, की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

फा. क्र. 4486-इक्कीस-ब (दो) 2019.—राज्य शासन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन के पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ता श्री आकाश चौधरी को स्थायी अधिवक्ता नियुक्त करता है। श्री आकाश चौधरी अधिवक्ता को रुपये 57,500/- (सत्तावन हजार पांच सौ रुपये) केवल मासिक पारिश्रमिक, वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय नियमानुसार देय होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 738-2019-5-एक, दिनांक 8 मार्च 2019 के परिपालन में श्री आकाश चौधरी, अधिवक्ता द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर उनके पारिश्रमिक एवं अन्य वास्तविक व्ययों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए)-2018-इक्कीस-ब(एक)1372.—(मेरिट क्र. 01), राज्य शासन श्री पंकज कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला आगर मालवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 02 सितम्बर 1981 है।

फा. क्र. 3(ए)-2018-इक्कीस-ब(एक)1384.—(मेरिट क्र. 11), राज्य शासन, सुश्री आयुषी गुप्ता पुत्री श्री सुनील कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 मार्च, 1995 है।

फा. क्र. 3(ए)-2018-इक्कीस-ब(एक)1535.—(मेरिट क्र. 16), राज्य शासन, सुश्री दिव्या गुप्ता पुत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 1991 है।

फा. क्र. 1519-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है:—

क्र.	नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (जूनियर) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.	सिविल जिला, टीकमगढ़ जिला एवं सत्र, न्यायाधीश, की हैसियत से श्री अरूण कुमार शर्मा के स्थान पर.
2.	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, (सीनियर), प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.	सिविल जिला, मुरैना, जिला एवं सत्र, न्यायाधीश, की हैसियत से श्री अमनीश कुमार वर्मा के स्थान पर.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1233.—(मेरिट क्र. 41), राज्य शासन, श्री कौस्तुभ खेड़ा पुत्र श्री अजय खेड़ा को मध्यप्रदेश

न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है। उसकी जन्मतिथि 23 अक्टूबर, 1988 है।

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1359.—(मेरिट क्र. 28), राज्य शासन, श्री दिलीप कुमार दुबे पुत्र श्री सुरेश कुमार दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 29 सितम्बर 1994 है।

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1365.—(मेरिट क्र. 49), राज्य शासन, सुश्री मिताली पाठक पुत्री श्री बृजेन्द्र कुमार पाठक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 जनवरी 1995 है।

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1366.—(मेरिट क्र. 46), राज्य शासन, सुश्री अनुभूति गुप्ता पुत्री स्व. श्री अश्वनी कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 जनवरी 1995 है।

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1375.—(मेरिट क्र. 22), राज्य शासन, सुश्री पलक श्रीवास्तव पुत्री श्री ब्रजमोहन लाल श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 दिसम्बर, 1993 है।

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1488.—(मेरिट क्र. 26), राज्य शासन, श्री देवांश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1993 है।

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2019

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1539.—(मेरिट क्र. 35), राज्य शासन, सुश्री सौम्या गौड़ पुत्री श्री सुदेश गौड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 31 मार्च 1992 है।

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)1545.—(मेरिट क्र. 06), राज्य शासन, सुश्री भारती केशरी पुत्री श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से

कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920— 40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1993 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

फा. क्र. 1615, 1545-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु श्री रोहित मिश्रा, अधिवक्ता ग्वालियर को रुपये 55,000/— (पचपन हजार) प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्ययों पर एक वर्ष की कालावधि के लिए विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है वे विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के प्रकरणों तथा उनके विरुद्ध संस्थित प्रकरणों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकरण में अन्य किसी भी पक्षकार की ओर से या उसके विरुद्ध पैरवी हेतु स्वतंत्र रहेंगे। श्री रोहित मिश्रा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना एवं लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2019

क्र. 1142-468-2019-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सागर	सागर	श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, JMFC
2	बुरहानपुर	बुरहानपुर	श्रीमती पुनम दमेचा, JMFC.

No. 1142-468-2019-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sagar	Sagar	Smt. Suchita Shrivastava, JMFC
2	Burhanpur	Burhanpur	Smt. Poonam Damecha, JMFC

क्र. 1146-485-2019-पचास-2—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को किशोर न्याय बोर्ड, रायसेन में श्री मोहम्मद अरशद, CJM की पदस्थापना संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी. उक्त अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक 1/127/III-6-4/72-IX, दिनांक 8 जनवरी 2019 के निर्देशानुसार निरस्त की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. एफ 4-3-2019-चौवन-2.—राज्य शासन द्वारा भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिले की मसाजिद कमेटी की कार्य नियमावली के नियम-3 एवं 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा उपर्युक्त जिलों के लिये मसाजिद कमेटी का दो वर्ष की अवधि हेतु गठन करता है :—

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अ. हफीज खान आत्मज स्व. लियाकत खॉन, नारियलखेड़ा अमरदीप स्कूल के पास, भोपाल. | — | चेयरमेन |
| 2. एस. एम. सलमान आत्मज सै. मो. सुलेमान, 4 एम. एस. काम्पलेक्स, मेडिसिन स्ट्रीट बाल विहार रोड, भोपाल. | — | सचिव |
| 3. आरिफ अजीज आत्मज रहमत अली, 20 घाटी भड़भूजा रोड, तलैया, भोपाल. | — | सदस्य |
| 4. अ. समद आत्मज कदीर, पल्टन कॉलोनी, सीहोर. | — | सदस्य |
| 5. मुस्तुफा अहमद सिद्दीकी आत्मज मुहीन उल्ला सिद्दीकी, वार्ड नं. 4, शरीफ कॉलोनी, रायसेन. | — | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस थेटे, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

क्र. एफ-11-13-2012-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-13-12-तीस, दिनांक 2 जनवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	भोपाल	हुजूर	ग्राम धरमपुरी	बारादरी छत्री	15	0.020 0.05	निजी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड काली परेड बैरसिया रोड.	नहीं
म. प्र.	भोपाल	हुजूर	ग्राम धरमपुरी	व्यू पाइंट	14/1	5.051 12.48	शासकीय बड़ा जंगल	नहीं

क्र. एफ-11-16-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल सीमांकन	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	रीवा	हुजूर	कोठी कम्पाउण्ड	अमरा कोठी	नवीनीकरण	446.5 वर्ग मी.	शासकीय	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पद्मरेखा ढोले, अवर सचिव.

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. एफ 7-9-2019-अड़सठ.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा, निवासी गोमट गिरी आश्रम इन्दौर को “माँ नर्मदा, माँ क्षिप्रा एवं माँ मंदाकिनी नदी न्यास” के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

क्र. एफ 7-55-2001-अड़सठ.—इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2017 एवं विभागीय आदेश दिनांक 7 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर महादेव अधिनियम, 1982 (क्रमांक 21 सन् 1983) धारा 6 के अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति में शासन द्वारा निम्नानुसार व्यक्तियों का नामनिर्दिष्ट करते हुए, आदेश दिनांक से आगामी आदेश के लिये अधिसूचित किया जाता है :-

(1) अधिनियम धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन—

1. श्री विजयशंकर शर्मा (विजय गुरु) पिता श्री शंकर महादेव लंगर, निवासी दत्त मंदिर के सामने, पटनी बाजार, उज्जैन.

(2) अधिनियम धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन—

1. श्री आशीष शर्मा पिता श्री सूर्य नारायण शर्मा, 16 आगरे का बाड़ा, बक्षी बाजार, उज्जैन.

2. श्री दीपक मित्तल पिता श्री विष्णुप्रसाद मित्तल, निवासी 44, जवाहर मार्ग, पटनी बाजार, उज्जैन.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2019

क्र. 2014-एफ-3-9-2019-तेरह.—विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र क्र. 12-2-2018-EV, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 के माध्यम से जारी “चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स: गाईडलाईन्स एण्ड स्टैंडर्ड्स” के प्रावधान अनुसार राज्य शासन एतद्वारा एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को राज्य में विद्युत् वाहनों के चार्जिंग हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु “राज्य नोडल एजेंसी” नामित करता है।

No. 2014-F-3-9-2019-XIII.—In accordance to the provisions of “Charging Infrastructure for Electric Vehicles—Guidelines and Standards”, circulated by Ministry of Power, Government of India vide letter No. 12/2/2018-EV, dated 14th December 2018, the Government of Madhya Pradesh hereby nominates M. P. Power Management Company Limited, Jabalpur as the “State Nodal Agency” for setting up the Charging Infrastructure for Electric Vehicles in the State.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, अपर मुख्य सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्र. एफ 2-11-2004-एस. एण्ड टी-इकतालीस.—डॉ. नवीन चन्द्रा, महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल द्वारा निजी कारणों से अपने पद से दिनांक 1 मार्च, 2019 को त्यागपत्र दिया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, डॉ. नवीन चन्द्रा के त्यागपत्र को दिनांक 1 मार्च, 2019 से स्वीकार करता है एवं महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद पर नई नियुक्ति होने तक डॉ. राजेश शर्मा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ महानिदेशक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद का चालू कार्यभार सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 31 जनवरी 2019

क्र.-93-त्याग पत्र-2019.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 40 की उपधारा (2) (एक) के अनुसरण में, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्रीमती रक्षा सिरौनिया, पार्षद, वार्ड क्रमांक 29, नगरपालिका परिषद, दतिया के विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने से श्रीमती रक्षा सिरौनिया द्वारा पार्षद पद से दिया गया त्याग-पत्र स्वीकार कर वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद का पद रिक्त घोषित किया जाता है।

Serial No. 93 Resignation letter-2019.—In accordance with Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37, 1961) sub-section 2(1) it is hereby notified that Mrs. Raksha Sironiya, Ward Member, Ward No. 29, Nagar Palika Parishad, Datia whose election as MLA from Bhandar Constituency in Legislative Assembly Election 2018 and consequent resignation from the post of ward Member has been accepted and hence the seat of ward member for ward No. 29 be declared unoccupied.

रामप्रताप सिंह जादौन, कलेक्टर.

कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं
वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

क्र. एफ-1-5-2018-रा.स.-यू.ए. 1-457.—महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 28 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, एतद्वारा, डॉ. पंकज लक्ष्मण जानी, कुलपति, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय,

अहमदाबाद (गुजरात) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलपति नियुक्त करती हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन (मध्यप्रदेश)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्र. एफ-1-2-19-रा.स.-यू.ए. 1-524.—यतः, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52(1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 1-03-2019-38-3 दिनांक 15 फरवरी 2019 जारी की है, जो कि दिनांक 15 फरवरी 2019 से प्रभावशील हो गई है।

2. अतः, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद्वारा डॉ. बालकृष्ण शर्मा, प्रोफेसर, संस्कृत एवं निदेशक, सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करती हूँ।

3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी।

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

**कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, जिला-मुरैना एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश
राजस्व विभाग**

प्र.क. 77-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-747-1

मुरैना, दिनांक 22 जनवरी, 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम-पावई तहसील - सबलगढ़ उपखण्ड-सबलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.605 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला मुरैना तहसील सबलगढ़ के ग्राम पावई में उक्त परियोजना के लिये 0.605 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :-

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	11	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	आनंदी बेबा काशीराम, शिवसिंह, नरोत्तम, पुत्रगण काशीराम समानभाग 3/4 कलावती बेबा भोगीराम हरीश चन्द्र पुत्र भोगीराम उर्मिला पुत्री भोगीराम समानभाग 1/4 जाति किरार नि. कीरतपुर
2	16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.072	ग्यासिया पुत्र सामन्त जाति किरार
3	17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.045	मु. सुमित्रा बेबा लालजीत, नकदू तेजसिंह, रामरतन पुत्रगण लालपति समान भाग 2/3 सोभा बेबा मुरली गंगा पुत्री मुरली भाग 1/3
4	18	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.121	पार्वती बेबा महाराज सिंह पुष्पराज, देवराज, देशराज पुत्रगण महाराज सिंह समानभाग 1/3 रामनाथ सिंह, जगदीश सिंह पुत्रगण मांगीलाल 2/3
5	41	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.051	पुरुषोत्तम मुंशीलाल दरोगा आ. लक्ष्मीनारायण समानभाग 1/2 रामसिंह रामस्वरूप पुत्रगण पुन्ना समानभाग 1/2 जाति बाढई
6	42	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.036	रामनाथ, जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिंह पुष्पराज देवराज, देशराज पुत्रगण महाराज सिंह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3 गूर्जर

7	44	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	भगवानलाल पुत्र भौरु भाग 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समानभाग 1/2 जाति किरार
8	45	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	मांगीलाल दत्तक पुत्र सूखा भाग 1/2 मथुरा प्रसाद आ. प्रभू रामकला चन्द्रकला पुत्रियाँ प्रभू समानभाग 3/8 जाति ब्रा. मु. कमलेश बेबा बृजेश कुमार, देवेन्द्र आकाश पुत्रगण बृजेश कुमार शशि, ज्योति पुत्रियाँ बृजेश कुमार समानभाग 1/8
9	46	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.02	मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया, कमला, विमला, ममता पुत्रिया मंगलिया समानभाग 2/3
10	47	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.011	रामनाथ, जगदीश, पुत्रगण मांगीलाल समानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिंह समानभाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
11	53	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	महेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण ब्रा०
12	56	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	मनोज कुमार ब्रा. पवनकुमार, हरिओम, नाबा. आ. शिवप्रसाद सर भाई मनोज कुमार खुद हेमलता पुत्री शिवप्रसाद नाबा. सर. भाई मनोज कुमार समानभाग 3/4 सावित्री पुत्री शिवलू भाग 1/4
13	58	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	हरिचरण पुत्र रामनारायण जाति ब्रा.
14	60	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	कम्मोदा बेबा तेसिह, महेश, लोखम, भूपसिह, छोटा, सनेही पुत्रगण तेसिह शीला पुत्री तेसिह समानभाग 1/3 बंसती बेबा मूलचन्द्र भौजा पुत्र मूलचन्द्र गुडडी सुरेखा पुत्रियाँ मूलचन्द्र समानभाग 1/3 इंदरबाई पुत्री भाईराम भाग 1/3
15	62	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.016	रामनाथ, जगदीश, पुत्रगण मांगीलाल समानभाग 2/9 पार्वती बेबा महाराज सिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराज सिंह समानभाग 1/9 दरभाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
16	63	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.022	मुनेश पुत्र मंगलिया, सामलिया भाग 1/3 भन्ती बेबा मंगलिया, कमला, विमला, ममता, पुत्रियान मंगलिया समानभाग 2/3 जाति काछी

17	64	भूमिस्वामी	कृषि	0.060	भगवान लाल पुत्र भौरु 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रिया रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार
कुल	17			0.605	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विषय :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क. अ-82-01-भू-अर्जन-जैतपुर नूराबाद-उ.म.रे.-2019-1701

मुरैना, दिनांक 12 फरवरी, 2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) क अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम- जैतपुर नूराबाद तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 07 रकबा 0.200 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- मुरैना के ग्राम- जैतपुर नूराबाद प0ह0नं0- 89, रा0नि0वृत्-08 में उक्त परियोजना के लिये 0.200 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

अनुसूची

नं. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	274/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.019	प्रीतम विशाल ऊंकार पि. गोपाल मु0 रेवती वेबा गोपाल समान भाग जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
2	274/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुन्शीसिंह रामप्रसाद रामेश्वर पिता होतमसिंह हि0 3/4 रामविलाश गव्वर राजेन्द्र वीरेन्द्र पिता रामअख्यार, मु0 विन्चो वेबा रामअख्यार सुनीता पुत्री रामअख्यार हि0 1/4 पता जैतपुर नूराबाद भूमिस्वामी।
3	274/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 राकेश बलवीर सिंह पुत्र भीखम सिंह हि0 1/2 स0 भा0 जाति गू0ठा0 पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
4	275/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	जानकी प्रसाद छोटेलाल जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
5	275/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	कन्हईया दशरथ साहवसिंह कदमा सरदार पुत्रगण होतमसिंह 5/6 कन्हई दशरथ साहवसिंह कदम सरदार सिंह पुत्रगण होतमसिंह शीला पुत्री होतमसिंह समान भाग हि.1/6 दर भाग 1/2 कन्हईया पुत्र होतमसिंह हि0 1/2 जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
6	275/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	हाकिम पुत्र गोधना रामबेटी शीला पुत्रिय गोधना समान भाग 1/2 नारायनसिंह बाबू पिता बन्शी भग्गो लाडो पुत्रीयान बन्शी 4/5 मु0 प्रेमा वेबा रमेश कल्लू पुत्र रमेश 1/5 दर हि0 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम
7	277	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	कुअरपाल,केशव,रामाचित्र,राजेन्द्र,आशाराम बलराम पिता प्रभू माया भूरी पुत्री प्रभू जाति बघेल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता	7			0.200	80

→ यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क. 63-अ-82-भू-अर्जन-मकुन्दा-उ.म.रे.-2017-18-1838

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी, 2019

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- मकुन्दा, तहसील- कैलारस, उपखण्ड-सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.002 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम- मकुन्दा, प.ह.नं. 49 रा.नि. वृत्त-02. में उक्त परियोजना के लिये 2.002 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.660	मन्दिर पुक्ता श्रीलक्ष्मीनारायण जी का मौजा जखोदा पर0 जौरा माफी देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना औकाफ डिपार्टमेन्ट मुरैना
2	3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.572	रामदीन पुत्र चिम्न जाति काछी पता निवासी ग्राम
3	4/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.098	रतीराम पुत्र कल्लू जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4	4/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि0 ग्राम भूमि स्वामी
5	4/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	दीपेश ना.बा. पुत्र सिरनाम निशा ना.बा. पुत्री सिरनाम सर नाना अमर सिंह पुत्र हरिविलाश जाति काछी निवासी ग्राम
6	4/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि0 ग्राम भूमि स्वामी
7	5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.612	कुअरपाल ज्ञानेश्वर सियाराम पुत्रगण गिरबर जाति त्यागी नि0 ग्राम स्यावटा भूमि स्वामी
कुल कित्ता	7			2.002	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क. 66-अ-82-भू-अर्जन-शेखपुर-उ.म.रे.-2017-18-1839

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी, 2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- शेखपुर, तहसील- कैलारस, उपखण्ड-सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.643 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम- शेखपुर, प0ह0नं0- 50, रा0नि0वृत्-02 में उक्त परियोजना के लिये 0.643 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	277/मिन-1/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.111	हरिशंकर पुत्र मावसिया जाति जाटव हि0 10/323, रघुवीर पुत्र राजाराम हि0 31/323, केदार पुत्र गुलाब हि0 42/323, वासुदेव पुत्र भगवानलाल हि0 240/323 जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	277/मिन-1/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामलखन पुत्र मल्थू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
3	277 मिन-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		नरेन्द्र कुमार राजकिशोर विवेक पुत्रगण अमर सिंह हि0 समान भाग जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
4	277 मिन-3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि0 26/51, टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 20/51, रघुवीर पुत्र राजाराम हि0 5/51 जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
5	278/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.086	हरीशंकर पुत्र भन्ताराम जाति ब्राह्मण पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
6	278/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
7	278/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
8	278/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रमेशचन्द पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
9	278/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसवन्त पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि0

					ग्राम भूमिस्वामी।
10	278/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुअरपाल पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	291/मिन-1/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
12	291/मिन-1/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		बादामी पत्नी अमर सिंह जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	291/मिन-1/ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		वासुदेव पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
14	291/मिन-1/घ	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	रामरूप, गनेश, मुरारी पुत्रगण पतिराम हि० 29/1886 जसवन्त बा० सुरेश नाबा० पुत्रगण पतिराम सर० भाई खुद फूलो पुत्री पतिराम हि० 256/1856 गौरीशंकर, शिवकुमार पुत्रगण मुरारीलाल हि० 317/1856 दुर्गाप्रसाद पुत्र लखपति सिंह हि० 304/1886 रामदीन पुत्र काशीराम हि० 360/1886 प्रदीप पुत्र कंदार सिंह हि० 303/1886 जाति त्यागी नि० ग्राम नारायणी पत्नी मुरारी लाल हि० 305/1886 जाति जाटव नि० गांधी कालोनी गोपालपुरा मुरैना, मुन्नालाल पुत्र रामगोपाल लौंगश्री मिथलेश पुत्रियां रामगोपाल हि० 3/4 विनोद पुत्र राजेन्द्र, रामवती, मनीषा पुत्रियां राजेन्द्र हि० 1/4 दर हि० 2/1886 जाति त्यागी बृजेश सन्तोष पुत्रगण रमेश बैकुण्ठी बेवा रमेश, मीना पुत्री रमेश हि० 10/1886 जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
15	291/मिन-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		महेश, रामनरेश बा० रामवीर धर्मवीर नाबा० पुत्रगण भोगीराम सर० महेश भाई खुद जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
16	293/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
17	293/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.113	दुर्गाप्रसाद जगदीश पुत्रगण लखपति सिंह हि० 6/34 नरेन्द्र अशोक कमलकिशोर दिनेश पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद हि० 28/34 कुल हि० 42/78 जाति त्यागी, रामप्रसाद पुत्र मूलाराम, श्रीपत पुत्र छोटे हि० 36/78 समान भाग जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
18	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	रूपा पुत्र पतिराम जाति त्यागी पता शेखपुर शासकीय पट्टेदार विक्रय से वर्जित
19	295/1/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.133	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता

					निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
20	295/1/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
21	295/1/ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		गिराज हरीशंकर मुकेश पुत्रगण भन्ताराम हि0 130/565 जाति ब्राह्मण हरीओम् नाबा0 पुत्र टीकाराम सर0 गिरवरलाल ताउ हि0 130/565 जाति त्यागी रामप्रसाद पुत्र मुलाराम श्रीपती पुत्र छौटे हि0 305/565 जाति कोली नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
22	295/2/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
23	295/2/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
24	296/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि0 3/32 टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 29/32 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
25	296/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		रघुनाथ पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
26	296/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		वासुदेव पुत्र भगवनलाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
27	296/4 क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
28	296/4 ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
29	296/4 ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	भोगीराम पुत्र भगवनलाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
30	296/5 क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मानिकराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
31	296/5 ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धनीराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
32	296/5 ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		विजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
33	296/6 क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
34	296/6 ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
कुल	34			0.643	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र. 80-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-बावडीपुरा-2467-2

मुरैना, दिनांक 05 मार्च, 2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- बावडीपुरा, तहसील व उपखण्ड-सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.504 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- बावडीपुरा प0ह0न0-05 रा0नि0वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 1.504 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	शिवसिंह राममुनेश दिनेश पुत्रगण करन कमला विमला ओमवती पुत्रीयां करन समान भाग जाति रावत पता नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।
2	798	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.037	करन परिमाल पुत्रगण मोतिलाल कलावती रामहेती कटोई रामरती पुत्रीयां मोतिलाल समान भाग 196/306 छोटी पुत्री झण्डू हि0 77/306 हरेत वकील पुत्रगण कन्हैया लीला मथुरा ल्होई हरेती पुत्रीयां कन्हैया समान भाग 7/8 राहुल नाबा0 पुत्र दिनेश भाग 1/8 दर भाग 33/306 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
3	806	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.116	रामहेती वेबा सुगन महीपति पुत्र सुगन भाग 1/7 पाँच्चा केदार नाबा0 पुत्रगण चैनसुख सर0 भाई सुगन सुमित्राबाई हटीलीबाई, उर्मिलाबाई कम्मोदाबाई नाबा0 पुत्रीयां चैनसुख सर0 भाई सुगन स0 भाग 6/7 जाति जाटव नि0 ग्राम शासकीय पट्टादार।
4	856	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.056	मु0 उर्मिला बेवा मुन्ना सोमवती नाबा0 पुत्री मुन्ना लोकेन्द संतोष नाबा0 पुत्रगण मुन्ना सर0 उर्मिला मां स्व0 समान भाग 1/3 रामवती उम्मेदी पुत्रीयां चन्दू जाति जाटव नि0 ग्राम 2/3 समान भाग शासकीय पट्टादार।

5	878	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.165	मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का बाके ग्राम कैमाराकला माफी औकाफ डिपार्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना, शासकीय पट्टेदार।
6	879	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.634	रामस्वरूप रमेश हरेत भागीरथ हेमराज मलिखान पुत्रगण गंगाधर रामपती बादामी लेखा पुत्रियां गंगाधर जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
7	880	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	तोता पुत्र चुन्नी जाति जाटव पता नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार।
8	881	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	कंचन वेवा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समान भाग जाति जाटव नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार।
9	882	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	कंचन वेवा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीयां रामू समान भाग जाति जाटव नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार।
10	884	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.133	अमृतलाल अनिलकुमार सुरेश पुत्रगण मुरारीलाल विमला पुत्री मुरारीलाल समान भाग जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	887	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.106	बैजन्ती पुत्री भूदरिया पत्नी रतनलाल जाति जाटव नि० शिवलाल का पुरा, शासकीय पट्टेदार।
कुल 11 सर्वे न० में				1.504	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क. 81-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-मानपुर-2467

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- मानपुर, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.020 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- मानपुर प0ह0न0-05 रा0नि0वृत्त-01 में उक्त परियोजना के लिये 2.020 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	240	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.584	मांगी पुत्र अंगद जनकबाई पुत्री अंगद जाति कडेरा पता नि0 ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार।
2	241	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.450	धम्पु पुत्र मंगलिया रामबाई पुत्री मंगलिया समान भाग 1/2 लीला बेवा रामचरण रामसिंह मोहरसिंह पुत्रगण रामचरण उर्मिला महेश्वरी पुत्रीयां रामचरण समान भाग 1/4 रमको वेवा बालू जगदीश प्रकाश रघुवीर पुत्रगण बालू लीला प्रेम अनीता पुत्रीयां बालू समान भाग 1/4 जाति कडेरा नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।
3	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.402	रामश्री वेवा मांगी शिवराज शिवदयाल पुत्रगण मांगी शकुन्तला ममता सुनीता पुत्रीयां मांगी जाति कडेरा पता नि0 ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार।
4	243	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.326	जगन्नाथ पुत्र परिमाल जाति रावत नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी।
5	390	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	रामनाथ दत्तक पुत्र हरीसिंह जाति रावत नि0 ग्राम भूमिस्वामी।

6	391	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	जगरूप पुत्र मिश्री जाति रावत नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
7	392	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	लाखन पुत्र मिश्री जाति रावत नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
8	393	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	श्रीपति पुत्र लक्खी जाति रावत नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
कुल 08 सर्वे नं0 में				2.020	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क. 82-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-बौलाज-2467-3

प्रारम्भिक अधिसूचना

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- बौलाज, तहसील व उपखण्ड- सबलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.887 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सबलगढ़ के ग्राम- बौलाज प0ह0न0-02 रा0नि0वृत्त-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.887 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	193	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.152	करनसिंह पुत्र गुलाब 83/114 विजयसिंह पुत्र करन हि0 31/114 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
2	194	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	नकटू पुत्र शिवलाल जाति काछी नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।
3	195	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	रामनाथ पाति पुत्र मुल्ला जाति रावत नि0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
4	197	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	मातादीन रामदास आ0 महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रीयां महीपति समान भाग 4/9 सुन्दरि पुत्री गोकुला भाग 1/9 मोतीलाल अग्रतलाल रामलखन रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई पुत्रीयां अंगद समान भाग 6/7 रामपती कमला बेवा लाखन देशराज मंघराज पुत्रगण लाखन समान भाग 1/7 दर भाग 1/9 काशीप्रसाद पुत्र हीरा सावित्री पुत्री हीरा समान भाग 1/3 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
5	199	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	मोहनलाल पुत्र मुल्ला जाति ब्राह्मण पता नि0 ग्राम कैमारकला भूमिस्वामी।
6	215	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	मु0 तोफी बेवा भारत जाति बंजारा नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार।

५५.

7	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.095	नारायणी पत्नी गोपाल हि० 25/135 नि० गोदोली रामजीलाल रामदयाल पुत्रगण रामचरनलाल समान हि० 42/135 मातादीन रामदास आ० महीपति सरूपी बाबूली मिथलेश पुत्रियां महीपति समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
8	222	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	मोतीलाल, अमृतलाल, रामलखन, रामरूप पुत्रगण अंगद मोतीबाई सुआबाई पुत्रियां अंगद भाग 6/7 मु० रामपती मु० कमला बेबा लाखन देशराज मेघराज नाबा० पुत्रगण लाखन सर० मां कमला स्वयं समान भाग 1/7 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
9	252	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.153	शाहबुद्दीन बा० वीरुद्दीन, गबरुद्दीन नाबा० पुत्रगण गुलाब सर० पिता खुद समान भाग 67/238 अलाबक्श बा. इन्साफअली रज्जाक असगर अली नाबा० आ बब्बूखा, सर पिता खुद समान भाग 66/238 शहजादखां मुनीमखां पुत्रगण सलीमखां समान भाग 13/238 जफरुद्दीनखां पुत्र सलीमखां भाग 22/238 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पवन पुत्र मुन्नालाल हि० 31/238 जाति रावत नि० पुराना जौरा तह. जौरा, मंगलिया पुत्र बुध्दा हि० 39/238 जाति गूजर निवासी ग्राम बालाकातोर।
10	253	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.166	रामजी पुत्र छीतरियां हि० 1/3 रामबाबू पुत्र गुलाब हि० 1/3 अमृतलाल पुत्र अंगद हि० 1/3 जाति रावत नि० मानपुर।
11	254/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.087	शोभा वेवा गुलाब खां वीरुद्दीन सयुद्दीन गवरुद्दीन पुत्रगण गुलाब खां बत्तो रस्सो पुत्रीयां गुलाब खां समान भाग 1/3 बब्बू खां सलीम खां पुत्रगण बशी खां समान भाग 2/3 जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल 11 सर्वे नं० में				0.887 है०	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में

सुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली प्ररियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश राजस्व विभाग

प्र.क. 39A 82-2018-19

सागर, दिनांक 14 फरवरी 2019

मौजा किरोला पटवारी हल्का नं. 010 तहसील बण्डा

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है; अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

अनुसूची

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| (1) | परियोजना का नाम :- | बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध |
| (2) | भूमि का विवरण :- | |
| | 1. जिला | सागर |
| | 2. तहसील | बण्डा |
| | 3. ग्राम | किरोला |
| | 4. पटवारी हल्का नं. | 10 |
| | 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 149.050 हेक्टेयर |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रभुदयाल पिता गोपी लाल पता निवास ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	0.340	0.340	
			9	0.560	0.560	
			17/1	0.410	0.410	
			18	1.790	1.790	
			35/2	0.200	0.200	
			77	1.520	1.520	
			91	0.830	0.830	
			176	0.050	0.050	
			259	0.060	0.060	
			281	1.400	1.400	
			320	0.040	0.040	
			349	0.070	0.070	

2	संतोषकुमार पिता प्रभुदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.070	0.070	
			4	0.100	0.100	
			7	0.140	0.140	
			12	0.240	0.240	
			13	0.270	0.270	
			17/2	0.270	0.270	
			20	0.350	0.350	
			21	0.170	0.170	
			97	0.820	0.820	
			121	0.370	0.370	
			177	0.100	0.100	
			206	0.090	0.090	
			313	0.060	0.060	
			319	0.040	0.040	
351	0.060	0.060				
3	रविशंकर पिता गोपीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	0.060	0.060	
			10	0.510	0.510	
			92	0.770	0.770	
			146	0.210	0.210	
			142	0.210	0.210	
			150	0.880	0.880	
			178	0.050	0.050	
			183	0.640	0.640	
			243	0.080	0.080	
			258	0.060	0.060	
			271	0.330	0.330	
			350	0.070	0.070	
352	0.050	0.050				
4	जयकुमार पिता प्रभुदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	0.170	0.170	
			8	0.170	0.170	
			14	0.250	0.250	
			16	0.400	0.400	
			22	0.150	0.150	
			24	0.170	0.170	
			78	0.770	0.770	
			90	0.810	0.810	
			94	0.020	0.020	
			102	0.050	0.050	
			103	0.100	0.100	
			122	0.680	0.680	
			123	0.350	0.350	

			134	0.690	0.690	
			168	0.070	0.070	
			170	0.100	0.100	
			214	0.050	0.050	
			260	0.160	0.160	
			322	0.070	0.070	
			353	0.260	0.260	
			361	0.100	0.100	
			366	0.180	0.180	
5	राधेश्याम पिता गोपीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.510	0.510	
			96	0.050	0.050	
			169	0.090	0.090	
			204	0.070	0.070	
			257	0.060	0.060	
			272	0.910	0.910	
			321	0.040	0.040	
6	अच्छेलाल पिता झलू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	0.400	0.400	
			37	0.400	0.400	
			136/2	0.250	0.250	
			182/1	0.490	0.490	
			181/2	0.150	0.150	
7	धनुवा पिता हल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/3	0.140	0.140	
			373/2	0.040	0.040	
8	लाखनसींग पिता मजबूतसींग कनई पिता मानसींग जगतसींग पिता भबूदसींग बड़ीबहू बेवा भबूदसींग पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	1.340	1.340	
9	परतापसींग वा. डेलनसींग ननेभाई ना. वा. पिता जाहरसींग वली मां मल्लो बाई बेवा जाहरसींग पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	1.090	1.090	
			64	0.300	0.300	
10	धनीराम बाबू जनक संतोष पिस. जगन्नाथ कुरुमरानी बेवा जगन्नाथ काछी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/1	1.300	1.300	
			35/1	0.400	0.400	
			193	0.400	0.400	
			236	0.060	0.060	
			241/402/2	0.070	0.070	
11	फूलसींग पिता कुंजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/2	0.060	0.060	

12	हरीसींग उर्फ कोमलसींग पिता धर्मराज पता निवासी बडलूमा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.880	0.880	
			29	0.590	0.590	
			30	1.910	1.910	
			75/1	0.400	0.400	
			120	4.980	4.980	
			195	0.200	0.200	
13	परतापसींग वा. डेलनसींग ननेभाई ना. वा. वल्द जाहरसींग वली मां मल्ली बाई बेवा जाहरसींग माधोप्रसाद छोटेभवानी पिस. अपरबलसींग करतार ऊदल जुगराज पिस. बीरसींग मंजलीबहू बेवा उत्तम कडोरी देवेन्द्र पिस. उत्तम पता सा बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	1.540	1.540	
			115	0.720	0.720	
14	बारीबहू बेवा चेतुवा दुरजन पिता पंचा मूलचंद बृजलाल धर्मराज पिस. मनुवा सुखरानी बेवा मनुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	1.650	1.650	
			328	0.060	0.060	
			329	0.050	0.050	
			331	0.070	0.070	
			332	0.030	0.030	
			334	0.050	0.050	
			356	0.040	0.040	
			357	0.040	0.040	
15	मनीराम राजू राजकिशोर पिस. सेवक शीलशानी बेवा सेवक विनिता सरोज पुत्री सेवकसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	0.520	0.520	
16	मनीराम राजू राजकिशोर पिता सेवकसींग शीलरानी बेवा सेवकसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.570	0.570	
			95	0.070	0.070	
			111	0.700	0.700	
			116	0.030	0.030	
			125	1.790	1.790	
			171	0.140	0.140	
			173	0.120	0.120	
			174	0.110	0.110	
			175	0.140	0.140	
			179	0.070	0.070	
			185	0.200	0.200	
			186	0.140	0.140	
			189	0.100	0.100	
			190	0.280	0.280	
191	0.040	0.040				
242	0.180	0.180				
245	0.040	0.040				

17	द्वारका ओंकार पिता झल्ला पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	0.770	0.770	
			180	0.140	0.140	
			192	0.290	0.290	
			211/396	0.050	0.050	
			216	0.110	0.110	
			225	0.010	0.010	
			374	0.260	0.260	
18	जगतसींग पिता राजाराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/1	0.300	0.300	
			55/1	0.920	0.920	
			138/1	1.470	1.470	
			140/1	0.090	0.090	
			253/1	0.360	0.360	
			252/2	0.160	0.160	
			254/1	0.520	0.520	
			262/1	0.130	0.130	
			269/1	0.220	0.220	
			274	0.470	0.470	
19	छोटेलाल पिता कल्याण पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/2	0.300	0.300	
			128/1	0.520	0.520	
			254/2	0.260	0.260	
20	कल्याण पिता तुलसीराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36/3	0.300	0.300	
			262/2	0.130	0.130	
			268	0.130	0.130	
			269/2	0.220	0.220	
			269/406	0.160	0.160	
21	तांती पिता लछुवा हल्कीबहू बेवा लछुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.210	0.210	
			144	0.210	0.210	
			151	0.630	0.630	
			156	0.470	0.470	
			247	0.020	0.020	
			325	0.020	0.020	
			371	0.030	0.030	
			378	0.050	0.050	
22	मिटठू गजू मिहीलाल अरजन पिस. हरगू चतराबाई बेवा हरगू गुडडीबाई पुत्री हरगू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39	0.210	0.210	
			84	0.410	0.410	
			153	0.750	0.750	
			154	0.310	0.310	
			246	0.020	0.020	
			304	0.030	0.030	
			324	0.040	0.040	
			372	0.040	0.040	
			376	0.050	0.050	

23	उमेदा प्रीतम करनजू पितादरौआ मंझलीबहू बेवा दरौवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40	0.210	0.210	
			79	0.410	0.410	
			152	0.640	0.640	
			155	0.470	0.470	
			248	0.030	0.030	
			323	0.020	0.020	
			370	0.030	0.030	
			377	0.050	0.050	
24	बदनसींग पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41	0.500	0.500	
			61	0.750	0.750	
			68	0.140	0.140	
			266	2.030	2.030	
			290	0.500	0.500	
			347	0.850	0.850	
25	देवीसींग पिता कल्ले कमलरानी बेवा कल्ले यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/1	0.100	0.100	
			49/1	0.030	0.030	
			50/2	0.260	0.260	
			51/1	0.080	0.080	
			119/3	0.510	0.510	
			160/1	0.070	0.070	
			163/1	0.020	0.020	
			215/1	0.020	0.020	
			219/3	0.020	0.020	
365/1	0.030	0.030				
26	भरत पिता मूरत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/2	0.090	0.090	
			279/2	0.200	0.200	
27	सुम्मी पिता पुनू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/3	0.090	0.090	
			49/3	0.030	0.030	
			50/3	0.260	0.260	
			51/3	0.080	0.080	
			119/2	0.520	0.520	
			160/3	0.070	0.070	
			162/2	0.010	0.010	
			215/3	0.010	0.010	
			219/1	0.030	0.030	
			279/3	0.200	0.200	
365/3	0.030	0.030				

28	काशीराम वा. लखन ना. वा. पिता भगवानदास गुलाबरानी बेवा भगवानदास मुन्नी भगोनावा. पु. भगवानदास वली खुद भूमि स्वामी मां काशीबाई बेवा भगवानदास अमरसींग पिता गोरेलाल महेश रमेश ना. वा. गुमानो वा. वमीना ना. वा. पिता हल्के भूमि स्वामी रूपसींग बाबूलाल ना. वा. पिता वली काशीराम पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44	1.530	1.530	
29	शोभाराम कटारे पिस. रामप्रसाद कली पुत्री रामप्रसाद बड़ीबहू बेवा रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.770	0.770	
			213	0.090	0.090	
			265	0.500	0.500	
			300/407	0.040	0.040	
30	माखन पिता कल्याण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/403	0.480	0.480	
			128/2	0.330	0.330	
			254/3	0.260	0.260	
31	कन्छेदी पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.530	0.530	
			74	0.650	0.650	
			283	0.200	0.200	
			285	0.100	0.100	
			345	0.450	0.450	
32	भरत पिता मूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47	0.520	0.520	
			73	0.950	0.950	
			286	0.070	0.070	
			346	0.390	0.390	
			288	0.200	0.200	
33	वीरसींग पिता मूरतसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.420	0.420	
			62	0.350	0.350	
			69	0.370	0.370	
			273	0.580	0.580	
			275	0.400	0.400	
			287	0.060	0.060	
			289	0.450	0.450	
34	संतोष पिता हरीसींग गोविंदसिंह ना. वा. वलद रामसींग पिता सूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49/2	0.030	0.030	
			50/1	0.270	0.270	
35	टीकाराम पिता पुनू यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51/2	0.070	0.070	
36	टीकाराम पिता दामोदर अहिरवार पता सा मकरोनिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52	0.250	0.250	
			65	0.100	0.100	
			66	0.210	0.210	
			75/2	1.440	1.440	

37	भजन पिता भगवानदास संजू ना. वा. पिता बलराम बड़ी बिन्ना हल्कीबिन्ना ना. वा. पि. बलराम पा. व खुद मां कृष्णाबाई बेवा बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/1	0.680	0.680	
38	सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार जैन पता सा बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54/2	0.330	0.330	
39	रानी जैन पत्नि सुनील कुमार जैन पता सा चन्द्रशेखर वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/2	0.460	0.460	
			128/3	0.040	0.040	
			138/2	0.260	0.260	
			140/2	0.050	0.050	
			253/2	0.260	0.260	
40	राजकुमार कुलदीप पिस. लखन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/3	0.460	0.460	
			128/4	0.050	0.050	
			138/3	0.270	0.270	
			140/3	0.040	0.040	
			226/400/6	0.040	0.040	
			252/1	0.170	0.170	
41	हरीसींग पिता सूरतसींग लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56	0.580	0.580	
			130	0.980	0.980	
			255	0.370	0.370	
			316	0.070	0.070	
			339	0.060	0.060	
42	मानसींग परम नंदराम पिस. रामसींग गोविन्द ना. वा. पिता रामसींग तारा वेवा रामसींगरामसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	0.530	0.530	
			58/409	0.040	0.040	
			131	1.000	1.000	
			256	0.340	0.340	
			315	0.070	0.070	
			338	0.070	0.070	
43	कच्छेदी भरत बीरसींग बदनसींग पिस. मूरतसींग सबरानी बेवा मूरतसींग शांती पुत्री मूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59	0.270	0.270	
			217	0.180	0.180	
			220	0.080	0.080	
			276	1.140	1.140	
			278	0.460	0.460	
			291	1.470	1.470	
			300	0.090	0.090	
			348	0.800	0.800	
			363	0.050	0.050	
383	6.620	6.620				

44	नंदू पिता भदई पचोबाई पुत्री भदई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	0.440	0.440	
			340	0.100	0.100	
			367	0.130	0.130	
45	हरीराम पिता काशीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70	0.440	0.440	
			298/1	0.160	0.160	
46	शोभाराम कटारे पिस. रामप्रसाद कल्लो पुत्री रामप्रसाद बडी बहू वेवा रामप्रसाद हरीराम मर्न पि. काशीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/1	0.120	0.120	
			282/1	0.300	0.300	
47	कटारे पिता रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/2	0.030	0.030	
			107/404	0.300	0.300	
			113	0.660	0.660	
			218/2	0.010	0.010	
			282/2	0.100	0.100	
			342/2	0.010	0.010	
			343/1	0.020	0.020	
364/1	0.010	0.010				
48	मेंदाबाई कल्लूरो बाई पुत्री रल्ली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/1	0.400	0.400	
49	उमेंदा प्रीतम करन पिस. दरऊ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/2	0.390	0.390	
50	घसिया पिता फुल्ला पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/1	0.480	0.480	
51	हरप्रसाद पि. घसिया अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/2	0.200	0.200	
52	लोटन पिता भबूदसींग पता सा बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80	0.100	0.100	
			81	0.120	0.120	
			82	0.120	0.120	
			85	0.150	0.150	
53	कन्छेदी दयाराम नंदलाल धनप्रसाद पिता पल्लुवा बती विमला पुत्री पल्लुवा पता सा बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	0.120	0.120	
54	गजराज सींग पिता कमोदी अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/398	0.340	0.340	

55	बल्दू बाबूलाल सीताराम काशीराम कोमल पिस. झुन्डा मोहनबाई तारा पुत्री झुन्डा पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.250	0.250	
56	संतोष पिता फुल्ला रूक्का देवा फुल्ला जानकीबाई प्रेमबाई बबीता पुत्री फुल्ला पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87	0.210	0.210	
57	संतोष पिता फुल्ला पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88	0.210	0.210	
58	पूरनलाल पिता प्यारेलाल पता सा बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	0.740	0.740	
59	शंकर पिता कुदू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93	0.460	0.460	
			98	0.660	0.660	
			112	1.090	1.090	
			165	0.140	0.140	
			222	0.110	0.110	
			235	0.300	0.300	
			237	0.040	0.040	
60	श्रीदेव महावीर जी स्वामीबां के मोजा देह प्रबंधक श्रीमान् कले. महो. सागर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100	0.480	0.480	
			261	0.590	0.590	
61	भागीरथ पिता कुंजी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	106	0.600	0.600	
			187	0.190	0.190	
			188	0.130	0.130	
			211/394	0.070	0.070	
62	मरदन पिता काशीराम यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107	0.310	0.310	
			264	0.100	0.100	
			265/405	0.390	0.390	
63	गिरधारी पिता लछमन मलीदाबाई दे. कन्छेदी पता सा कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108/1	0.690	0.690	
			108/2	0.230	0.230	
64	मुन्ना करन गिरधारी आशा बृजेश राजेश पिता भूरे मीरा पार्वती रतिबाई पुत्री भूरे पता निवासी ग्राम बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/1	0.710	0.710	

65	दामोदर उमराव नोनेलाल धनीराम धन्नु दुर्जन पिता ननुवा भागवती मिन्दो पुत्री ननुवा पूरनलाल आलम पिता थुव्वा ललता पुत्री थुव्वा नवल पिता सुनू कछेदी दयाराम नंदलाल धनप्रसाद पिता पल्दू कोशबाई बेवा ननुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/2	0.180	0.180	
66	धनाबाई जोजे शिवलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114/1	0.200	0.200	
67	नीमाबाई पति नोनेलाल अहिरवार पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117	0.650	0.650	
68	द्वारका पिता जगन्नाथ ब्रा. पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118	1.120	1.120	
69	टीकाराम वल्द पुनू यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/1	0.520	0.520	
			160/2	0.070	0.070	
			162/1	0.010	0.010	
			163/2	0.010	0.010	
			215/2	0.020	0.020	
			219/2	0.020	0.020	
365/2	0.020	0.020				
70	नीमाबाई पति नोनेलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124	0.650	0.650	
71	मिहीलाल पिता हीरालाल बंदीप्रसाद पिता बलीराम शांति पुत्री बलीराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126	1.550	1.550	
			127	1.620	1.620	
			129	1.210	1.210	
			238	0.040	0.040	
72	धनुवा पिता हल्कू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/1	0.220	0.220	
			293	0.880	0.880	
			333/1	0.020	0.020	
73	प्रभुदयाल पिता गोपीलाल श्रीवास्तव पता निवास ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132/2	0.220	0.220	

74	छिम्मे शिवलाल रधीर गोकल पिता गनेश पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133/1	0.230	0.230	
			294/1	0.160	0.160	
			294/2	0.160	0.160	
			295/1	0.150	0.150	
			295/2	0.150	0.150	
			296	0.590	0.590	
			297	0.580	0.580	
			317	0.020	0.020	
			333/2	0.020	0.020	
			336	0.040	0.040	
373/3	0.030	0.030				
75	खलकसींग पि. प्यारेलाल कोशाबाई वे. प्यारेलाल कमल नावा. पि. मोती पालक व खुद नौ अनीता वे. मोती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133/2	0.220	0.220	
			135	0.450	0.450	
			251	0.030	0.030	
			305	0.030	0.030	
			335	0.020	0.020	
			373/1	0.060	0.060	
76	कल्पना पिता प्रभुदयाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	137	1.500	1.500	
77	जगन शिवप्रसाद पिता भैयालाल रामचरण पिता नंदा किशोर घनश्याम पिता लछमन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/1	0.310	0.310	
			159/1	0.030	0.030	
			311/1	0.070	0.070	
			312/1	0.080	0.080	
78	प्रेगबर्ह पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141/2	0.150	0.150	
			158/2	0.350	0.350	
			159/2	0.020	0.020	
			311/2	0.030	0.030	
			312/2	0.040	0.040	
79	मिट्टू गजू मिहीलाल अरजन पिस.हरजू गुडडी पुत्री हरजूउमेदा प्रीतम करनजू रामू पिता दरौआनंती गोधी पुत्री दरोगा भूमि स्वामी मंजलीबहू बेवादरौआ तांती पिता लछुवा हल्की बहु बेवा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	145/1	0.010	0.010	
			380/1	0.030	0.030	
			384/1	0.110	0.110	

80	बाबूलाल पिता भागीरथ खलकसिंह पिता प्यारेलाल कोशाबाई बेवा प्यारेलाल जुगताबाई बेवा भागीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	145/2	0.010	0.010	
81	गौरव अंकित ना.वा. वल्द वली मनीराम पिता भगवानदास नीरज संदीप ना.वा.बल्द वली दयाराम पिता भगवानदास अशोक पिता भगवानदास पता सा.पथरिया जाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148	1.990	1.990	
82	बाबूलाल पिता भागीरथ कमला बाई पुत्री भागीरथ जुगताबाई बेवा भागीरथ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	157	0.640	0.640	
			161	0.080	0.080	
			292	0.610	0.610	
83	रामचरण पिता नंदकिशोर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/1	0.350	0.350	
84	रामदयाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	181/1	0.150	0.150	
85	उत्तम पिता मिठुवा सुमित्रा व्वा मिठुवा पता नि.कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	196	0.030	0.030	
			197	1.040	1.040	
86	तुलसाबाई पति हरीराम पता सा.कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198/1/1	0.240	0.240	
87	अशोक पिता भगवानदास प्रजापति पता निवासी पथरिया जाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198/1/2	0.200	0.200	
88	पयागबाई पति रल्ली पता निवासी कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198/2	0.320	0.320	
89	हरीराम मुरलीधर रल्ली मोहन शरन पिस. बाला कल्लो मूंगा पुत्री वाला पता नि.कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/1	1.360	1.360	
90	राजेन्द्र वचकैया पिता प्रेमनारायण वचकैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199/2	0.280	0.280	
91	चेनसीग गौरी भोपाल रामगोपाल पिस, रामप्रसाद मीराबाई राजबाई पुत्री रामप्रसाद अवधरानी वेवा रामप्रसाद पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209/399	0.060	0.060	

92	रतन बट्टी लीलाधर पिता सुक्के रुकमनबाई गुडडीबाई पुत्री सुक्के बृजरानी वेवा सुक्के पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211/395	0.060	0.060	
93	मथुरा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/1	0.100	0.100	
			342/1	0.120	0.120	
			343/2	0.180	0.180	
			364/2	0.040	0.040	
94	जीराम पिता रघुनाथ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	221	0.040	0.040	
95	महीप ना.वा. वल्द वलीझलकन पिता दुर्जन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	249	0.050	0.050	
			250	0.020	0.020	
96	गब्बर पिता हरीराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267	0.420	0.420	
97	बलराम पिता नथुवा उर्फ नथू पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270/1	0.350	0.350	
98	सुशीला पति राजेन्द्र यादव पता निवासी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270/2	0.360	0.360	
			270/3	0.360	0.360	
99	उदयभान पिता नथुवा उर्फ नथू पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270/4	0.350	0.350	
100	नंतीबाई बेबा नथुवा उर्फ नथू पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270/5	0.030	0.030	
101	प्रहलाद कच्छेदी राजेशपिता हरीराम पता नि. विलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	277	0.500	0.500	
102	रामदास पिता बाबूलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	280	0.410	0.410	
103	बादलसीग पिता हरीराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298/2	0.100	0.100	
			299	0.300	0.300	
104	राजा पिता हरीराम यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298/3	0.400	0.400	
105	नंनेभाई पिता पचुवा परगुवावारी बेवा पचुवा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	340/397	0.040	0.040	
			369	0.090	0.090	

106	मोहन दयाराम रामप्रसाद घनश्याम रामकिशन पिस.उदेत पूरनपिता पिहरिया पारगुवारी बेवा बिहरिया अजुध्दी पितारामलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	341	0.060	0.060	
			354	0.160	0.160	
			379	0.280	0.280	
107	रामचरण पिता भुजबल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	355	0.150	0.150	
108	बाबूलाल पिता भागीरथ जुगताबाई बेवा भागीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	380/2	0.030	0.030	
			384/2	0.120	0.120	
109	खलकसिंह पिता प्यारेलाल कोशाबाई बेवा प्यारेलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	380/3	0.040	0.040	
			384/3	0.120	0.120	
110	गोकल पिता गनेश पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/1	0.400	0.400	
111	शिवलाल पिता रमेश गैदरानीपति शिवलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/2	0.400	0.400	
112	ननेभाई पिता पंचू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/3	0.400	0.400	
113	रंजीत पिता बबू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/4	0.400	0.400	
114	नंदू पिता गदई झुनारीपति नंदू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/5	0.400	0.400	
115	ननेभाई पिता पंचू पारगुवाबारी उर्फ बृजरानी बेवा पंचू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/6	0.400	0.400	
116	रमेश पिता सदर जिलोनीननीबाई पति रमेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/7	0.400	0.400	
117	प्रीतम पिता दरई अशोक रानीपति प्रीतम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/8	0.400	0.400	
118	सेवक पिता काशीराम गजरानीपति सेवक पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/9	0.400	0.400	
119	गरीबे पिता धनू संतोषबाईपति गरीबे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/10	0.400	0.400	
120	रंधीर पिता गनेश अनंतरानीपति रंधीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/11	0.400	0.400	

121	उमेदा पिता दरऊ मीनारानीपति उमेदा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/12	0.300	0.300	
122	गज्जू पिता हरजू आशारानी पति गज्जू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/13	0.300	0.300	
123	मोहन पिता बारेप्रसाद अहिरवार पता निवासी कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	390/408	0.320	0.320	
124	रामकृपाल तनय कन्हेदीलाल यादव पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	393	1.560	1.560	
कुल :-			425	149.050	149.050	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 64 अ 82-17-18-1345

सागर, दिनांक 02 मार्च, 2019
मौजा परासरी खुर्द पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ़

:: अधिसूचना ::

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-65अ/82/17-18 में बीना परियोजनांतर्गत मडिया बांध निर्माण हेतु मौजा परासरी खुर्द पटवारी हल्का नंबर-10 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 01/02/2018 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 31/01/2019 को पूर्ण हो चुकी है। बांध निर्माण में ग्रामीणों के विरोध एवं उक्तावधि में विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा का प्रकाशन नहीं किया जा सका है किन्तु धारा 19(7) के परंतु अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

प्र.क. 51 अ 82-18-19-1346

मौजा सागौनी खुर्द पटवारी हल्का नं. 162 तहसील जैसीनगर जिला सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कालीपठार जलाशय योजना की नहर में प्रभावित क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

1. परियोजना का नाम : कालीपठार जलाशय योजना
2. भूमि का विवरण
3. जिला : सागर
4. तहसील : जैसीनगर
5. ग्राम : सागौनी खुर्द
6. पट.ह.नं.- : 162
7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.72 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अमिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	शोभाराम पि.कुन्जी प्रेमरानी बे.कुन्जी दशरथ पि.दशरथ पि. टीकाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	128	1.24	0.05	
2	संतोषसींग पि.घुमनसींग रामरानी पत्नि घुमनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	130	1.20	0.15	
3	सुरेश पिता घुमन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	130/2	0.27		
4	पप्पू पि.घुमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	130/3	0.27		
5	मुकेश बल्द घुमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	130/4	0.27		
6	रामप्रसाद पिता भोगीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/1	0.49	0.07	
7	मुन्शी वल्द बालमकुन्द पता सा.देहउ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143/1	1.59	0.17	
8	राधिकारानी बेबा महेन्द्र अरविंद रिचन्द्र पिस0महेन्द्र बर्षा सीमा पु0 महेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143/2	1.59		
9	बलराम नथु हल्के प्रेम कमला अशोक बट्टी मुन्ना गोमा पि.भगोला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	145	0.43	0.01	
10	छत्तरसींग उर्फ रूपसींग पि.भैरोप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	159	1.52	0.1	
11	करनसींग सटरू पिता हरप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	160	1.64	0.02	
12	कछेदी शिवराज संतोष पि0प्रीतमसींग सुहागरानी बेवा प्रीतमसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	216	0.31	0.02	
13	राधेश्याम बल्द काशीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	217/1	1.00	0.10	
14	राधेश्याम बल्द काशीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	217/2	0.89		
15	रतीराम पिता हरप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/1	0.34	0.16	

16	रामकेश बल्द महेन्द्र पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/2	0.33		
17	सोन्नू वा0 मनीराम ना.वा.बल्द लीलाधर बली व खुद माँ मोतीबाई बेवा लीलाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/3	0.05		
18	राकेश पि.महेन्द्र सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221	0.40	0.03	
19	तुलसीराम दिनेश पिस.मंगल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	222	0.65	0.03	
20	दिनेश पि.मंगलसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	223	0.60	0.14	
21	प्रेम पिता घासी रामस्वरूप पिता लोकमन आशारानी बेवा लोकमन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	225	2.02	0.27	
22	कैशाराम गजराज रमरतन पिता भगुन्त लालसींग पिता रतन रामकुंवर बेवा रतन जयराम प्रभू पिता रतन माया कृष्णा पु0 रतन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	229	2.32	0.17	
23	वलीराम पि.तखतसींग गुवरधन पि.भावसींग थानसींग पि.कनई मालती श्रीबाई पुत्री कनई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231	1.79	0.13	
24	संतोषरानी पत्नि भगवान सिंह पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/2	0.17		
25	रविकान्त उमाकान्त पिता गोकल ज्ञानबाई सियाबाई मुन्नीबाई सविताबाई अनीता पुत्री गोकल पता सा.हनौता सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	232/2	1.59	0.10	
कुल -किता			25	22.97	1.72	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क. 50-अ-82-17-18-1347

सागर, दिनांक 03 मार्च, 2019

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग सभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को चितौरा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकोहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : पिपरिया जसराज जलाशय परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : चितौरा
 4. पट.ह.नं.- : 56
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 16.11 है.

:: अनुसूची-1 ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे.में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	रमेश वलद धीरा लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	642	1.30	1.00	
2	मदनसिंह वलद रमेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	657/1	0.35	0.36	
3	रमेश वलद धीरा लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	657/2	0.20		
4	राजकुमार कोमल पिस गोरेलाल गोमतीबाई बेवा गोरेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	658	0.56	0.56	
5	राजकुमार कोमल पिस गोरेलाल गोमतीबाई बेवा गोरेलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	659	0.55	0.55	
6	मदनसिंह वलद रमेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	660/1	0.44	0.44	
7	मदनसिंह वलद रमेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	660/2	0.40	0.40	
8	भागवाई बेवा प्यारेलाल रामेश्वर हनमतसींग दीपसींग रघुराज रामदयाल प्रेमसींग पिस.प्यारेलाल लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	661	0.13	0.13	
9	बाबूलाल पिता प्यारेलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	662/1	0.95	0.95	
10	प्रेमलाल बालमुकुन्द पिता किशुन अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.20	भूमिस्वामी	662/2	0.40	0.40	
11	रामा रमेश जगदीश पि. महगू साहू गुडडी श्यामबाई शीला पुत्री गंधू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	663	1.32	1.32	
12	किसुन वलद प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	664	1.27	1.27	
13	बबू वलद रघुनाथ लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	666/1	1.90	0.80	
14	रामराज वलद बबू लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	666/2	0.25		

15	रामचरन बल्द धीरा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	667	1.06	0.66	
16	श्रीसींग बल्द धीरज सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	668	1.21	0.73	
17	विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	669/1	0.20	0.20	
18	गोपेश्वर बल्द नाथूराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	669/2	0.10	0.10	
19	विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	669/3	0.40	0.40	
20	विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	669/4	0.20	0.20	
21	दयाराम पि० लक्ष्मन रजक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	670/1	1.00	1.00	
22	बालमुकुन्द पिता लक्ष्मन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	670/2	0.29	0.29	
23	कपूरी पत्नि किशुन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	672	0.35	0.35	
24	गोपेश्वर बल्द नाथूराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	673/1	0.85		
25	लक्ष्मीबाई पत्नि श्रीसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	673/2	0.40		
26	शंकरलाल बल्द शोभाराम यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	673/3	0.40	1.35	
27	दीपक नावा.बल्द वली परसोत्तम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	673/4	0.20		
28	गोपेश्वर बल्द नाथूराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	673/5	0.20		
29	विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/1	0.39		
30	शंकरलाल बल्द शोभाराम यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/2	0.20		
31	शंकरलाल बल्द शोभाराम यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/3	0.11	0.50	
32	विजेन्द्र सींग पिता साहबसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	674/4	0.20		
33	प्रसान्त नावा.बल्द व वलीराकेश कुमार दीपक उर्फ वैभव नावा.बल्द व वली बीरेन्द्र कुमार जैन पता सा.देह भूमि	भूमिस्वामी	676/1	4.35		
34	प्रभा बाई पत्नि लखनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	676/2	0.80	1.89	
35	प्रभा बाई पत्नि लखनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	676/3	0.40		
36	भागचंद बल्द हजारीलाल रमेश रिशम राजेन्द्र राकेश अशोक वीरेन्द्र पिस भागचंद पुष्पा मीना पुत्री भागचंद जैन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677	1.07	0.10	
37	गर्धव पिता अनंतरामकाशीबाई बेबा अनंतराम लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	682	0.48	0.16	
	योग:-			24.88	16.11	


राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



प्र.क्र. 52 अ-82-18-19-1348

मौजा काली पठार पटवारी हल्का नं. 162 तहसील जैसीनगर जिला सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को काली पठार जलाशय योजना की नहर में प्रभावित क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. परियोजना का नाम | : | काली पठार जलाशय योजना |
| 2. भूमि का विवरण | : | |
| 3. जिला | : | सागर |
| 4. तहसील | : | जैसीनगर |
| 5. ग्राम | : | काली पठार |
| 6. पट.ह.नं.- | : | 162 |
| 7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 1.40 हे. |

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	नदकिशोर पिता.वलीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	120	1.77	0.06	
2	गजराज प्रेमनारायण नदकिशोर पिस.वलीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/1	2.72	0.60	
3	रघुवीर सिंह पिता बलराम पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/2	1.64		
4	हीरालाल बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/3	1.54		
5	गजराज प्रेमनारायण नदकिशोर पिस.वलीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/4	2.00		
6	भगवानसींग बल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/5	1.00		
7	हीरालाल बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/6	1.00		
8	गजराज प्रेमनारायण नदकिशोर पिस.वलीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/7	0.75		
9	रघुवीर सिंह पिता बलराम पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/8	0.54		
10	हीरालाल बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	119/9	0.50		
11	मदन गोविंद हिरदेश पि.गुपाल सुहागरानी बेवा गुपाल काशीबाई पुत्री जुगलकिशोर जमना श्रीराम पि.टीकारामलालसींग किशनसींग शेरसींग भूमि स्वामी रामसेवक गंगाराम नावा.पि.हरीनारायण ताराबाई मालती बाई विशालबाई नावा.पि.हरीनारायण वली व खुद मां अवध भूमि स्वामी रानी बे. हरीनारायण छिमाधरनन्ने पि.उदयाजीत जगरानी बे.उदयाजीत पता सा.देह भूमि स्वामी सुखनंदन वा.करनसींग ना.वा.पि.पुन्नी महताप लक्ष्मण पि. परसादी काशीराम पि.सूरतसीगरामवती वा पारवती छोटीबाई भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनपि.कमल उमलेश पि.लालसींग हिस्सा 0.14 है. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनरामनाथ पि. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी रानी बे.हरीनारायण छिमाधरनन्ने पि.उदयाजीत जगरानी बे.उदयाजीत पता सा.देह भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनरामनाथ पि.मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86/1	0.18		0.04
12	बृजमोहन बल्द धीरजसींग गेदारानी बेवा धीरजसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86/2	0.06	1	

13	तुलाराम वल्द नारायण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	84/1	3.24	0.16
14	राजकुमार वल्द नारायण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	84/2	1.20	
15	नारायण पिता प्यारे लाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	84/3	0.84	
16	शशि पत्नि राजकुमार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	84/4	0.40	
17	सीताराम पिता हल्कू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/1	0.65	0.19
18	कमलसींग पिता लालसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/2	0.20	
19	जगदीश पिता रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/3	0.92	
20	रामसहाय पिता सीताराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/4	0.20	
21	द्वारका प्रसाद पिता सीताराम यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/5	0.14	
22	गुडडी बाई पति रामसेवक पता सा. महुआखेडा गोडी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/6	0.34	
23	जगदीश पिता रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85/7	0.20	
24	हीरालाल वल्द घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	80/1	0.14	0.01
25	रघुवीर सिंह पिता बलराम पता सा. बेरखेरी सुवैश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	80/2	0.14	
26	माखन सींग पिता मान सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81/1	0.43	0.10
27	रामप्रसाद वल्द मानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81/2	0.42	
28	हीरालाल वल्द घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	79	0.60	0.02
29	मदन गौविंद हिरदेश पि.गुपाल सुहागरानी बेवा गुपाल काशीबाई पुत्री जुगलकिशोर जमना श्रीराम पि.टीकारामलालसींग किशनसींग शेरसींग भूमि स्वामी रामसेवक गंगाराम नावा.पि.हरीनारायण ताराबाई मालती बाई विशालबाई नावा.पि.हरीनारायण वली व खुद मां अवध भूमि स्वामी रानी बे. हरीनारायण छिमाधरनन्ने पि.उदयाजीत जगरानी बे.उदयाजीत पता सा.देह भूमि स्वामी सुखनंदन वा.करनसींग ना.वा.पि.पुन्नी महताप लक्ष्मण पि. परसादी काशीराम पि.सूरतसीगरामवती वा पारवती छोटीबाई भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनपि.कमल उमलेश पि.लालसींग हिस्सा 0.14 है. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनरामनाथ पि. मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी रानी बे.हरीनारायण छिमाधरनन्ने पि.उदयाजीत जगरानी बे.उदयाजीत पता सा.देह भूमि स्वामी ना.वा.पुत्री मनमोहनरामनाथ पि.मानसींग अमरसींग बाबूलाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/1	0.38	0.06
30	लालसींग पिता पुन्ने पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/2	0.20	0.06
31	कमल उमलेश पि.सो लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/3	0.20	
32	उमलेश पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/4	0.43	
33	कमलसींग पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/5	0.22	
34	भगवानसींग पि.रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64/1	0.25	0.10
35	रघुवीर पि.खेतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	64/2	0.25	
36	भगवानसींग पि.रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/1	0.20	0.10
37	नन्हेभाई पि.रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/2	0.40	
38	भगवानसींग पि.रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/3	0.33	
39	नन्हेभाई पि.रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	63/4	0.33	
कुल -किता			39	26.95	1.40

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क. 53 अ-82-18-19-1349

मौजा महुआखेड़ा गौड़ी पटवारी हल्का नं. 162 तहसील जैसीनगर जिला सागर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को कालीपठार जलाशय योजना की नहर में प्रभावित क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 445 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

1. परियोजना का नाम : कालीपठार जलाशय योजना
2. भूमि का विवरण
3. जिला : सागर
4. तहसील : जैसीनगर
5. ग्राम : महुआखेड़ा गौड़ी
6. पट.ह.नं.- : 162
7. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 3.57 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जगन्नाथ पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी भू.रा.शा	भूमिस्वामी	131/1	2.97	0.10	
2	सुहागबाई उर्फ सरोजरानी पत्नि सुरेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/2	1.19		
3	इमरत पिता गजाधर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/3	0.45		
4	सुहागबाई उर्फ सरोजरानी पत्नि सुरेश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/4	0.60		
5	राममिलन पिता सुरेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा	भूमिस्वामी	131/5	0.76		
6	सुरेश पिता गजराज यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/6	0.51		
7	भागबाई पति लल्लू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.शा	भूमिस्वामी	131/7	0.80		
8	गोविंदसींग पि.इमरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/8	0.60		
9	सुरेन्द्रकुमार पि.सुरेशकुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/9	0.75		
10	संतोषरानी पति इमरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/10	0.75		
11	रामरानी पति जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/11	0.73		
12	कमलरानी पति कल्लू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/12	0.75		
13	सुरेन्द्रकुमार पि.सुरेश कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/13	0.38		
14	सुरेश पिता गजराज यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/14	0.32		
15	सुरेश पिता गजराज यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	131/15	0.33		
16	लल्लूभाई पि.खिलानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141/1	2.40	0.40	
17	इमरत पिता गजाधर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141/2	1.68		
18	राममिलन पिता सुरेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141/3	0.04		
19	सुरेश पिता गजराज यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141/4	0.37		

20	नंदराम पि गजाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141/5	0.30		
21	जबननाथ पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी भू.रा.शा	भूमिस्वामी	142	1.06	0.05	
22	सुरेश पिता गजराज यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	143	1.08	0.05	
23	राजेन्द्रसींग पि.नर्मदाप्रसाद पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	179	0.31	0.02	
24	कमलरानी पत्नि बैजनाथ पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	177/2	0.80		0.06
25	सुरेश पि.रामदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	177/1	0.91		
26	सियारानी पति सीताराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	178/1	0.53		0.09
27	आकाश ना.वा.बल्द व बली रंधीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	178/2	0.27		
28	रामप्रकाश पि.तुलसीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	182	0.41	0.04	
29	कमलेश वा0राजकुमार ना.वा.बल्द व बली हरिराम वल्द रमले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	185/1	0.11		0.03
30	बाबूलाल पि.वक्से पता निवासी सागोनी खुर्द भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	185/2	1.60		
31	राजेन्द्रसींग कुमार वल्द बाबूलाल पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	184/1	1.79		0.24
32	राजेन्द्रसींग पि.नर्मदा प्रसाद पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	184/2	0.49		
33	रूपनारायण प्रेमनारायण उमाकांत हेमंत ऋषिराज कमलेशबाई मिथलेशबाई पिस.दरयाव सुहागरानी बेवा दरयाव पता निवासी सागोनी खुर्द भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	186/1	1.45		
34	प्रकाश वल्द रतन लाल यादव पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	186/2	0.14		0.22
35	जगदीश पि.हरप्रसाद पता निवासी सागोनी खुर्द भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	186/3	1.30		
36	राजाराम पि.हरप्रसाद पता निवासी ग्राम सागोनी खुर्द भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	186/4	1.30		
37	कुन्दनलाल पिता मोहनलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	188	0.20	0.09	
38	प्रकाश वल्द रतन लाल यादव पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	192/1	0.66		0.06
39	मुकेश रूपसींग पिता रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	192/2	0.80		
40	रामनाथ पि.बाबूलाल गोपी गनेश वीरसिंह देवीसिंह पि.रामनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195/1	0.23		
41	रामचरण पि.बाबूलाल पप्पू बलीराम पि.रामचरण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195/2	0.23		0.07
42	चुन्नी पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	195/3	0.23		
43	रामनाथ पि.बाबूलाल गोपी गनेश वीरसिंह देवीसिंह पि.रामनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	201/1	1.22		
44	रामचरण पि.बाबूलाल पप्पू बलीराम पि.रामचरण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	201/2	1.22		0.15
45	चुन्नी पिता बाबूलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	201/3	1.21		
46	अशोक कुमार पिता लोकमन पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	220	0.44		
47	कमलेश पिता गौरीशंकर पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	220/2	1.51		0.20
48	गौरीशंकर वल्द लोकमन पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	220/3	1.73		
49	घूमन पिता महातापसींग यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/1	0.46		0.07
50	पन्ना वल्द दुर्गाप्रसाद पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	221/2	1.60		
51	मुन्नालाल पिता दुर्गा प्रसाद पता सा.काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	222/1	0.90	0.03	
52	तखतसींग पिता बलीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/1	0.91		
53	रामप्रकाश वल्द जगन्नाथ पता सा.काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/2	0.91		
54	लोकमन पि रामलाल रामकिशोर पि.लोकमन पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/3	1.73		0.16
55	अशोक कुमार पि.लोकमन पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/4	1.28		
56	शिवराज वल्द बलीराम पता सा.काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/5	0.91		
57	जगदीश वल्द बलीराम पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	231/6	0.91		
58	अनीता पति जगदीश प्रसाद यादव पता निवासी काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/1	0.06	0.06	

59	शिवराज पिता घूमन पता सा.काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/2	0.40		
60	शिघराज तिपा घूमन पता सा.काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/3	0.16		
61	जगदीशप्रसाद शिवराजसिंग पिता बलीराम पता निवासी ग्राम कालीपठार स्वामी	भूमिस्वामी	233/4	0.04		
62	मनोज पि.रघुवीर पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/5	0.05		
63	प्रमोद कुमार पिता रघुवीर पता कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/6	0.11		
64	कुन्दनसिंग वल्द मोहनलाल पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	234/1	0.58		
65	अजबसींग पिता बैजनाथ पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	234/2	0.80	0.04	
66	करोडी पिता ठाकुरदास पता काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	234/3	0.02		
67	भगवानसिंग बल्द रामप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	236/1	0.31	0.06	
68	नन्हेभाई वल्द रामप्रसाद पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	236/2	0.31		
69	रघुराज बलराम पि.छिमाधर शीलरानी बेवा छिमाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237/1	0.50		
70	उमलेश पिता लालसिंग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237/2	0.50	0.14	
71	मोतीराम पिता नन्हेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237/3	0.50		
72	कमलसिंग पिता लालसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237/4	0.50		
73	घूमन पि.खेतसिंग पता निवासी ग्राम कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	238	0.96	0.02	
74	प्रहलाद बल्द राजाराम पता सा.काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	239	2.42	0.06	
75	हरदास परसराम देवी सींगपिता केशाराम भूमि स्वामी व आजाद रामबाबू नावा.बल्द परसराम बली व खुद मां प्रभाबाई बेवा परसराम पता सा.देह भूमि स्वामी व	भूमिस्वामी	272	1.37	0.10	
76	मुकेश ना.बा.बल्द व वली कमलसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	272/2	0.45		
77	प्रीति पति कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	272/3	0.46		
78	प्रकाश पिता श्रीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	276	0.43	0.02	
79	गोविंद पि.गुपाल पता निवासी ग्राम कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	277/1	0.54		
80	मदन पि.गुपाल पता निवासी ग्राम काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	277/2	0.46	0.12	
81	काशीबाई पुत्री जुगलकिशोर हिरदेश पुत्री गुपाल सुहागरानी बेवा गुपाल पता निवासी ग्राम काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	277/3	0.09		
82	बेनी बाई पुत्री जुगल किशोर धानसिंग पिता कनई शिवचरन नारान पिता प्यारेलाल प्रेमनारायण पिता रामदयाल परशोत्तम चेखीबाई पिता गुबरधन बृजलाल पिता चुन्नीछत्तर ओंकार शिवप्रसाद आशाबाई पिस.सरवन सुमतरानी बेबा सरवन प्रानलाल सुशील कुमार पि.कसिया राजकुमारी राधाबाई पुत्री कसिया सियारानी बेबा कसिया मदन हिरदेश पिता गुपाल बैजनाथ पिता गनेश भूमि स्वामी सबरानी बेबा गनेश फूलसिंग कुंदन सींग पिता मोहन लाल रतिराम कोमल कडोरी शोभाराम बुदेल गुडडीबाई पिता ठाकुरदास काशीबाई बेवा ठाकुरदासा हरीसिंग गनेश पिता सूरतसिंग वलीराम पि.हरप्रसाद रेखा पुत्री धीरजसिंग गंदारानी बेबा धीरजसिंग रामवती पार्वती पुत्री मनमोहन सियारानी बेबा मनमोहन जयराम पिता रघुनाथ करन पि.पुन्नी लाडली बेबा पुन्नी भूमि स्वामी परसादी लक्ष्मन अमरसिंग पिता भबूतसिंग गोलू रानी पि.बाबूलाल अशोकरानी बेबा बाबूलाल अमरसिंग मालती विशालबाई पिता हरीनारायण मुन्ना राजन्द्र अमोल वीरसिंग शीलाबाई पिता दुर्गाप्रसाद संतोष पिता लखन नन्हीबाई पुत्री वलीराम रामरतन पिता हल्कू शिवराज गुडडीबाई पिता परमानंद छिमाधर नन्हेलाल शकुनबाई ग्याबाई पि. उदयाजीत पता सा.कालीपठार	भूमिस्वामी	280	0.46	0.05	
83	विश्वनाथ वल्द लोकमन पता सा.काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	284	2.32	0.05	
84	बाबू पप्पू पिता ग्याप्रसाद फूलरानी बेवा ग्याप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	249/1	0.20	0.08	

85	चुन्नीलाल रामस्वरूप पिता हुकम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	249/2	0.95		
86	हरशाल बल्द वलीराम पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	249/3	0.68		
87	दुरुरती होना है पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	249/4	0.00		
88	बाबू पप्पू पिता ग्याप्रसाद फूलरानी वैवा ग्याप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	256/1	0.60	0.12	
89	चुन्नीलाल रामस्वरूप पिता हुकम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	256/2	0.23		
90	विनोद बल्द बैजनाथ पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	256/290	0.41	0.07	
91	विनोद बल्द बैजनाथ पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	256/290/1	0.41		
92	हरलाल बल्द वलीराम पता सा.कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	263	1.58	0.09	
93	हरदास परसराम देवी सीग पिता केशराम भूमि स्वामी ब आजाद रामबाबू नावा.बल्द परसराम बली व खुद मां प्रभाबाई देवा परसराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	272	1.37	0.06	
94	मुकेश ना.बा.बल्द व वली कमलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	272/2	0.45		
95	प्रीति पति कलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	272/3	0.46		
96	रामसहाय पि सीताराम पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	273/1	0.52		
97	भगवानदास पिता हल्कू पता सा कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	273/2	0.67	0.13	
98	द्वारका पि सीताराम पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	273/3	0.40		
99	रामजी पि सीताराम पता निवासी कालीपठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	273/4	0.40		
100	गंगाराम बल्द हरीनारायण पता निवासी ग्राम काली पठार भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	274	0.30	0.02	
101	सेवाभूमि नाथराम पिता रामा पता सा.देह ग्रामनौकर भू.रा.8.00 मुक्त सेवा खातेदार	भूमिस्वामी	191	1.69	0.15	
कुल -किता			101	75.64	3.57	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

प्र.क. 07 अ-82-17-18-1350

मौजा सेमरा मेड़ा पटवारी हल्का नं. 28 तहसील राहतगढ़

भूमि-अर्जन प्रकरण क्रमांक-07अ/82/17-18 में बीना परियोजनांतर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा सेमरामेड़ा पटवारी हल्का नंबर-28 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 22/11/2017 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 21/11/2018 को पूर्ण हो चुकी है। अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के परंतु अनुसार कोई घोषणा तक तक नहीं की जाएगी जब तक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार ऐसी घोषणा के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता है। परियोजना हेतु मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 22(ए)/117/18 एमपीएस/31/1761 भोपाल, दिनांक 4/10/18 द्वारा विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उक्त स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा का प्रकाशन नहीं किया जा सका है किन्तु धारा 19(7) के परंतु अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 20 फरवरी, 2019

क्रमांक 80/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	भितरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकबा 3.067 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	37 ✓	0.111 ✓	दददा सिंह राजकरन सिंह पिता लालमणि सिंह हि. 1/2 कृष्णा प्रताप सिंह पिता कालू सिंह हि. 1/34 विष्णु बहादुर सिंह पिता भीमसेन सिंह 8/17
2	219 ✓	0.005 ✓	राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा पति गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश अहिर 11/21 भीम सिंह उर्फ भिम्मा सिंह पिता हिमांचल सिंह 10/21
3	220 ✓	0.001 ✓	सत्यभान दीनबन्धु पिता रघुवीर यादव
4	394 ✓	0.028 ✓	श्रीमान पिता बली यादव
5	393 ✓	0.059 ✓	श्रीमान पिता बली यादव
6	392 ✓	0.023 ✓	श्रीमान पिता बली यादव
7	391 ✓	0.006 ✓	श्रीमान पिता बली यादव
8	390 ✓	0.048 ✓	श्रीमान पिता बली यादव
9	389 ✓	0.056 ✓	शिवबहोर पिता मुसइया लालू पिता बेलानी रघुनाथ पिता ददनमा हिरोआ वेवा ददनमा यादव
10	388 ✓	0.265 ✓	जगदीश पिता वौदा संखवा पति वौदा यादव राजकरन जयकरन शिवकरन रामकरन पिता ठाकुरदीन यादव
11	443 ✓	0.279 ✓	राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा वेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/4 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोटू फदाली पिता लोरिक 1/4 ललऊ पिता सम्पती अहिर 1/3 श्रीमती रतुआ देवी पत्नी मकसूदन 1/6
12	444 ✓	0.027 ✓	राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा वेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/4 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोटू फदाली पिता लोरिक 1/4 ललऊ पिता सम्पती अहिर 1/2
13	445 ✓	0.238 ✓	राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा वेवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश

			राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/4 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोदू फदाली पिता लोरिक 1/4 ललऊ पिता सम्पती अहिर 1/2
14	446 ✓	0.116 ✓	सजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा देवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/2 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोदू फदाली पिता लोरिक 1/2
15	448 ✓	0.001 ✓	राजमणि नारायण पिता लखपति मु. सुमित्रा देवा गणेश अरविन्द कुमार छोटेलाल कमलेश पिता गणेश मु. कुइसी पति नरेश राजरूप शंकर पदुमनाथ पिता नरेश 1/2 रघुवीर लालमणि बालगोविन्द पिता छोदू फदाली पिता लोरिक 1/2
16	450 ✓	0.474 ✓	तेजभान सत्यभान संतशरण अवधशरण पिता भीमसेन मु. सुखरजुआ पति मुकुन्दी लोकमन सम्पूरण पिता मुकुन्दी रामलखन पिता ललाई अहिर रामखेलावन पिता मंगाली रामजस पिता लल्ला अहिर
17	584 ✓	0.008 ✓	हिन्छपति पिता हिरदन छोटा पिता लखई मुन्ना पिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चिता 2/3 लक्षिमन केदार पिता हिरई
18	586 ✓	0.040 ✓	हिन्छपति पिता हिरदन छोटा पिता लखई मुन्ना पिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चिता 2/3 लक्षिमन केदार पिता हिरई
19	585 ✓	0.167 ✓	रामअनन्दे पिता छोटकऊ मुन्नापिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चि भान कहार
20	588 ✓	0.014 ✓	रघुनाथ सिंह मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह चौहान
21	358/352/1128	0.019 ✓	श्रवण कुमार सिंह पिता हीरालाल सिंह चौहान
22	472/1 ✓	0.080 ✓	बृजेश कुमार पिता रामपती यादव
23	472/2 ✓	0.050 ✓	मु. कैलसुआ पति राजपति यादव
24	473/1	0.050 ✓	मु.कैलसुआ पति राजपती यादव
25	473/2	0.080 ✓	मुकेश पिता राजपति यादव
26	351/1/1 ✓	0.500 ✓	अभयराज सिंह पिता दुदन सिंह मन्जुला सिंह पति अभयराज सिंह शुभम सिंह पिता अभयराज सिंह चौहान शिवम सिंह पिता अभयराज सिंह चौहान गुलाब सिंह पिता दुदन सिंह
27	351/1/2 ✓		
28	351/1/3 ✓		
29	351/2/1 ✓		
30	341	0.063 ✓	गुलाब सिंह पिता दुदन सिंह
31	342 ✓	0.087 ✓	कमलेश्वर पिता लोलर राम मु. धनरजुआ देवा लोलर राम 3/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पिता तेजपाल मु.शान्ति देवा तेजपाल मु. मनिया देवा हरिहर राम 1/12 रावेन्द्र प्रसाद पिता मोहकमीराम 1/6 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा शंखी बुटटन पिता महावली सिंह रघुनाथ मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह देवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती पिता दुदन सिंह 1/2
32	343 ✓	0.034 ✓	भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह पिता महावली 1/4 मुन्नीलाल पिता त्रिलोक सिंह 3/4
33	344 ✓	0.010 ✓	गुलाब सिंह पिता दुदन सिंह
34	345 ✓	0.005 ✓	मटुकलाल पिता शिवपति जायसवाल
35	332 ✓	0.032 ✓	कमलेश्वर पिता लोलर राम मु. धनरजुआ देवा लोलर राम 3/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोपा पिता तेजपाल मु.शान्ति देवा तेजपाल मु. मुनिया देवा हरिहर राम 1/12 रावेन्द्र प्रसाद पिता मोहकमीराम 1/6 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा शंखी बुटटन पिता महावली सिंह रघुनाथ मुन्नीलाल सिंह पिता

			त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती पिता दुदन सिंह 1/2
36	337 ✓	0.022 ✓	कमलेश्वर पिता लोलर राम मु. धनरजुआ वेवा लोलर राम 3/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पिता तेजपाल मु.शान्ति वेवा तेजपाल मु. मुनिया वेवा हरिहर राम 1/12 रावेन्द्र प्रसाद पिता मोहकमीराम 1/6 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा शंखी बुटन पिता महावली सिंह रघुनाथ मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वेवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती पिता दुदन सिंह 1/2
37	340/3 ✓	0.001 ✓	सुभाष कुमार पिता रंगदेव सिंह
38	476 ✓	0.020 ✓	तेजभान सत्यभान संतशरण अवधशरण पिता भीमसेन मु. सुखरजुआ पति मुकुन्दी लोकमन सम्पूरण पिता मुकुन्दी रामलखन पिता ललई अहर रामखेलावन पिता मंगाली रामजस पिता लल्ला अहिर
39	474 ✓	0.048 ✓	हिन्छपति पिता हिरदन छोटा पिता लखई मुन्ना पिता मनबहोर मु. श्यामकली पति सच्चिता 2/3 लक्षिमन केदार पिता हिरई
	39 किता	3.067 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 89/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - चमरदह
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 0.354 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	541	0.022 ✓	विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान
2	539	0.170 ✓	विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान
3	542	0.033 ✓	विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान
4	538	0.129 ✓	विजयराज सिंह पिता जगमोहन सिंह चौहान
योग	4 किता	0.354 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक. 84...../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

" अनुसूची "

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - गजरही उन्मुक्त
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 4.557 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	640	0.203 ✓	अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक माँ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता देवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह देवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
2	642	0.041 ✓	अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक माँ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता देवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह देवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
3	628	0.068 ✓	अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक माँ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता देवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह देवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
4	639	0.001 ✓	अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक माँ शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता देवा रावेन्द्र प्रसाद सन्तोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुट्टन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, मुन्नीलाल सिंह पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह देवा दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
5	629	0.099 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम बृजवासी कल्लू उर्फ बृन्दावन नवलकिशोर बालमुकुंद जतन रोहन पिता रामाधारराम अवधराज कमलेश्वर पिता लोलर राम रामपाल कौशल पिता हरिहर राम मु. शान्ती देवा तेजपाल राम सन्तोष कुमार पिता तेजपाल राम सूर्यबली राजेश पिता रामसनेही राम 1/3 ललिता देवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भागवत प्रसाद मिथिला प्रसाद

			पिता रामराज राम विध्यवासिनी बैजनथिया दिलवसुआ बिटिल्ली लूदी पिता रामराज लालमणि पिता दर्शन राम 1/3
6	630	0.068 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम बृजवासी कल्लू उर्फ बुन्दावन नवलकिशोर बालमुकुंद जतन रोहन पिता रामाधारराम अवधराज कमलेश्वर पिता लोलर राम रामपाल कौशल पिता हरिहर राम मु. शान्ती वेवा तेजपाल राम सन्तोष कुमार पिता तेजपाल राम सूर्यबली राजेश पिता रामसनेही राम 1/3 ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भागवत प्रसाद मिथिला प्रसाद पिता रामराज राम विध्यवासिनी बैजनथिया दिलवसुआ बिटिल्ली लूदी पिता रामराज लालमणि पिता दर्शन राम 1/3
7	631	0.120 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम बृजवासी कल्लू उर्फ बुन्दावन नवलकिशोर बालमुकुंद जतन रोहन पिता रामाधारराम अवधराज कमलेश्वर पिता लोलर राम रामपाल कौशल पिता हरिहर राम मु. शान्ती वेवा तेजपाल राम सन्तोष कुमार पिता तेजपाल राम सूर्यबली राजेश पिता रामसनेही राम 1/3 ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र प्रसाद 1/3 भागवत प्रसाद मिथिला प्रसाद पिता रामराज राम विध्यवासिनी बैजनथिया दिलवसुआ बिटिल्ली लूदी पिता रामराज लालमणि पिता दर्शन राम 1/3
8	632	0.070 ✓	देवमणि ललवा दददी पिता समझ्या मु. सुमगिया वेवा छनुआ अंगद रोहन दादूलाल राजकरण शिवचरण जयकरण जगपति रामकली पिता छनुआ फक्कड़ पिता पियारे
9	564	0.170 ✓	देवमणि ललवा दददी पिता समझ्या मु. सुमगिया वेवा छनुआ अंगद रोहन दादूलाल राजकरण शिवचरण जयकरण जगपति रामकली पिता छनुआ फक्कड़ पिता पियारे
10	565	0.148 ✓	इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला
11	568	0.246 ✓	इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला
12	569	0.024 ✓	इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला
13	574	0.005 ✓	श्रीमान राम पिता सखेराम
14	575	0.006 ✓	इन्द्रकमल पिता रामपाल शुक्ला
15	576	0.070 ✓	छोटेलाल मनबोध पिता जगजाहिर 2/3 मु.सुधा देवी वेवा बाबूलाल युगलेश्वर कंधई गोरे बिट्टी बुट्टन लक्ष्मी पिता बाबूलाल 1/3
16	600/2/1/1	0.078 ✓	श्रीमती सन्तोषिया पति राजभान राम
17	600/832/1	0.033 ✓	श्रीमती सन्तोषिया पति राजभान
18	577/1	0.050 ✓	श्रीमान राम पिता सखेराम
19	577/2	0.010 ✓	छोटेलाल मनबोध पिता जगजाहिर 2/3 मु.सुधा देवी वेवा बाबूलाल युगलेश्वर कंधई गोरे बिट्टी बुट्टन लक्ष्मी पिता बाबूलाल 1/3
20	598	0.006 ✓	श्रीमान पिता सखेराम
21	599	0.010 ✓	श्रीमान पिता सखेराम
22	591/1	0.079	उमाशंकर पिता जयराम
23	589	0.059 ✓	बैजनाथ पिता सुगाऊ 1/2 रामलाल पिता शिवराम 1/4 उमाशंकर पिता जयराम 1/4
24	593	0.030 ✓	बैजनाथ पिता सुगाऊ 1/2 रामलाल पिता शिवराम 1/4 उमाशंकर पिता जयराम 1/4
25	594	0.020 ✓	बैजनाथ पिता सुगाऊ 1/2 रामलाल पिता शिवराम 1/4 उमाशंकर पिता जयराम 1/4
26	595/1/1	0.017 ✓	सतेन्द्र पिता छोटेलाल जायसवाल
27	595/2	0.020 ✓	हीरालाल पिता बाकेलाल जायसवाल
28	595/3	0.020 ✓	बाबूलाल पिता बाकेलाल जायसवाल
29	595/4	0.020 ✓	सोतीलाल पिता बाकेलाल जायसवाल
30	604/1/1	0.003 ✓	मु. अनीता देवी पति रविशंकर प्रसाद शैलेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर प्रसाद
31	468/1	0.030 ✓	रवीकान्त पिता शोभनाथ राम
32	468/2	0.059 ✓	मु. अनीता देवी पति रविशंकर प्रसाद शैलेन्द्र प्रसाद पिता रविशंकर

			प्रसाद
33	466	0.104 ✓	हिन्दूपति पिता जोखई कलार
34	463/3	0.010 ✓	आशीष दिलराज पिता कन्हई मु. सुकवरिया वेवा कन्हई यादव
35	463/4	0.010 ✓	मु. अनन्तुआ पति कपूरे ददन सोनई चम्फलाल पिता कपूरे रघुनाथ पिता कपूरे दददा रामप्रकाश मनोज पिता पारस मु. गुड़िया वेवा पारस यादव
36	463/5	0.005 ✓	मु. सुशीला वेवा खेलाड़ी सरिमन सुखचैन राजेश पिता खेलाड़ी यादव
37	465/1	0.074 ✓	शोभनाथ पिता चन्दू जायसवाल
38	365	0.014 ✓	मु. सुखरजुआ वेवा बड़कैला ना.बा. राजराखन पिता बड़कैला हि. 1/3 छोटेलाल मनबोध पिता जगजाहिर मु. सुधा देवी वेवा बाबूलाल युगलेश्वर कंधई गोरे बिट्टी बुट्टन लक्ष्मी पिता बाबूलाल मु. चौरसिया वेवा जगजाहिर 1/3 छोटवा पिता गोपाल 1/3
39	371	0.208 ✓	मटुकलाल पिता शिवपति जायसवाल
40	372	0.004 ✓	रामपाल पिता हरिहर राम शुक्ला
41	322/1	0.016 ✓	अविनाश पिता इन्द्रकमल शुक्ला
42	375/2/2	0.015 ✓	अनिल कुमार पिता संजय प्रसाद शुक्ल
43	375/2/3	0.060 ✓	श्रीमती सावित्री पति मटुकलाल जायसवाल
44	375/1	0.243 ✓	राजेश पिता रामसनेही
45	376	0.067 ✓	राजेश पिता रामसनेही
46	377	0.073 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम
47	382	0.069 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम
48	379	0.063 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम
49	380	0.081 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम
50	187	0.729 ✓	उर्मिला प्रसाद पिता लालमणि राम ब्रा.
51	295	0.062 ✓	निजामुददीन पिता सकूर वक्स
52	296	0.073 ✓	उर्मिला प्रसाद पिता लालमणि राम ब्रा.
53	190	0.113 ✓	त्रिभुवन पिता धनपति
54	597	0.027 ✓	रामलाल पिता शिवराम 1/2 उमाशंकर पिता जयराम 1/2 हि.
55	374	0.014 ✓	रामपाल पिता हरिहर राम शुक्ला
56	381	0.013 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम
57	192/1	0.001 ✓	सूर्यबली पिता रामसनेही राम ब्रा.
58	383/2	0.001 ✓	राजकुमार पिता सूर्यबली राम ब्रा.
59	590	0.001 ✓	रामलाल पिता शिवराम 1/2 उमाशंकर पिता जयराम 1/2 हि.
60	469/2	0.013 ✓	रामपाल पिता हरिहर राम शुक्ला
61	461/4	0.078 ✓	मु. लक्ष्मीबाई सेवा सूर्यदीन शारदा राजू मुन्नी पार्वती पिता सूर्यदीन यादव
62	461/5/1	0.020 ✓	भागवत प्रसाद पिता सीताराम यादव
63	461/5/2	0.020 ✓	रामदीन पिता सीताराम यादव
64	462/1	0.006 ✓	छोटन पिता रम्भा यादव
65	368	0.125 ✓	मु. सुखरजुआ वेवा बड़कैला ना.बा. राजराखन पिता बड़कैला हि. 1/3 छोटेलाल मनबोध बाबूलाल पिता जगजाहिर मु. चौरसिया वेवा जगजाहिर 1/3
66	369	0.128 ✓	मटुकलाल पिता शिवपति जायसवाल
67	370/2	0.060 ✓	मटुकलाल पिता शिवपति जायसवाल
68	370/3	0.023 ✓	शिवकुमार पिता प्रेमलाल जायसवाल
69	384	0.012 ✓	निरसिया पति प्रेमलाल जायसवाल
70	385	0.003 ✓	निरसिया पति प्रेमलाल जायसवाल
71	378	0.009 ✓	मोरध्वज पिता शेषमणि राम
72	643	0.015 ✓	अवधराम कमलेश्वर पिता लोलरराम 1/4 रामपाल कौशल पिता हरिहर राम भोला पालक मों शान्ती देवी पति तेजपाल 1/12 मु. ललिता वेवा रावेन्द्र प्रसाद संतोष कुमार आशुतोष कुमार अनिल कुमार पिता रावेन्द्र

			प्रसाद 1/3 भोला सिंह पृथ्वीराज सिंह मखड़ा, शंखी, बुटन, पिता महाबली सिंह, रघुनाथ सिंह, पिता त्रिलोक सिंह मु. हिरौता सिंह वयो दुदन सिंह गुलाब सिंह अभयराज सिंह कुन्ती सिंह पिता दुदन सिंह 1/2
73	629/833	0.012 ✓	कमलेश्वर बगै.
	73 कित्ता ✓	4.557 Ha. ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 25.5/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - कुशियार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 1.891 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	52	0.010 ✓	मनफेर मुन्डेला मनिला पिता हिच्छेया कोल
2	53	0.040 ✓	गपोली शिवनाथ विश्वनाथ पिता घुरवा मु. छोटी वेवा बैजनाथ बहोरी पिता बैजनाथ 1/4 बब्बू नारायण पिता विरवा मु. ददनी वेवा इन्द्रपतिया 1/4 मनफेर मझिला मुन्डेला पिता हिन्छई 1/2 कोल
3	54	0.090 ✓	गपोली शिवनाथ विश्वनाथ पिता घुरवा मु. छोटी वेवा बैजनाथ बहोरी पिता बैजनाथ 1/2 बब्बू नारायण पिता विरवा मु. ददनी वेवा इसपतिया 1/2
4	55	0.010 ✓	रामनरेश सुधनी रानी बूटी तनय बृहस्पतिराम 1/3 मु. शान्ती वेवा रामबली मंगलेश्वर पिता रामबली बलभद्र चन्द्रिका तनय गल्लूराम 1/3 मु. अभयरनिया वेवा शेषमणि अम्बिका शीतला उदयराज दिनेश सुरेन्द्र पिता शेषमणि राम 1/3
5	56	0.130 ✓	मंगलेश्वर प्रसाद पिता रामबली ब्रा.
6	57	0.110 ✓	पन्नालाल पिता रामनरेश तिवारी
7	58	0.255 ✓	पुष्पराज प्रसाद दिनेश प्रसाद सुरेन्द्र प्रसाद पिता शेषमणिराम 1/2 अम्बिकाराम पिता शेषमणि राम 1/2
8	59	0.034 ✓	पुष्पराज प्रसाद दिनेश प्रसाद सुरेन्द्र प्रसाद पिता शेषमणिराम 1/2 अम्बिकाराम पिता शेषमणि राम 1/2
9	63	0.060 ✓	बलभद्र राम पिता गल्लूराम ब्रा.
10	88	0.160 ✓	बलभद्र राम पिता गल्लूराम ब्रा.
11	76	0.070 ✓	हिन्छपतिराम रामसखा राम लखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम 1/2 कृष्णप्रताप पिता कालू सिंह अंगद सिंह पिता दिलीप सिंह दददा सिंह राजकरण सिंह पिता लालमणि सिंह 3/10 विष्णु बहादुर सिंह पिता भीमसेन सिंह नि.भू.भूमि
12	81	0.500 ✓	हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि
13	82	0.090 ✓	हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि
14	83	0.002 ✓	हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि
15	86	0.120 ✓	हिन्छपतिराम रामसखा रामलखनराम रामभिलाषराम पिता मनबहोर राम नि.भू. भूमि
16	61	0.030 ✓	मु.गुलबसुआ वेवा रघुनाथ 1/3 सोनिया पुत्री रघुनाथ तेली 2/3
17	87	0.180 ✓	राधाकृष्ण पिता हिन्छपति राम ब्रा.
योग	17 किता ✓	1.891 Ha. ✓	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक ४४...../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
(ख) तहसील - बहरी
(ग) नगर/ग्राम - गजरही कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 4.137 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	222 ✓	0.003 ✓	छोटकऊ पिता हुकुरुवक्स
2	223 ✓	0.093 ✓	सखूर वक्स पिता हुकुम वक्स
3	224 ✓	0.162 ✓	नजाबुद्दीन पिता सकुर वक्स तेजामुल हुसैन पिता सखूर वक्स ना.वली सं. पिता सखूर वक्स मु.
4	225 ✓	0.026 ✓	करीम वक्स पिता हुकुमवक्स
5	226 ✓	0.115 ✓	आनन्द बहादुर सिंह पिता राजबहादुर सिंह ना.बा. संरक्षक पिता राजबहादुर सिंह 1/2 नारायण पिता रामधारी 1/3 मु. दूइजी पति रामधारी 1/3
6	227 ✓	0.015 ✓	आनन्द बहादुर सिंह पिता राजबहादुर सिंह ना.बा. संरक्षक पिता राजबहादुर सिंह 1/2 नारायण पिता रामधारी 1/3 मु. दूइजी पति रामधारी 1/3
7	220 ✓	0.140 ✓	मेवालाल छोटेला ल राजेश पिता जगन्नाथ कहार
8	221 ✓	0.180 ✓	मेवालाल छोटेला ल राजेश पिता जगन्नाथ कहार
9	214 ✓	0.250 ✓	मेवालाल छोटेला ल राकेश पिता जगन्नाथ मु. बूटी वेवा जगन्नाथ
10	121 ✓	0.020 ✓	मेवालाल छोटेला ल राकेश पिता जगन्नाथ मु. बूटी वेवा जगन्नाथ
11	122 ✓	0.480 ✓	मु. सखुआ वेवा बैजनाथ लोकमणि विक्रमा पिता बैजनाथ 3/4 मु. कौशिल्या वेवा शेषमणि अयोध्या अदीप कुमार दीपक मीना पिता शेषमणि 1/4
12	124 ✓	0.040 ✓	राममिलन पिता जालिम
13	104 ✓	0.522 ✓	रामबहोर सरजू पिता विशाले कहार
14	103 ✓	0.110 ✓	सुनील सिंह पिता दल प्रताप सिंह गहरवार
15	91/1 ✓	0.260	धनपति पिता देवशरन कहार
16	91/2 ✓	0.110 ✓	निजाबुद्दीन तेजामुल हुसैन पिता शकूर वक्स
17	94 ✓	0.001 ✓	रघुराज सिंह पिता राजकरण सिंह चन्देल
18	53 ✓	0.060 ✓	मु.सुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार
19	54 ✓	0.030 ✓	मु.सुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार
20	55 ✓	0.100 ✓	मु.सुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार
21	56 ✓	0.120 ✓	उर्मिला प्रसाद पिता लालमणि राम
22	46 ✓	0.120 ✓	मनबोध पिता देवशरण कहार
23	47/238 ✓	0.170 ✓	विमला माता महाराज कुमारी सिंह

24	48 ✓	0.160 ✓	मुसुक्खी वेवा मनबहोर रामलखन बुधनी मुन्नी कलुई पार्वती कुसुमी पिता मनबहोर कहार
25	47/1/1 ✓	0.060 ✓	मनबोध पिता देवशरण कहार
26	47/1/2 ✓	0.240 ✓	रमाकान्त तिवारी पिता बुद्धिसेन तिवारी
27	47/2 ✓	0.010 ✓	रमाकान्त तिवारी पिता बुद्धिसेन तिवारी
28	44/1 ✓	0.060 ✓	विमला माता महाराज कुमारी सिंह
29	43/min-1 ✓	0.080 ✓	विशाले छोटा राममिलन रामनिहोर पिता जालिम कहार 1/5 मेवालाल छोटेलाल पिता जगन्नाथ राजेश पिता जगन्नाथ ना.सं.मा मु. बूटी वेवा जगन्नाथ 1/5 मु. दुअसिया वेवा देवशरण, धनपति मनबोध पिता देवशरण 1/5 मनबहोर पिता रामशरण कहार 1/5 ददन सिंह पिता रामप्रताप सिंह राजकरन सिंह अभयराज सिंह पिता दूदा सिंह मु. महाराज कुमारी वेवा मनमूरति सिंह 1/5
30	43/ min-2 ✓	0.190 ✓	श्रीमती सावित्री देवी पति रमाकान्त राम ब्रा.
31	43/ min-3 ✓	0.160 ✓	श्रीमती सावित्री देवी पति रमाकान्त राम ब्रा.
32	41/ min-1 ✓	0.042 ✓	विशाले छोटा राममिलन रामनिहोर पिता जालिम कहार 1/5 मेवालाल छोटेलाल पिता जगन्नाथ राजेश पिता जगन्नाथ ना.सं.मा मु. बूटी वेवा जगन्नाथ 1/5 मु. दुअसिया वेवा देवशरण, धनपति मनबोध पिता देवशरण 1/5 मनबहोर पिता रामशरण कहार 1/5 ददन सिंह पिता रामप्रताप सिंह राजकरन सिंह अभयराज सिंह पिता दूदा सिंह मु. महाराज कुमारी वेवा मनमूरति सिंह 1/5
33	41/ min-2 ✓	0.008 ✓	श्रीमती सावित्री देवी पति रमाकान्त राम ब्रा.
योग	33 कित्ता	4.137 Ha.	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 96...../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - कुशियारी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 3.672 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	462 ✓	0.130 ✓	अब्दुल मजीद पिता करमुल्ला वक्स मुसलमान
2	463 ✓	0.105 ✓	सुरेश बहादुर सिंह बृजेन्द्र सिंह पिता हरिवंश सिंह
3	449 ✓	0.056 ✓	कुंजराज सिंह दादूलाल सिंह पिता उदयभान सिंह लल्लू सिंह गप्पू सिंह पिता दानबहादुर
4	451 ✓	0.100 ✓	गनी मोहम्मद अब्दुल मजीद पिता करी मोहम्मद
5	437/2 ✓	0.215 ✓	श्रीमती वीवी फातिमा पति मदीना वक्स श्रीमती अमिना वेगम पति रशीद अंसारी कुंजराज सिंह पिता उदयभान सिंह अमीना वेगम पति मोहम्मद रसीद
6	438/2 ✓	0.021 ✓	मदीना पिता जदूर वक्स
7	432 ✓	0.105 ✓	मु. रूपा वेवा समई मनबहोर जेदू पती शंखलाल बिहरी छोटे रंगलाल पिता समई
8	431 ✓	0.004 ✓	मु. रूपा वेवा समई मनबहोर जेदू पती शंखलाल बिहरी छोटे रंगलाल पिता समई
9	433 ✓	0.107 ✓	मु. रूपा वेवा समई मनबहोर जेदू पती शंखलाल बिहरी छोटे रंगलाल पिता समई
10	424 ✓	0.012 ✓	रावेन्द्र कुमार पिता अवधराज सिंह
11	423 ✓	0.154 ✓	रावेन्द्र कुमार पिता अवधराज सिंह
12	420/1 ✓	0.195 ✓	सत्यप्रसाद सिंह पिता अवधराज सिंह कमलेन्द्र सिंह पिता अवधराज सिंह
13	419 ✓	0.174 ✓	सत्यप्रसाद सिंह पिता अवधराज सिंह कमलेन्द्र सिंह पिता अवधराज सिंह
14	417/1/1 ✓	0.040 ✓	राजकुमार सिंह पिता धर्मराज सिंह दिवाकर सिंह पिता धर्मराज सिंह ददन सिंह पिता धर्मराज सिंह अवधराज सिंह पिता मनी सिंह
15	418 ✓	0.037 ✓	अवधराज सिंह पिता मनी सिंह
16	415 ✓	0.095 ✓	संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित
17	414/3 ✓	0.086 ✓	संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित
18	413/2 ✓	0.040 ✓	संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित
19	416 ✓	0.010 ✓	संजय कुमार सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह दीक्षित
20	414/2/1 ✓	0.114 ✓	श्रीमती असफ़ी वेवा पति राजकुमार सिंह राजबली सिंह तेजबहादुर सिंह पिता हरिशरण सिंह संजय सिंह राजबहादुर सिंह पिता बाबूलाल सिंह
21	414/2/2 ✓	0.068 ✓	रावेन्द्र कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान
22	411 ✓	0.121 ✓	रावेन्द्र कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान
23	412 ✓	0.030 ✓	रावेन्द्र कुमार सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान
24	406/2 ✓	0.028 ✓	जग्यभान पिता रघुवीर
25	405/3 ✓	0.056 ✓	राजकुमार सिंह पिता उदयभान सिंह
26	405/2 ✓	0.091 ✓	श्रीमती असरफीदेवी पति राजकुमार सिंह
27	405/1 ✓	0.149 ✓	कमलावती ददन सिंह
28	403/2 ✓	0.027 ✓	त्रिसूला गंगी मुन्नी पिता अगनू साहू
29	400 ✓	0.048 ✓	त्रिसूला गंगी मुन्नी पिता अगनू साहू

30	387 ✓	0.210 ✓	त्रिसूला गंगी मुन्नी पिता अगनू साहू
31	402 ✓	0.018 ✓	मु. तेरसी वेवा श्रीवा रामलाल प्रेमलाल नन्दलाल पिता श्रीवा
32	401 ✓	0.048 ✓	मु. तेरसी वेवा श्रीवा रामलाल प्रेमलाल नन्दलाल पिता श्रीवा
33	399 ✓	0.020 ✓	झलर पिता पंचू
34	386 ✓	0.012 ✓	झलर पिता पंचू
35	388 ✓	0.060 ✓	चन्द्रभान पिता भोला साहू
36	718/1 ✓	0.078 ✓	चन्द्रभान पिता भोला साहू
37	445 ✓	0.340 ✓	श्रीमती कली मुन्सिा पति अब्दुल मजीद श्रीमती अमीना वेगम पत्नी मो. रशीद अंसारी
38	414/2/ख ✓	0.070 ✓	रावेन्द्र प्रताप सिंह पिता राजकुमार सिंह चौहान
39	390/719 ✓	0.110 ✓	रामलाल पिता श्रीपति साहू तेली
40	391/720 ✓	0.110 ✓	रामऔतार रामलखन रजमन्ती पिता महादेव सहदेव छोटकऊ पिता कुईसा तेली
41	365 ✓	0.001 ✓	राजेन्द्र बहादुर सिंह राजबली सिंह तेजबहादुर सिंह पिता हरिशरन सिंह 1/2 यज्ञभान सिंह महेश सिंह पिता लोलर सिंह 1/4 मु. रमादेवी पति त्रिभुवन सिंह उदयरज सिंह पिता त्रिभुवन सिंह 1/4
42	366 ✓	0.140 ✓	राजेन्द्र बहादुर सिंह राजबली सिंह तेजबहादुर सिंह पिता हरिशरन सिंह 1/2 यज्ञभान सिंह महेश सिंह पिता लोलर सिंह 1/4 मु. रमादेवी पति त्रिभुवन सिंह उदयरज सिंह पिता त्रिभुवन सिंह 1/4
43	363 ✓	0.007 ✓	शोभनाथ पिता लौटनिया 1/2 प्यारेलाल पिता बन्धू कोल
44	392/721 ✓	0.030 ✓	ईश्वरी छठिलाल पिता दलू तेली
	44 कित्ता	3.672 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 94/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - चोराही
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकवा 4.126 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	147	0.050 ✓	मु.सुमिन्ती वेवा सुद्ध तुलसी रामकरन रमेश जगपती पिता सुद्ध कहार
2	146	0.300 ✓	मु.सुमिन्ती वेवा सुद्ध तुलसी रामकरन रमेश जगपती पिता सुद्ध कहार
3	138/1	0.090 ✓	भोला पिता पारस कहार
4	138/2	0.090 ✓	बृजमोहन पिता पारस कहार
5	139	0.260 ✓	भोला पिता पारस कहार
6	137/1	0.400 ✓	भोला पिता पारस कहार
7	137/2	0.010 ✓	बृजमोहन पिता पारस कहार
8	136/1	0.060 ✓	भोला पिता पारस कहार
9	136/2	0.050 ✓	बृजमोहन पिता पारस
10	125	0.300 ✓	विशुनाथ पिता छत्रपाल कहार
11	134	0.070 ✓	विशुनाथ पिता छत्रपाल कहार
12	127	0.350 ✓	शिवनाथ पिता छत्रपाल कहार
13	126	0.020 ✓	विश्वनाथ पिता छत्रपाल कहार
14	122	0.003 ✓	छोटा पिता छत्रपाल कहार
15	128	0.130 ✓	छोटा पिता छत्रपाल कहार
16	129	0.004 ✓	सवीरन निशा पति जमाल अहमद
17	130	0.170 ✓	सुखेन्द्र पिता मिठाईलाल बानी
18	131/2/1/1	0.045 ✓	मो. कलाम पिता इस्माइल वक्स
19	131/2/1/2	0.035 ✓	सवीरन निशा पति जमाल अहमद
20	222	0.070 ✓	राजभान सुमली पिता सम्पति 1/3 पंचू पिता दौलत 1/3 निचकवा छोटा पिता जमुना 1/3
21	220	0.120 ✓	राजभान सुमली पिता सम्पति 1/3 पंचू पिता दौलत 1/3 निचकवा छोटा पिता जमुना 1/3
22	219	0.260 ✓	वरमदीन तेजबली पिता भरोसा
23	217	0.030 ✓	धनपति पिता सुर्जमान शान्ती पति रामगोपाल सौधिया
24	218/1	0.005 ✓	तेजबहादुर पिता शम्भू सौधिया
25	218/2	0.040 ✓	हीरामणि पिता शम्भू सौधिया
26	212	0.001 ✓	हीरालाल प्रेमलाल पिता अभिमान कहार
27	213	0.070 ✓	छोटा पिता गनपति
28	214	0.090 ✓	सुखलाल पिता सुदामा कहार
29	216	0.076 ✓	गोरिलाल मुन्नी श्यामकली पिता रघुवीर मु. सुमिन्ती वेवा सुद्ध तुलसी रामकरन रमेश जगपति पिता सुद्ध
30	123	0.050 ✓	छोटा पिता छत्रपाल कहार

31	233	0.050 ✓	राममिलन पिता लक्ष्मिन कहार
32	235	0.070 ✓	ज्ञानेन्द्र कुमार पिता श्यामकार्तिक राम ब्रा.
33	236	0.170 ✓	बाबादीन पिता बैजनाथ कहार 2/3 सतौआ सितौआ पुत्री रामाऔतार 1/3
34	237	0.040 ✓	बाबादीन पिता बैजनाथ कहार 2/3 सतौआ सितौआ पुत्री रामाऔतार 1/3
35	413	0.040 ✓	गोपाल पिता छोटा कहार
36	414	0.016 ✓	शान्ती देवी पति रामगोपाल कहार
37	242	0.006 ✓	सुमेर पिता शिवदयाल कहार
38	410	0.008	सुखेन्द्र प्रसाद पिता मिठाईलाल
39	408	0.001 ✓	अभिलाष पिता जगन्नाथ
40	412	0.070 ✓	लक्ष्मिन पिता शिवदयाल कहार
41	367	0.040 ✓	बाबादीन पिता बैजनाथ कहार 2/3 सतौआ सितौआ पुत्री रामाऔतार 1/3
42	368	0.060 ✓	सीतादेवी पति कृष्णमोहन
43	370	0.025 ✓	धनपति पिता सुर्जभान कहार
44	371	0.060 ✓	लल्ला पिता शम्भू
45	372	0.080 ✓	जमाल अहमद गुलेसन्तार, पिता नूरमोहम्मद
46	373	0.080 ✓	जग्यलाल पिता गुगवा 1/2 बाबूलाल पिता गुगवा 1/2
47	376	0.030 ✓	विश्वनाथ पिता छत्रपाल कहार
48	411	0.003 ✓	सुखेन्द्र प्रसाद पिता मिठाईलाल
49	407	0.020 ✓	धनपति पिता सुर्जभान कहार
50	221	0.008 ✓	जयलाल पिता गुगवा 1/2 बाबूलाल पिता गुगवा
	50 कित्वा ✓	4.126 Ha. ✓	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक...92.../भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“ अनुसूची ”

1- भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - सीधी
 (ख) तहसील - बहरी
 (ग) नगर/ग्राम - जतखनिहा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - निजी रकबा 1.210 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	292	0.250 ✓	सुनील पाठक प्रदीप पाठक पिता रामकरण पाठक
2	293	0.050 ✓	बुद्धिमान छोटेलाल सुनील पिता सदई कुसुमी पार्वती रामरती रीतू पुत्री सदई सिंह मु. चिरोजिया वेवा सदई सिंह
3	317	0.088 ✓	मोहन सिंह वासुदेव सिंह पिता सुखदेव सिंह गोड़
4	315	0.003 ✓	मोहन सिंह वासुदेव सिंह पिता सुखदेव सिंह गोड़
5	311	0.006 ✓	रोहित शेषमणि पिता बुद्ध सिंह वीरे सिंह लालमणि सिंह सुखदेव सिंह सुबेलाल सिंह पिता मुड़रु सिंह
6	313	0.016 ✓	रोहित शेषमणि पिता बुद्ध सिंह वीरे सिंह लालमणि सिंह सुखदेव सिंह सुबेलाल सिंह पिता मुड़रु सिंह
7	308	0.006 ✓	दिनेन्द्र प्रसाद पिता शिवप्रसाद
8	247/2	0.450 ✓	शिवनाथ विश्वनाथ राजपती पिता जेतू सिंह गोड़
9	246	0.111 ✓	सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2
10	245	0.100 ✓	सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2
11	243	0.120 ✓	सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2
12	242	0.010 ✓	सुमित संदीप पिता तुलसी तुलसी पिता लोलर राम 1/2 कृष्णा पिता रामसुन्दर पाठक 1/2
योग	12 किता ✓	1.210 Ha. ✓	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
- भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश
राजस्व विभाग

प.क. 2037-प्रवा.1-2019

राजगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्रमांक /भू-अर्जन/2019 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक/अ-82/2018-2019 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नाईहेडा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 141, 146/1, 173/11 रकबा क्रमशः 1.795है०, 0.253है०, 2.000है० में स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है। धारा-11(3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम नाईहेडा

स.क्र.	आबादी का विवरण है०मे.		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	मकान न.	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे
	आबादी के सर्वे न.	कुल रकबा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	141	1.795	आबादी		1039.72
2	146/1	0.253	आबादी		52.58
3	173/11	2.000	आबादी		95.20
कुल योग :-					1187.50

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम नाईहेडा

स.क्र.	आबादी का विवरण है०मे.		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	मकान न.	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे
	आबादी के सर्वे न.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	6
1	173/11	2.000	भवरलाल पिता रोडजी ✓	34/1 ✓	47.65/ ✓
2			अनिल पिता भयरलाल ✓	34/2 ✓	47.55 ✓
3			लखनसिंह पिता भागमल	63 ✓	280.54 ✓
4			जसवंतसिंह पिता सूरजसिंह ✓	100/1 ✓	78.42 ✓
5			अरविंद पिता जसवंतसिंह	100/2 ✓	94.74 ✓

6	141	1.795	गोमतीबाई पति रामनाथसिंह	105/1	296.34
7			सुनीता पिता रामनाथ	105/2	43.70
8			देवराज पिता रामनाथसिंह	105/3	27.38
9			ज्योति पिता रामनाथ	105/4	43.70
10			बद्रीलाल पिता भाग्यन्द्र	106/1	20.10
11			शांतिलाल पिता पीरूलाल	130	71.69
12			शांतिलाल पिता पीरूलाल	155	83.11
13			146/1	0.253	शंकरलाल पिता बालमुकंद
14	धर्मेन्द्र, ईश्वर, जीवन पिता शिवलाल, सजनबाई बेवा शिवलाल	197/1			26.42
योग					1187.50
रकबा हे० में.					0.119

मकान के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

कमांक/२१७० भू अर्जन/2019 (अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना, तहसील -राजगढ़, जिला-राजगढ़ की ग्राम-रोज्या के लिए रोज्या से करेड़ी जक्शन तक परिवर्तित मार्ग निर्माण के लिये भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि, निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	2	3	4	5
1	जगदीश पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	153	0.582	0.110
	किता	1	0.582	0.110
2	बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	152/3/2	0.143	0.024
	किता	1	0.143	0.024
3	घनश्याम पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	152/3/1	0.143	0.024
	किता	1	0.143	0.024
4	नरबदीबाई बेवा रामनारायण, रक्षाबाई, गुड्डीबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी	152/2	0.287	0.048
	किता	1	0.287	0.048
5	कमलसिंह पिता देवीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	152/1	0.287	0.048
	किता	1	0.287	0.048
6	देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब, मु. पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू पिता उँकार हि. 1/3, बापू, रामचन्द्र पिता राधाकिशन मु. केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कँवरलाल मु. भंवरीबाई बेवा कँवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	185	0.038	0.038
	किता	1	0.038	0.038

7	देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब, पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/4 कालू, गंगाधर पिता उँकार हि. 1/2, बापू, रामचन्द्र पिता राधाकिशन, केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कँवरलाल, भंवरीबाई बेवा कँवरलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी	186	0.013	0.013
किता		1	0.013	0.013
8	दरियाव सिंह, सुरेश पिता हरीसिंह, रतनबाई बेवा हरीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	197	0.177	0.050
किता		1	0.177	0.050
किता		8	1.670	0.355

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क. 2102-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2019

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया बंध परिियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बंध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकदार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन केलिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	विवरण	तहसील - जीरापुर	जिला - राजगढ़
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर	
		कुल रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बंध परिियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	13.387	8.879
योग		13.387	8.879

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बंध परिियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	भगवानसिंह पिता बल्देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/7/2/1	0.101	0.101
योग			0.101	0.101
2	कालू पिता बल्देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12/1/1/1 5-2-02	1.304 0.205	1.304 0.205
योग			1.509	1.509
3	लक्ष्मीनारायण पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12/1/1/2 30/5/1	1.303 0.224	1.303 0.224
योग			1.527	1.527
4	सिद्ध पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/12/3/1	1.300	1.300
योग			1.300	1.300

6	हरलाल पिता माधु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5-3-02	0.205	0.205
	योग		0.205	0.205
6	धनसिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/1/1	0.272	0.272
	योग		0.272	0.272
7	करण पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1/2	2.000	0.645
		30/1/2	0.272	0.272
	योग		2.272	1.117
8	नटवरसिंह संगीताबाई पिता तोलाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/12/2	0.248	0.115
		25/12	0.038	0.038
	योग		0.286	0.153
9	जयनारायण पिता भगवानसिंह अयोध्याबाई पति भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/5/4/1	0.037	0.037
	योग		0.037	0.037
10	करणसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/1	0.048	0.048
	योग		0.048	0.048
11	प्रभु पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/2	0.047	0.047
	योग		0.047	0.047
12	नेहरवान पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/3	0.048	0.048
	योग		0.048	0.048
13	विक्रम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/14/3/4	0.047	0.047
	योग		0.047	0.047
14	काशीराम पिता भंवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/1/2/4	0.420	0.420
	योग		0.420	0.420
15	जीवन ना.बा.पिता रामदयाल संतोष ना.बा. पिता रामदयाल आ.पा. कर्ता माता प्रेमबाई बेवा रामदयाल शंकरलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30/8/2	0.325	0.325
		19/2/2	0.109	0.109
		24/2/3	0.145	0.145
	योग		0.579	0.579
16	बैरूलाल पिता लूना जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	23/3/3	0.088	0.088
		23/2/4	0.144	0.144
		23/6/2	0.032	0.032
		30/8/3	0.325	0.325
		23/4/2	0.100	0.100
	योग		0.689	0.689

17	किशनलाल पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1/3	2.000	0.650
	योग		2.000	0.650
18	बंशीलाल पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/1/4	2.000	0.130
	योग		2.000	0.130
	कुल योग:-		13.387	8.879

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क. -ए-2104-सू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 02 मार्च, 2019

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना के ग्राम पथरिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन केलिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - पथरिया		तहसील - जीरापुर		जिला - राजगढ़	
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर			
		कुल रकबा	अर्जित रकबा		
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	25.492	15.901		

अनुसूची (2)

1. कुण्डलिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व में भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण में भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7
1	दुलेसिंह आ. बापूसिंह जाति सों. रा. पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	1/6	4.047	0.000	0.650	0.650
योग:-			4.047	0.000	0.650	0.650
2	भेरू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/1	2.125	0.000	0.105	0.105
योग:-			2.125	0.000	0.105	0.105
3	प्रभू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/2	1.668	0.000	0.105	0.105
योग:-			1.668	0.000	0.105	0.105
4	गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई पता निवासी लसुडलिया खेराज भूमि स्वामी	3/1/8/1	1.018	0.000	0.380	0.380
			34/1/4	0.550	0.105	0.105
योग:-			1.568	0.000	0.485	0.485
5	रायसिंह पिता मोतीलाल बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/4	2.000	0.000	2.000	2.000
			85/23	2.528	2.528	2.528
योग:-			4.528	0.000	4.528	4.528
6	राजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	29/5	0.009	0.000	0.009	0.009

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7
		30/5 ✓	0.010 ✓	0.000	0.010	0.010 ✓
	योग:-		0.019	0.000	0.019	0.019
7	कालुसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार(चौहान) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/16/4 ✓	1.264 ✓	0.000	1.264	1.264 ✓
	योग:-		1.264	0.000	1.264	1.264
8	सोनारसिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54/2/2/2 ✓	0.075 ✓	0.000	0.075	0.075 ✓
	योग:-		0.075	0.000	0.075	0.075
9	भगवान सिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	54/2/2/1 ✓	0.346 ✓	0.000	0.346	0.346 ✓
	योग:-		0.346	0.000	0.346	0.346
10	रोड़ीबाई पति चंदर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/1/4 ✓	0.390 ✓	0.000	0.390	0.390
		108/2/1 ✓	0.077 ✓	0.000	0.077	0.077 ✓
	योग:-		0.467	0.000	0.467	0.467
11	बालु पिता भवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/1/2 ✓	0.088 ✓	0.000	0.088	0.088 ✓
	योग:-		0.088	0.000	0.088	0.088
12	नारायण पिता भवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	110/2/1/1 ✓	0.088 ✓	0.000	0.088	0.088 ✓
	योग:-		0.088	0.000	0.088	0.088
13	पिरूसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	108/2/2 ✓	0.826 ✓	0.000	0.826	0.826 ✓
	योग:-		0.826	0.000	0.826	0.826
14	पारीबाई बेवा मांग्या लीलाबाई अमरीबाई छिताबाई कालु राधेश्याम पिता मागीया कालु भगवान सुल्तान गीताबाई कालीबाई पिता कवरीया पारी बाई बेवा कवरीया रामा पिता जग्गा जालीया रतन कनीराम दर्यावबाई पिता धुला जाति चमार	32 ✓	0.228 ✓	0.000	0.228	0.228 ✓
	योग:-		0.228	0.000	0.228	0.228
15	भगवानसिंह सुजानसिंह कबुबाई पिता पुरा जी जाति गुर्जर नि. बासखेडी	85/14 ✓	2.528 ✓	0.000	1.000	1.000 ✓
	योग:-		2.528	0.000	1.000	1.000
16	राधेश्याम पिता शंकर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/1 ✓	0.100 ✓	0.000	0.100	0.100 ✓
	योग:-		0.100	0.000	0.100	0.100

सं.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	भूमि का कुल रकबा हे.	पुर्व मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	पूरक प्रकरण मे भूमि का अर्जित रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5	6	7
17	मेहरवानसिंह पिता शंकर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/2 ✓	0.100 ✓	0.000	0.100	0.100 ✓
	योग:-		0.100	0.000	0.100	0.100
18	मानसिंह पिता शंकर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/3 ✓	0.101 ✓	0.000	0.101	0.101 ✓
	योग:-		0.101	0.000	0.101	0.101
19	शंकर पिता धुला जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/2/4 ✓	0.243 ✓	0.000	0.243	0.243 ✓
	योग:-		0.243	0.000	0.243	0.243
20	घीसालाल पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/5/1 ✓	0.666 ✓	0.000	0.666	0.666 ✓
	योग:-		0.666	0.000	0.666	0.666
21	प्रहलाद पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/5/2 ✓	0.666 ✓	0.000	0.666	0.666 ✓
	योग:-		0.666	0.000	0.666	0.666
22	सिध्दु पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/5/3 ✓	0.668 ✓	0.000	0.668	0.668 ✓
	योग:-		0.668	0.000	0.668	0.668
23	मनोहर आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/6 ✓	1.083 ✓	0.000	1.083	1.083 ✓
	योग:-		1.083	0.000	1.083	1.083
24	सुजानसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/7/1 ✓	1.000 ✓	0.000	1.000	1.000 ✓
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000
25	ईश्वर पिता भागीरथ जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/1/7/2 ✓	1.000 ✓	0.000	1.000	1.000 ✓
	योग:-		1.000	0.000	1.000	1.000
	कुल योग:-		25.492	0.000	15.901	15.901 ✓

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है।

प्र.क.-ए-2105-भू-अर्जन-2019

अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकी राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - कायथा		तहसील - जीरापुर	जिला - राजगढ़	
स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर		
		कुल रकबा	अर्जित रकबा	
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	36.056	27.993	

अनुसूची (2)

1. कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

स.क्र.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवनारायण आ. उंकारबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/2 - 2/3 ✓	2.528 ✓	00	2.528 ✓	
	योग:-		2.528 ✓	00	2.528 ✓	
2	किशनलाल पिता नानूराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/4 ✓	1.264 ✓	00	1.264 ✓	
	योग:-		1.264 ✓	00	1.264 ✓	
3	रामेश्वर पिता छोदूलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/5 ✓	3.794 ✓	00	2.994 ✓	
	योग:-		3.794 ✓	00	2.994 ✓	
4	बीरमान गब्बा आ. लाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/6 ✓	3.794 ✓	00	3.794 ✓	
	योग:-		3.794 ✓	00	3.794 ✓	
5	दुर्गालाल पिता डालु जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/7 ✓	3.794 ✓	00	3.794 ✓	
	योग:-		3.794 ✓	00	3.794 ✓	
6	मांगीलाल आ. मेधा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/8 ✓	3.794 ✓	00	3.794 ✓	
	योग:-		3.794 ✓	00	3.794 ✓	
7	शिवनारायण आ. उंकारबगस रामनारायण आ. रामबगस जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/9/1 ✓	2.024 ✓	00	1.914 ✓	
	योग:-		2.024 ✓	00	1.914 ✓	

स.क.	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	पूर्व में अर्जित हो चुका रकबा	प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा	योग
1	2	3	4	5	6	7
8	जगदीश आ. प्रहलाद सिद्धनाथ आ. हजारीलाल दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/9/2 ✓	2.024 ✓	00	0.330 ✓	
	योग:-		2.024	00	0.330	
9	बल्देव बद्रीलाल जगन्नाथ देवसिंह किशनलाल जमनीबाई पिता नाथू जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3 ✓	0.038 ✓	00	0.038 -	
	योग:-		0.038	00	0.038	
10	हरिसिंह मांगीलाल पिता पन्नालाल मेहताब बाई देवा पन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/4 ✓	5.059 ✓	00	3.169 ✓	
	योग:-		5.059	00	3.169	
11	मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/5/1 ✓	2.530 ✓	00	0.091 -	
	योग:-		2.530	00	0.091	
12	उदालाल पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/5/3 ✓	1.264 ✓	00	0.134 ✓	
	योग:-		1.264	00	0.134	
13	पर्वत उंकार सोदान सिंह पिता रतन छमा बाई देवा रतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/6 ✓	2.529 ✓	00	2.529 ✓	
	योग:-		2.529	00	2.529	
14	रोडा बद्री रामसिंह देवसिंह आ. गब्बा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/9 ✓	1.265 ✓	00	1.265 ✓	
	योग:-		1.265	00	1.265	
15	ज्ञानसिंह संतोषबाई पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17/1/4 ✓	0.355 ✓	00	0.355 -	
	योग:-		0.355	00	0.355	
	कुल योग:-		36.056	0	27.993 ✓	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क. 2274-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 07 मार्च, 2019

**प्रारंभिक अधिसूचना
अनुसूची (1)**

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में शिवपुरा जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ शिवपुरा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

शिवपुरा जलाशय		तहसील - जीरापुर
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मं)
	निजी भूमि शिवपुरा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम-शिवपुरा की भूमि	9.865
2	ग्राम-आगरिया की भूमि	14.583
	योग	24.448

(1) शिवपुरा जलाशय में ग्राम आगरिया की निजी भूमि प्रभावित होने से

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	6
1	चन्द्रपालसिंह शिवराजसिंह भूपेन्द्रसिंह कमलसिंह जोरसिंह पिता कैसरसिंह भंवरकुवर वि. कैसरसिंह जाति राजपूत	229/1/2	0.394	0.300
		404/1	0.103	0.103
		405/2	0.283	0.283
2	गोपालसिंह रामपालसिंह पिता गोर्वधनसिंह जाति राजपूत	229/2	0.787	0.200
		399/3	0.121	0.121
		400	0.405	0.405

3	सुल्तानसिंह पिता नरेभेसिंह जाति राजपूत	378	0.934	0.934
		379	0.162	0.162
		380	0.299	0.299
		381	0.947	0.947
		382	0.295	0.295
		383	0.146	0.146
4	तरवरसिंह प्रेमसिंह अनोपसिंह पिता छगनसिंह चन्दरबाई बैवा छगनसिंह विक्रमसिंह नन्दसिंह पिता इन्दरसिंह रमेशबाई बैवा इन्दरसिंह सोम्यासिंह नारायणसिंह मनोहरसिंह पिता अर्जूनसिंह सूरजकुवरबाई बैवा अर्जूनसिंह जाति राजपूत	386	0.482	0.482
		397/2 398/4	0.720	0.300
5	धीरपसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत	387/1 388/2	0.130	0.130
6	भगवानसिंह पिता पदमसिंह श्रंगारबाई वि. पदमसिंह जाति राजपूत	387/2	0.129	0.129
7	कल्याणसिंह राजेन्द्रसिंह कृष्णपालसिंह पिता जीवनसिंह सुगनकुवर वि. जीवनसिंह जाति राजपूत	388/1	0.130	0.130
8	सुरेश पिता मोहनलाल जाति दर्जी	389/1	0.070	0.070
		392/3	0.113	0.113
		394/1	0.006	0.006
		395/4	0.103	0.103
		396/1	0.058	0.058
		377/4	0.076	0.076
9	रामबाबू पिता मोहनलाल जाति दर्जी	389/2	0.062	0.062
		392/2	0.047	0.047
		395/1	0.154	0.154
		396/3	0.054	0.054
		377/2	0.076	0.076

10	मनोहरलाल पिता नरसगलाल जाति दांगी	389/3	0.095	0.095
		392/1	0.067	0.067
		394/2	0.010	0.010
		394/3	0.016	0.016
		395/2	0.154	0.154
		395/3	0.204	0.204
		396/2	0.062	0.062
		396/4	0.061	0.061
		377/1	0.076	0.076
		377/3	0.076	0.076
11	कालूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत	401	0.142	0.142
		402	0.117	0.117
12	भगवानसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत	399/2	0.115	0.115
13	रघूराजसिंह पिता जसवन्तसिंह अनूपकुंवर बैवा जसवन्तसिंह जाति राजपूत	404/2	0.103	0.103
		405/3	0.283	0.283
		417	0.304	0.304
14	बालूसिंह पिता नाराणसिंह जाति राजपूत	405/1	0.283	0.283
		412/1	0.017	0.017
		413/1	0.011	0.011
		414/1	0.045	0.045
		416/2	0.018	0.018
15	सीताराम पिता बंशीलाल जाति दांगी	406/1	0.512	0.512
		408/1		
16	मांगीलाल पिता शिवनारायण जाति दांगी	406/2 407	0.148	0.148
		408/2/1		
17	रामबाबू पिता शिवनारायण जाति दांगी	408/2/2	0.183	0.183
18	नन्दा पिता लछमन जाति दर्जी	412/2	0.018	0.018
		414/2	0.098	0.098
		416/5	0.039	0.039
19	मोहनलाल पिता लछमन जाति दर्जी	412/3	0.018	0.018
		414/3	0.071	0.071
		416/4	0.018	0.018

20	नर्मदाबाई बैवा ग्यारसीराम गोकुल	413/2	0.382	0.382
	रामप्रसाद कलाश गुडडू पिता	416/9	0.128	0.050
	ग्यारसीराम रोडीबाई संतोषबाई पुत्रीया ग्यारसीराम जाति दर्जी	416/1	0.119	0.119
21	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी	430/1	0.075	0.075
22	बापूलाल पिता गंगाराम जाति दांगी	430/2	0.075	0.075
23	मांगीलाल पिता घीसालाल जाति दांगी	431	0.190	0.190
24	गोकूल रतनलाल पिता कनीराम भागीरथ कालूराम नाथूलाल पिता पूरा फूलसिंह भारमल बापूलाल पिता हिरा जाति दांगी	432	0.182	0.182
25	जोरावरकुंवर बैवा मानसिंह जाति राजपूत	438/1	0.157	0.157
26	गजराजसिंह मेहरवानसिंह पिता गुलाबसिंह चतरकुंवर वि. गोविन्दसिंह देशराजसिंह देवीसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत	438/2	0.090	0.090
		439	0.202	0.202
		206/6	0.202	0.102
27	भगवतसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत	440/1/1	0.214	0.214
28	बजरंगसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत	440/1/2	0.214	0.214
29	मांगीलाल पिता दयाराम जाति बलाई	303/1/2	0.947	0.400
30	प्रभूलाल पिता पुरा जाति बलाई	303/1/5	1.000	0.500
31	भेरू पिता अमरा चम्पीबाई पति भेरू जाति चमार	376/1/1/1	1.012	0.500
32	कनीराम पिता भेरू लीलाबाई पति कनीराम जाति चमार	376/1/1/2	1.012	0.500
33	लक्ष्मण पिता अमरा सरदारबाई पति अमरा जाति चमार	376/1/1/3	1.012	0.200

34	कंवरलाल पिता अमरा केसरबाई पति कंवरलाल जाति चमार	376/1/1/4	1.012	0.700
	योग		19.057	14.583
	शिवपुरा			
35	रामलाल पिता जेराम जाति लोधा	8/10, 106	0.206	0.206
		101, 102 ,103, 104 105	1.530	1.530
36	भेरूलाल पिता उदा नाथू पिता रामा जाति लोधा	112/1,113/ 1, 114/1,115/ 1,116/1,11 7/1	0.430	0.430
37	उंकारलाल पिता रामा जाति लोधा	112/2,113/ 2,114/2,11 5/2,116/2,1 17/2	0.468	0.468
38	शिवलाल पिता उदा जाति लोधा	112/3,113/ 3,114/3,11 5/3,116/3,1 17/3	0.424	0.424
39	कंवरलाल पिता उदा भंवरीबाई वि. उदा जाति लोधा	112/4,113/ 4,114/4,11 5/4,116/4,1 17/4	0.345	0.345
40	दर्यावसिंह चम्पालाल मथरालाल छीतर पिता देवीलाल जाति लोधा	119/2,119/6	0.530	0.530
41	कनीराम पिता रामलाल जाति लोधा	119/1	0.100	0.100
42	पुरा पिता कंवरलाल जाति लोधा	119/4	0.250	0.250
43	जगन्नाथ पिता कंवरलाल जाति लोधा	119/5	0.220	0.220
		119/3	0.050	0.050
44	कालूलाल पिता हिरालाल रामीबाई बैवा हिरालाल जाति लोधा	119/7	0.300	0.300
45	मांगीलाल पिता लाला जाति लोधा	119/8	0.400	0.400

46	देवीसिंह गेन्दीबाई गुलाबबाई पुरीबाई भूलीबाई पिता भेरु जाति लोधा	119/9	0.501	0.475
		137	0.190	0.060
47	मांगीलाल प्रभूलाल पिता रामा जाति लोधा	140	0.089	0.089
		141	0.081	0.081
		142/1	0.250	0.250
48	मांगीबाई पति प्रभूलाल जाति लोधा	142/2	0.179	0.179
		143	0.243	0.243
49	कालूलाल पिता हिरालाल रामीबाई वि. हिरालाल पुरा पिता धूला जाति लोधा	139/2	0.105	0.055
		144	0.352	0.040
50	नन्दूबाई बैवा देवा जाति लोधा	110	0.421	0.421
		108/1/1	0.062	0.062
		122	0.761	0.078
		121	0.526	0.016
51	रुगनाथ पिता मोती जाति लोधा	111/1	0.213	0.213
		120/2	0.198	0.198
		108/2/1	0.078	0.078
52	मांगीलाल गंगाराम उंकार पिता देवा जाति लोधा	111/2	0.212	0.212
		108/2/2	0.404	0.348
53	कनीराम पिता किशन जाति लोधा	108/3/1	0.241	0.241
		120/1	0.198	0.198
54	दूधालाल पिता किशन जाति लोधा	108/1/2	0.202	0.202
		109	0.166	0.166
		126/2	0.263	0.263
55	परथीसिंह पिता किशन जाति लोधा	108/1/3	0.203	0.203
		108/3/2	0.241	0.241
	योग		11.632	9.865
	कुल योग		30.689	24.448

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश
राजस्व विभाग**

रा0प्र0 कमांक/03 /अ-82/2015-2016/भू-अर्जन, छिन्दवाड़ा, दिनांक 05/03/ 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत दुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में दुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	अमरवाडा	ग्राम-बिलेहरा, प0ह0न0 -43, ब0न0-211, रा0नि0म0- अमरवाडा,	1. जेदू, तेजलाल पिता खुन्नू तेली,निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिलेहरा 2 कचरा पति रत्नू अहीर निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिलेहरा 3. श्रीपाल, श्रीराम पिता बेनीराम रखिया बेवा बेनीराम गोंड,निवासी ग्राम भूमि स्वामी- बिलेहरा	5/2 5/1 14/2	01.618 0.225 0.225	दुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

			4. सरोज पति देवीलाल गोंड, निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिलेहरा	39/3 39/4	0.287 0.613	
		कुल योग		5	02.968 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ-25-88/2018/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे। यह वनखण्ड 22°24'26.00" से 22°24'59.00" उत्तर अक्षांश तथा 76°58'48.00" से 76°59'51.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - हरदा
वन मंडल - हरदा

तहसील - हंडिया
वन परिक्षेत्र - हंडिया

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	बैडी	बैडी	मगरधा क्षतिपूर्ति वनीकरण वनमंडल	1/2	25.000	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 06 तक कृत्रिम वनसीमा पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 11 तक कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 17 तक कृत्रिम वनसीमा पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	25.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का अधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./8/646/84/एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 25.000 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 25.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश 664/बी/21 दिनांक 21.09.2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-88-2018-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-88-2018-दस-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F-25-88/2018/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N22⁰24'26.00" to N22⁰24'59.00" North Latitude and E76⁰58'48.00" to E76⁰59'51.00" East Longitude.

SCHEDULE

District : Harda
Forest Division : Harda

Tahsil : Handiya
Forest Range : Handiya

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasara No.	Area (Hec.)	
1	Bedi	Bedi	Magardha Chhatipurti Vanikarn Van Mandal	1/2	25.000	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 01 to 06 of Protected Forest Block East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 06 to 11 of Protected Forest Block South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 11 to 17 of Protected Forest Block West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 17 to 01 of Protected Forest Block
				Total	25.000	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./8/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 25.000 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Sardar sarovar Project** of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 25.000 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Order 664/B/21 dated 21.09.2001 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- (Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ-25-89/2018/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे। यह वनखण्ड 22°40'57.00" से 22°41'76.00" उत्तर अक्षांश तथा 76°93'50.00" से 76°95'55.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - हरदा
वन मंडल - हरदा

तहसील - हंडिया
वन परिक्षेत्र - हंडिया

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	आदलपुर रैयतबाडी	आदलपुर	चट्टान	38	43.507	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक कृत्रिम वनसीमा
				69	14.407	पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 18 तक कृत्रिम वनसीमा
				70	21.306	दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 27 तक कृत्रिम वनसीमा
						पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 27 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	79.220	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./8/646/84/एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 79.220 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 79.220 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.220 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर होशंगाबाद के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./93/19(3)92-93 दिनांक 03.12.1992 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-89-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-89-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F-25-89/2018/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N22⁰40'57.00" to N22⁰41'76.00" North Latitude and E76⁰93'50.00" to E76⁰95'55.00" East Longitude.

SCHEDULE

District : Harda
Forest Division : Harda

Tahsil : Handiya
Forest Range : Handiya

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)		
1.	Adalpur Raiyatwadi	Adalpur	Chattan	38	43.507	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 01 to 13 of Protected Forest Block	
				69	14.407		
				70	21.306		East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 13 to 18 of Protected Forest Block
							South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 18 to 27 of Protected Forest Block
						West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 27 to 01 of Protected Forest Block	
				Total	79.220		

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./8/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 79.220 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Sardar Sarovar Project** of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 79.220 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Order No./9A/19(3)92-93 dated 03.12.1992 of Collector Distt. Hoshangabad M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No-Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ-25-91/2018/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे। यह वनखण्ड 22°21'49.261" से 22°22'11.419" उत्तर अक्षांश तथा 76°59'52.392" से 77°00'20.709" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - हरदा
वन मंडल - हरदा

तहसील - हंडिया
वन परिक्षेत्र - हंडिया

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	बैडागांव	बैडागांव	बड़ा झाड का वन	88/1	53.082	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 12 तक कृत्रिम वनसीमा पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 16 तक कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 16 से 23 तक कृत्रिम वनसीमा पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 1 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	53.082	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./8/646/84/एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 53.082 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 53.082 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 53.082 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश क्रमांक/11644/री/01/04 हरदा दिनांक 18.08.2004 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2019

एफ-25-91-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-91-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F-25-91/2018/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N22⁰21'49.261" to N22⁰22'11.419" North Latitude and E76⁰59'52.392" to E77⁰00'20.709" East Longitude.

SCHEDULE

District : Harda
Forest Division : Harda

Tahsil : Handiya
Forest Range : Handiya

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Beda gaon	Beda gaon	Bada Jhad Van	88/1	53.082	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 01 to 12 of Protected Forest Block East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 12 to 16 of Protected Forest Block South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 16 to 23 of Protected Forest Block West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 23 to 01 of Protected Forest Block
				Total	53.082	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./8/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 53.082 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Sardar sarovar Project** of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 53.082 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Order No. 11644/Ri/01/04 order dated 18-08-2004 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ-25-93/2018/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°26'27.116" से 22°26'41.092" उत्तर अक्षांश तथा 76°59'57.869" से 77°00'2.632" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - हरदा
वन मंडल - हरदा

तहसील - हंडिया
वन परिक्षेत्र - हंडिया

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्द	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	कुसिया	कुसिया	वन चराई के लिये	39	13.631	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 06 तक कृत्रिम वनसीमा पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 08 तक कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 02 तक कृत्रिम वनसीमा पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 02 से 06 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	13.631	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./B/646/84/एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 13.631 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.631 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.631 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश क्रमांक 126/बी/21/03/04 दिनांक 30.07.2004 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-93-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-93-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F-25-93/2018/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N22°26'27.116" to N22°26'41.092" North Latitude and E76°59'57.869" to E77°00'2.632" East Longitude.

SCHEDULE

District : Harda
Forest Division : Harda

Tahsil : Handiya
Forest Range : Handiya

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Kusiya	Kusiya	Van Charai	39	13.631	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 06 to 06 of Protected Forest Block East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 06 to 08 of Protected Forest Block South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 08 to 02 of Protected Forest Block West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 02 to 06 of Protected Forest Block
				Total	13.631	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./B/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 13.631 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Sardar sarovar Project** of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 13.631 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Order No. 126/B/21/03/04 dated 30.07.2004 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ-25-92/2018/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे। यह वनखण्ड 22°26'10.429" से 22°26'28.837" उत्तर अक्षांश तथा 76°59'30.441" से 77°00'2.632" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची.

जिला - हरदा
वन मंडल - हरदा

तहसील - हंडिया
वन परिक्षेत्र - हंडिया

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	भादूगांव	भादूगांव	वन	1, 13/3	35.627 0.742	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 8 तक कृत्रिम वनसीमा पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 12 तक कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 15 तक कृत्रिम वनसीमा पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	36.369	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./8/646/84/एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 36.369 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.369 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 36.369 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर हरदा के आदेश रा.नि. 26/बी/21/01/02 दिनांक 05.03.2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-92-2018-10-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-92-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March 2019

No.F-25-92/2018/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N22°26'10.429" to N22°26'28.837" North Latitude and E76°59'30.441" to E77°00'2.632" East Longitude.

SCHEDULE

District : Harda
Forest Division : Harda

Tahsil : Handiya
Forest Range : Handiya

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Area (Hec.)	Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.		
1	Bhadu gaon	Bhadu gaon	Van	1, 13/3	35.627 0.742	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 01 to 09 of Protected Forest Block East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 09 to 12 of Protected Forest Block South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 12 to 17 of Protected Forest Block West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 17 to 01 of Protected Forest Block
				Total	36.369	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./8/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 36.369 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Sardar sarovar Project** of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 36.369 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Order No. 26/B/21/01/02 dated 05.03.2003 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No- Nil dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ-25-103/2018/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे। यह वनखण्ड खेड़ा (अ) 22°41'5.00" से 22°41'19.00" उत्तर अक्षांश तथा 76°96'93.00" से 76°97'28.00" पूर्व देशांश खेड़ा (ब) 22°41'5.00" से 22°41'19.00" उत्तर अक्षांश तथा 76°96'93.00" से 76°97'28.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - हरदा
वन मंडल - हरदा

तहसील - हंडिया
वन परिक्षेत्र - हंडिया

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	खेड़ा	खेड़ा(अ)	चट्टान चराई के लिये	168/1	18.782	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 03 तक कृत्रिम वनसीमा
						पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा
						दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 28 तक कृत्रिम वनसीमा
						पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 28 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा
2.	खेड़ा	खेड़ा(ब)	चट्टान चराई के लिये	168/1	50.000	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 03 तक कृत्रिम वनसीमा
						पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा
						दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 28 तक कृत्रिम वनसीमा
						पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 28 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	68.782	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./8/646/84/एफ.सी. दिनांक 07.10.1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 68.782 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 68.782 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 68.782 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में

कलेक्टर हरदा के आदेश क्रमांक 125/बी/21/03/04 दिनांक 28.05.2001 एवं दिनांक 30.07.2004 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण – निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हरदा के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- 1- व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
- 2- सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-103-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-103-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March, 2019

No.F-25-103/2018/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act. 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between Kheda (A) N22⁰41'5.00" to N22⁰41'19.00" North Latitude and E76⁰96'93.00" to E76⁰97'28.00" East Longitude. Kheda (B) N22⁰41'5.00" to N22⁰41'19.00" North Latitude and E76⁰96'93.00" to E76⁰97'28.00" East Longitude.

SCHEDULE

District : Harda
Forest Division : Harda

Tahsil : Handiya
Forest Range : Handiya

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Kheda	Kheda (A)	Chattan Charai	168/1	18.782	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 01 to 03 of Protected Forest Block
						East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 03 to 05 of Protected Forest Block
						South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 05 to 28 of Protected Forest Block
						West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 28 to 01 of Protected Forest Block
2	Kheda	Kheda (B)	Chattan Charai	168/1	50.000	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 01 to 03 of Protected Forest Block
						East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 03 to 05 of Protected Forest Block
						South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 05 to 28 of Protected Forest Block
						West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 28 to 01 of Protected Forest Block
Total					68.782	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./8/646/84-F.C. dated 07.10.1987 and in lieu of 68.782 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Sardar sarovar Project** of Narmada valley Development Authority the above mentioned Non Forest Land of 68.782 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Order No. 200/B/21/03/04 dated 16-07-2014 & 123/B/21/03/04 dated 28.05.2001 & dated 30.07.2004 of Collector Distt. Harda M.P. for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No-(Nil) dated Nil of Revenue officer Tahsildar harda (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

Bhopal, the 13th March, 2019

संशोधन

No. F-25-104-2018-10-3.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-02-2019 एवं प्रकाशन दिनांक 08-03-2019 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये :-

(A) Reason for publication of Notification की कण्डिका-2 में 8वीं पंक्ति में अंकित

"Order No./19-14/05/98 Dated 19-0-1999

के स्थान पर

"Order No./19-14/05/98 Dated 19-04-1999
पढ़ा जाये।

संशोधन

No. F-25-105-2018-10-3.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-02-2019 एवं प्रकाशन दिनांक 08-03-2019 के अंग्रेजी संस्करण में निम्नानुसार संशोधन कर पढ़ा जाये :-

"Order No.F-25-106/2018/10-3

के स्थान पर

"Order No.F-25-105/2018/10-3
पढ़ा जाये।

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

क्रमांक-एफ-25-106/2018/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति के न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 21°24'5.3" से 21°24'17.4" उत्तर अक्षांश तथा 77°44'17.4" से 77°44.30.4" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - बैतूल

वन मंडल - दक्षिण बैतूल

तहसील - आठनेर

वन परिक्षेत्र - सावलमेंड़ा

अ. क्र.	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	अंधेरबावड़ी	अंधेरबावड़ी	बड़े झाड़ का जंगल	40/12	9.105	उत्तर-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक कृत्रिम वनसीमा पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 06 तक कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 09 तक कृत्रिम वनसीमा पश्चिम- ग्राम एनखेड़ी की दक्षिणी सीमा से लगा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा
				योग	9.105	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./B.C./1/161/93-FCW दिनांक 12.05.1994 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाराष्ट्र शासन, सिंचाई विभाग की स्वीकृति म.प्र. महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय पूर्णा रिवर सिंचाई परियोजना में प्रभावित 9.105 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 9.105 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.105 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक राजस्व मामला क्रमांक 21अ/19 वर्ष 1990-91 दिनांक 04.07.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
- अन्य कारणों का विवरण - निरंक।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार आठनेर (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक/टी.के.जी./2015/983 दिनांक 26.09.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2019

एफ-25-106-2018-10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-106-2018-10-3 दिनांक 13 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 13th March, 2019

No.F-25-106/2018/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927(XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest Block lies between N21⁰24'5.3" to N21⁰24'17.4" North Latitude and E77⁰44'17.4" to E77⁰44'30.4" East Longitude.

SCHEDULE

District : Betul

Forest Division : South Betul

Tahsil : Athner

Forest Range : Sawalmendha

S.N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	Andherbawdi	Andherbawdi	Big Tree Forest	40/12	9.105	North- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 01 to 04 of Protected Forest Block East- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 04 to 06 of Protected Forest Block South- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 06 to 09 of Protected Forest Block West- Attached from Village-Ankhedi southern boundary of Protected Forest Block Artificial Forest Boundary from Pillar no. 09 to 01.
				Total	9.105	

(A) Reason for Publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt. of India's order No./B.C./1/161/93-FCW dated 12.05.1994 and in lieu of 9.105 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of **Maharashtra Govt. Irrigation Dept. of M.P. Maharashtra Inter State Purna Reber Irrigation Project**, the above mentioned Non Forest Land of 9.105 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by Order No.

21A/19 Year 1990-91 dated 04.07.1991 of Collector Distt. Betul for the purpose of compensatory afforestation

2. Details of other Reasons Nil

(B) The Khasara wise details of recorded right on the above land as per report No./T.K.G./2015/983 dated 26.09.2015 of Tahsildar Athner (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2018

क.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-मॉ रेवा-2018-19-200,- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा0 लि0, ग्राम-नर्मदानगर, तहसील-कुक्षी, जिला-धार (म.प्र.) के लिये संशोधन कर नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/तहसील	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	धार/कुक्षी	फैक्ट्री गेट	55	442.59
2	धार/गंधवानी	फैक्ट्री गेट	14	16.15
3	धार/मनावर	फैक्ट्री गेट	48	863.58
4	बड़वानी/अंजड़	फैक्ट्री गेट	09	253.59
5	बड़वानी/बड़वानी	फैक्ट्री गेट	34	245.98
6	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	07	3.60
	कुल		167	1825.49

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त.

तहसील अंजड़ (जिला-बड़वानी)				
कं	ग्राम	क्षेत्रफल हेक्टर	रोड़ दूरी कि.मी.	
			मॉ रेवा	ओलम शुगर्स
1	चकेरी	4.4	29	28
2	अंजड़	52.8	28	31
3	मोहीपुरा	0.4	34	20
✓ 4	दतवाड़ा	111.66	33	35
✓ 5	आवली	55.59	33	39
6	केसरपुरा (पुनरवाँस)	0.5	40	33
✓ 7	छोटा. बड़दा	82.01	31	35
✓ 8	छापरी	0.5	35	40
✓ 9	विलवा रोड	0.4	29	39
✓ 10	सुराना	0.5	33	35
11	गोलादा	18.66	34	35
12	बड़गाँव	0.6	36	35
✓ 13	झोलपीपरी	0.4	29	35
✓ 14	साजवाय	2.13	36	40
✓ 15	पलासियाँ	0.4	36	42
16	लोन्सरा	9.31	27	41
	योग	340.26		

तहसील-बड़वानी (जिला-बड़वानी)				
कं	ग्राम	क्षेत्रफल हेक्टर	रोड़ दूरी कि.मी.	
			मॉ रेवा	ओलम शुगर्स
✓ 1	बड़वानी	35	12	48
✓ 2	तलून	5.99	20	43
✓ 3	बोरलाय	10	25	39
✓ 4	धनौरा	12	26	34
✓ 5	पिपरी	5.76	25	35
✓ 6	कालीबेड़ी	1	15	35
✓ 7	तलाड़ा बुजूर्ग	1.2	25	35
✓ 8	पिपलाज	0.5	19	41
✓ 9	कुंडिया	50	16	43
✓ 10	छोटी-कसरवद	18.55	9	52
✓ 11	पिपलुद	35	26	35
✓ 12	उटावद	2.49	27	34
✓ 13	संगावा	6.2	34	37
✓ 14	करी	13.18	24	43
✓ 15	कल्यानपुरा	0.5	14	49
✓ 16	खेड़ी	0.5	7	49
✓ 17	बगुद	14	25	41
✓ 18	एकलारा	9.03	14	47

तहसील-बड़वानी (जिला-बड़वानी)				
कं	ग्राम	क्षेत्रफल हेक्टर	रोड़ दूरी कि.मी.	
			माँ रेवा	ओलम शुगर्स
✓ 19	जागरवा	0.5	28	62
✓ 20	पिछोड़ी	0.59	18	66
✓ 21	जामदा	0.4	15	66
✓ 22	कोठड़ा	0.3	20	64
✓ 23	अवल्दा	0.5	26	64
✓ 24	भावती	3.2	30	64
✓ 25	बिजासन	0.43	42	76
✓ 26	मोरकटा	0.5	40	74
✓ 27	निवा	0.5	39	73
✓ 28	अमलाली	0.4	31	65
✓ 29	पेन्द्ररा	0.6	16	51
✓ 30	भिलखेड़ा	8.09	15	51
✓ 31	राजधाट (कुकरा)	1.25	16	49
✓ 32	नायनपुरा	0.5	22	58
✓ 33	पाल्या	4.83	22	58
✓ 34	सोन्दुल	2.49	24	58
	योग	245.98		

लहरी - राजपुर (जिला-बड़वानी)				
कं	ग्राम	माँ रेवा	रोड़ दूरी कि.मी.	
		क्षेत्रफल हेक्टर	माँ रेवा	ओलम शुगर्स
✓ 1	साली	0.5	30	40
✓ 2	भागसुर	0.5	39	41
✓ 3	कासेल	0.5	40	42
X 4	मंदील	0.4	43	39
✓ 5	बालकुआँ	0.5	22	42
✓ 6	भामी	0.6	28	46
✓ 7	मोरनी	0.5	35	48
X 8	रधला	0.4	55	65
✓ 9	सिंगुन	0.5	34	48
	योग	4.4		

तहसील-कुशी (जिला-धार)				
कं	ग्राम	मॉ रेवा	रोड़-दूरी कि.मी.	
		क्षेत्रफल हेक्टर	मॉ रेवा	ओलम शुगर्स
1	चिखल्दा	39.62	4	59
2	गेहलगॉव	3.39	5	63
3	मलवाडा	80.05	6	55
4	कड़माल	23.21	9	71
5	खापड़खेडा	37.96	8	70
6	बाजड़ीखेड़ा	21.58	9	70
7	नर्मदानगर (खेड़ा- सिस)	130.32	2	62
8	निसरपुर	8.45	15	77
9	कोटेश्वर	0.35	21	83
10	कोणदा	0.5	21	83
11	दोगावा	0.5	36	98
12	कुआ-धर्मराय	0.5	34	96
13	भवरिया	20.62	23	85
14	पिपल्या	0.4	11	73
15	पुरा	1.48	6	68
16	दोंद	0.4	9	70
17	कोठड़ा	1.77	19	80
18	बोधवाड़ा	19.51	7	69
19	लिंगवा	2.62	6	68
20	बेडबालियोँ	0.4	10	72
21	सुसारी	1.54	27	89
22	करोदीयोँ	0.34	13	75

23	नवादपुरा	0.1	24	86
24	डेहर	0.5	28	90
25	देशवालियाँ	1.1	26	88
26	कुक्षी	12.72	31	93
27	बड़दा	5.92	41	103
28	पड़ियाल	0.1	35	97
29	कटनेरा	1.67	18	80
30	कापशी	9.91	38	100
31	आली	2.1	40	102
32	सिलकुआँ	0.4	34	96
33	रिक्ती	0.4	35	88
34	रसवा	0.5	35	88
35	तालनपुर	2.51	36	98
36	डोगरगाँव	0.1	36	98
37	पिथमपुर	0.1	32	94
38	बबुलसा	0.6	32	94
39	अमलझुमा	0.4	35	97
40	धनोरा	0.4	36	98
41	लोनी	0.45	29	91
42	गोरदा	0.4	36	98
43	रेक्ती	0.6	26	91
44	खंडवा	1	35	97

45	दाहोद	0.4	45	107
46	खरजाना	0.6	46	108
47	गोगावा	0.4	35	97
48	गोरडा	0.8	35	97
49	किकरवास	0.4	36	98
50	जमदा	0.1	38	100
51	अतारसुमा	0.4	36	98
52	खड़जाना	0.5	37	99
53	बदवानिया	0.6	35	98
54	सिद्धी	0.5	40	102
55	बारुद	0.4	40	102
	योग	442.59		

तहसील-गंधवानी (जिला-धार)				
कं	ग्राम	माँ रेवा	रोड़ दूरी कि.मी.	
		क्षेत्रफल हेक्टर	माँ रेवा	ओलम शुगर्स
1	सोनगाँव	0.39	20	78
2	पानवा	3.14	36	65
3	पीपली	0.94	24	65
4	खण्डलाई	0.5	32	62
5	जिरावाद	0.4	45	75
6	गंधवानी	4.97	32	75
7	देदली	0.5	23	68
8	मलहेरा	1.3	34	68
9	साली	0.5	35	67
10	टोनगाँव	0.4	35	62
11	सातउमरी	0.5	45	62
12	बखतला	0.5	35	63
13	बापदूत	1.05	35	65
14	सनमोद	1.06	37	65
	योग	16.15		

तहसील-मनवार (जिला-धार) वर्ष 2018-19					
कं	ग्राम	मॉ रेवा	रोड़ दूरी कि.मी.		
		क्षेत्रफल हेक्टर	मॉ रेवा	ओलम शुगर्स	जे.एल.एन शुगर्स
✓ 1	देवगढ	13.86	9	61	76
✓ 2	कवटी	2.72	17	63	78
✓ 3	साततलाई	0.5	12	61	76
4	सरिफपुरा	30.86	48	62	78
5	उस्दना	16.37	35	42	80
✓ 6	सिंधाना	3.61	15	74	89
✓ 7	गणपुर	8.4	5	60	91
8	जोतपुर	8.98	45	62	85
✓ 9	गिपलाज	14	16	56	75
✓ 10	सेमल्दा	74	24	70	85
✓ 11	अछोदा	176	✓ 23	✓ 64	72
✓ 12	सिरसाला	4.72	28	55	70
✓ 13	डोगरगाँव	5.21	18	55	70
✓ 14	करौली	21	18	70	85
✓ 15	बड़गाँवखेडी	9.51	24	80	95
✓ 16	मांडवी	2.19	7	९3	85
✓ 17	बालीपुर	0.5	33	65	80
18	अजंदा	27	46	55	72
✓ 19	एकलबारा	134	19	73	88
✓ 20	पेरखड़	90.34	26	65	80

तहसाल-मनावर (जिला-धार) 20/8/17					
कं	ग्राम	माँ रेवा	रोड़ दूरी कि.मी.		
		क्षेत्रफल हेक्टर	माँ रेवा	ओलम शुगर्स	जे.एल.एन शुगर्स
✓ 21	वायल	4.53	40	59	75
✓ 22	सिरसी	9.02	8	59	75
✓ 23	पिपरीमान	22	41	59	75
✓ 24	गोपालपुरा	8.12	11	60	75
✓ 25	भरडपुर	0.5	38	70	85
✓ 26	पिपरी	0.94	24	70	85
✓ 27	लुन्हैरा	5.4	36	80	95
✓ 28	कलवानी	18	34	68	83
✓ 29	अजंदीकोट	0.4	20	65	80
✓ 30	जाजमखेड़ी	1.46	26	65	80
✓ 31	मनावर	11	32	59	74
✓ 32	टोकी	0.05	37	64	80
✓ 33	साला	4.67	20	65	80
✓ 34	खेड़ीहवेली	1.46	37	66	81
✓ 35	रणतलाव	0.3	38	65	79
✓ 36	कुराड़ा-खाल	0.4	23	65	79
✓ 37	मेहताखेड़ी	0.4	18	75	90
✓ 38	झापड़ी	0.5	18	71	86
✓ 39	गूलाटी	0.4	26	65	80
✓ 40	बागलिया	5.07	28	61	76
✓ 41	देवला	19	35	61	76
✓ 42	लाखनकोट	0.2	27	71	86
✓ 43	अजंदीकोट	0.4	34	52	67
✓ 44	जाटपूर	0.5	34	63	78

X	45	रतवा	26	38	59	75
✓	46	बड़ा-बडदा	99	42	59	75
X	47	मलनगाँव	45	51	59	75
✓	48	बाकानेर	0.4	39	51	72
✓	49	पटवार	22	47	59	75
✓	50	दगड़पुरा	0.4	47	60	75
✓	51	कुवाड़	0.5	41	54	79
✓	52	जलखेडा	11	38	55	70
✓	53	कुवाली	26	43	55	72
✓	54	मिर्जापुर	29	46	70	85
		योग	1017.79			

क.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-ओलम-2018-19-203,- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2018-19 हेतु ओलम एग्री इण्डिया प्रा०लि० यूनिट बड़वानी शुगर, तहसील-ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.) के लिये संशोधन कर नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क.	जिला/विकास खण्ड	कय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	बड़वानी/ठीकरी	फैक्ट्री गेट	52	2272.60
2	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	06	15.28
3	बड़वानी/सैंधवा	फैक्ट्री गेट	05	41.91
4	खरगोन/कसरावद	फैक्ट्री गेट	06	36.81
5	खरगोन/महेश्वर	फैक्ट्री गेट	01	21.23
6	धार/धरमपुरी	फैक्ट्री गेट	10	100.30
7	धार/उमरबन	फैक्ट्री गेट	16	256.81
	कुल		96	2744.94

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये है, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समयपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मुकेश कुमार शुक्ला, गन्ना आयुक्त.

विकासखण्ड -- ठीकरी (जिला बड़वानी)

क्रं.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
1	कुआं	3	3	194.52
2	केरवा	2	3	20.36
3	कपाल्याखेड़ी	3	6	25.18
4	घटवा	1	1	61.14
5	अभाली	2	3	58.68
6	भगवानपुरा	2	2	77.39
7	जरवाह	2	7	88.53
8	उमरदा	2	2	57.67
9	हतोला	13	13	1.70
10	सेगवाल	2	4	113.18
11	ठीकरी	4	6	235.94
12	रणगांव	5	6	40.15
13	खुरमपुरा	5	15	12.41
14	मदसब्या	9	21	
15	रहड़कोट	11	23	
16	कुड़िया	2	7	
17	बांदरकच्छ	13	16	8.61
18	ब्राम्हणगांव	6	10	105.89
19	लखनगांव	9	13	21.72
20	अजंदी	5	12	15.77
21	देवला	6	9	39.92
22	रसवाडेब	10	17	15.29
23	मारुचिचली	13	13	69.90
24	चेनपुरा	11	20	46.52
25	गवला	11	13	44.36
26	कुसमाल	6	15	
27	ननगांव	5	13	24.07
28	दवाना	5	7	138.13
29	विश्वनाथखेड़ा	8	17	72.02
30	बलगांव	5	8	8.59
31	कालापानी	4	12	
32	टिटगारिया	7	10	52.48
33	दाबड़	5	10	43.53
34	सेमल्दा डेब	12	16	6.53
35	घट्टी	5	10	3.92

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
36	बावडिया	17	19	12.85
37	फल्गापुर	19	20	2.07
38	किरगंही	19	23	32.44
39	मंडवाड़ा	22	23	43.12
40	पिपल्याडेव	17	19	9.78
41	लोहारा	16	22	51.77
42	कसरपुरा	22	27	47.43
43	नलवाय	13	19	12.87
44	तलवाड़ाडेव	14	16	38.40
45	पान्या	22	25	4.92
46	रणगांवडेव	22	25	33.61
47	उचावद	17	23	36.13
48	पिडोला	19	23	
49	बिलवाडेव	18	24	0.96
50	मेहगांव डेव	11	16	18.65
51	हरीबड़	13	29	4.67
52	वडगांव	19	28	2.46
53	चंगरी	15	34	
54	पाडला	17	32	3.89
55	बिलवा रोड	31	37	1.62
56	गोबल पिडोला	25	32	
57	पद्मासिया	26	29	
58	अंजड़	25	32	81.84
59	भोडीपुरा	24	38	85.07
60	बलवासा	28	38	136.87
61	गालाटा	28	39	19.28
62	चंगरी	27	29	24.27
63	छापरी	17	27	
64	सज्जवाई	27	30	
65	आबली	31	37	59.00
66	छोटा बड़वा	31	37	69.90
67	सुराजा	22	28	
68	कोयडिया	19	23	2.07
	योग			2538.09

2538.09

वर्ष
दिनांक
2019

महासखण्ड - राजपुर (जिला बड़वानी)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
1	अमेश्वर	32	62	
2	रुणसावराड	29	42	
3	नामलवाडी	33	68	
4	आमरावगाव	24	32	
5	जनगाव	17	31	2.04
6	सिनगुन	17	27	
7	खिजावडा	18	31	
8	जालखडा	38	71	
9	राजपुर	26	35	1.29
10	उपला	30	35	1.60
11	मारील	26	33	7.35
12	आली	31	33	
13	मानसपुर	30	32	
14	कासील	32	34	
15	साकड	26	33	1.90
16	मानकपुरी	22	28	
17	भरुली	22	36	
18	भरुली	23	34	
19	रुणवेदा	17	30	1.10
	योग	06		15.28

महासखण्ड - रौंधवा (जिला बड़वानी)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
1	पिसनावल	45	55	7.35
2	दरुला	72	80	
3	बलवाडी	69	75	
4	दुगाणी	68	75	
5	सुप्रिया	65	73	
6	अजनगाव	52	68	1.38
7	भामनिया	54	68	0.29
8	छिगली	51	68	
9	मेहडगाव	46	68	27.91
10	सिलदर	65	73	4.98
	योग	05		41.91

विकास खण्ड - कसरापद (जिला खरगोन)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
1	निमराजी	10	12	37.24
2	हतीला	13	34	-
3	जशाली	5	14	35.95
4	धिचली	6	18	170.14
5	भाईन्दा	5	18	241.70
6	कडस	7	20	45.44
7	गाटवेडिया	7	22	3.35
8	पथारा	16	30	-
9	इसगवा	15	21	38.48
10	बलखड	14	18	-
11	अहिर धामनादे	9	18	-
12	खलढाका	10	18	57.22
13	खलबुजुर्ग	10	18	5.27
14	मत्तसार	12	23	-
15	मालपुरा	5	15	-
16	जलखा	17	22	-
17	अकबरपुर	17	21	-
18	शेनवा	16	21	0.65
19	सजाटी	6	12	12.37
20	मानवा	15	21	12.33
21	नगावा	8	16	1.95
22	नमरखेडी	8	12	7.63
23	खडकवानी	9	17	2.99
24	पिपलझोपा	8	14	10.88
25	डावरी	12	44	-
26	अमलाधारा	32	58	120.50
27	साठपुर	17	27	2.85
28	जालनामुद	15	21	88.93
29	बलखेडा	21	28	17.44
	योग			311.31

विकास खण्ड - खरगोन (जिला खरगोन)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
X 1	बगवा	16	22	
X 2	डोंगरगांव	21	65	
X 3	डहरी	29	68	55.12
	योग			55.12

11 (0.0)

विकास खण्ड - महेश्वर (जिला खरगोन)
उप-खण्ड

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
1	बड़ली	25	31	10.26
2	खवाडी	24	32	38.92
3	जलकान्ठ	19	34	44.66
4	इटावदी	28	35	21.23
5	मात्रपुर	27	33	9.74
6	माचंदा	26	31	10.81
	योग			135.62

क्र.सं.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
X 1	खलघाट	15	18	39.34
X 2	भुदेल	15	33	95.11
X 3	बगडीपुरा	13	34	31.49
X 4	रालगाव	10	36	35.00
X 5	हलनावर	9	37	93.40
X 6	बनाडी	12	36	30.36
X 7	उरुडगाव	16	39	49.63
X 8	पेडगी	12	36	1.46
X 9	खुनावा	10	32	27.04
X 10	कामनीइ	20	26	27.85
X 11	गोपबंदगाडी	11	24	46.54
X 12	निमोडा	11	26	31.50
X 13	मोरगडी	16	22	28.88
X 14	साता	13	21	10.86
X 15	कुडिया	12	22	19.85
X 16	धरमपुरी	10	30	32.70
X 17	बगवा	20	28	3.48
X 18	गोपावा	10	28	
X 19	प्रदन्मवद	17	30	7.71
X 20	बलवाडा	17	25	1.43
X 21	धोपदा	11	38	11.67
X 22	पगारा	14	35	4.62
X 23	मन्थारिया	21	32	
X 24	गुणपुर	12	28	
X 25	कल्यापुर	11	35	1.68
X 26	रंगवा	12	36	8.44
X 27	रामपुरा	12	36	13.25
X 28	खामरा	13	34	
X 29	उदीवर	24	30	0.41
X 30	सुकनरा	10	36	
X 31	छोटीनिमराणी	13	33	
X 32	तारागड	14	40	10.97
X 33	मिखसन	15	26	
X 34	गुजरास	20	28	
X 35	मण्डला	14	40	
X 36	मूलाडी	10	26	0.49
X 37	भाटपुरा	17	30	
X 38	उतारगाव	14	35	
X 39	मेहगाव	18	33	
X 40	गुजरी	23	42	0.72
X 41	पन्थावा	18	36	
X 42	डोल	18	31	
X 43	बयलीपुरा	16	47	
X 44	शाकरुड	15	38	1.85
X 45	मकान्या खुद	14	25	3.97
X 46	तारापुर	21	43	1.21
	योग			672.91

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	सड़क दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर
	रतवा	20	60	22.48
	दवलरा	13	38	45.68
	जयलडा	13	42	94.86
	दवलई	13	38	11.09
	गंगावा	11	46	33.36
	रतवार	19	50	31.33
	आटी दवलई	13	41	19.61
	कुवाली	23	57	27.74
	जलखिडा	22	57	15.49
	दमगाव	16	48	
	डेहगाव	14	38	3.61
	दाकानेर	21	55	19.74
	फुडियापुरा	18	40	3.95
	राजपुरा	19	53	25.95
	झिरवी	19	40	18.02
	अनलाथा	16	43	16.49
	सरसागांव	15	42	7.21
	अहीरबास	15	48	
	कालीबावडी	16	46	
	प्रतापपुर	18	50	
	मोद कानापुर	12	37	0.96
	दाभड	15	45	5.81
	महापुरा	14	40	11.34
	मन्नापुरा	21	60	40.67
	निजापुर	21	58	8.89
	बाजीपुर	15	46	
	रधा	22	56	
	कडगाव	22	70	
	छितरी	23	50	1.86
	श्यामजीपुरा	21	60	
	कल्याणपुरा	16	51	3.69
	दमडपुरा	15	60	0.68
	लुन्हेरा	19	43	22.01
	भुवादा	22	55	16.92
	कलाल्दा	23	51	0.87
	बडा बडदा	24	60	98.33
	योग			578.64

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 26 फरवरी 2019

प्र. क्र. 1166-10-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	चटुआ	11.681	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर, म. प्र.	धनपुरी जलाशय योजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
		मझगवां	4.865		
		धनपुरी	32.860		
		योग . .	49.406		
		धनपुरी	1.582	भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर, म. प्र.	धनपुरी जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
			0.500		
		धनगवां	0.576		
		बम्हनी	1.038		
			0.500		
		योग . .	4.196		
		कुल योग . .	53.602		

शासकीय भूमि का रकबा

ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
चटुआ	1.538
मझगवां	0.041
धनपुरी	16.362
धनगवां	0.030
बम्हनी	0.040
योग . .	18.011

वन भूमि का रकबा

ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
धनपुरी	4.655
योग . .	4.655
महायोग . .	76.268

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 मार्च 2019

क्र. 58-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	महमूदपुर	0.480	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.	रीवा जिले के महमूदपुर देवरा मार्ग के कि.मी. 1/10 में पकडियार नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है.

क्र. 59-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कोलहा 86	0.734	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.	रीवा जिले के कल्याणपुर कोलहा मार्ग के कि.मी. 1/2 में सतधार नदी पर पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी तहसील जवां, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2019, 5 मार्च 2019

क्र. 02-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि ग्राम इन्द्रा, तहसील बरेला, जिला जबलपुर के अंतर्गत अमझर-लौहकारी-इन्द्रा-पड़वार-बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	बरेला	इन्द्रा	0.31	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.	अमझर-लौहकारी-इन्द्रा- पड़वार-बरेला मार्ग में गौर नदी पर पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कॉलम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2019

पत्र क्र. 267-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	अटारी-574, क	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 269-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रघुराजगढ़-574	0.500	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 271-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मरुगंज	पनिगवां-587	0.100	कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 273-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा

चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सेमरिया	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा म. प्र.	बेला वितरक के माइनर क्र. 09 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 275-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	विछिया खुर्द	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा म. प्र.	बेला वितरक के माइनर क्र. 07 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 277-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पड़री	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा म. प्र.	बेला वितरक के माइनर क्र. 04 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 279-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ढ़ाही वीरान	3.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बेला वितरक के माइनर क्र. 11 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 281-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सेमरी कला-617	4.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 283-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व

में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	डेल्ही 242	2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 285-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सब-माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बेलवा पैकान 396	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर क्र.4 नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 287-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बासां-30	0.700	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 289-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ	रेरुआ-558	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.	बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

पत्र क्र. 291-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	छदहना	4.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 293-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सबमाइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	फुलदेउर 341	8.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

रीवा, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 351-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि टेल माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	सेमरिया	लैनबधरी	5.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र.).	पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैनबधरी सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			5.25		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 353-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मदी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बरती	4.860	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र.).	महिदल वितरक नहर की मदी माइनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			4.860		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 355-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	छिबौरा	2.145	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र.).	महिदल वितरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			2.145		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 357-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बेला	1.850	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र.).	महिदल वितरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			1.850		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 359-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है। चूँकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाधेलान	किटहा	0.375	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र.).	महिदल विरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			<u>0.375</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 361-भू-अर्जन-18-19.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूँकि मढ़ी माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाधेलान.	मढ़ी	1.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना जिला सतना (म. प्र.).	महिदल विरक नहर की मढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.
योग . .			<u>1.20</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82)-2018-19.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	सिलगिटी प. ह. नं. 23	9.22	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
		कुल . .	<u>9.22</u>		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	घुघरी	टिकरिया प. ह. नं. 51	12.65	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
		कुल . .	<u>12.65</u>		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
मण्डला	घुघरी	पोड़ी प. ह. नं. 40		0.30	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
		कुल . .		0.30		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
मण्डला	बिछिया	बम्हनी रैयत प. ह. नं. 30		0.17	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत उप नहर निर्माण हेतु.
		कुल . .		0.17		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-16 (अ-82)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा 12 के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	खमरौटी रैयत प. ह. नं. 33	0.25	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कुल . .			0.25		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 1174-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरिया	नौरोजाबाद	मछेहा	1.383	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	उमरिया जिले के सुन्दर-दादर-मछेहा मार्ग में जोहिला पुल पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बांधवगढ़, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण रीवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 फरवरी 2019

क्र. 1738-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौद.
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरघाट, प.ह.नं.-40,
ब. नं.-52, रा. नि. मं.-चौद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.266
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
35/5	0.065
37/1	0.078
38/1	0.096
38/3	0.072
38/7	0.013
57	0.006
55, 58	0.062
54	0.048
53/2	0.032
53/1	0.032
52/9	0.005
129/7	0.056
129/10	0.051
129/9	0.067
129/11	0.094

(1)	(2)
134/1	0.060
134/8, 134/9	0.037
35/3	0.062
35/7	0.125
36/3	0.028
37/5	0.086
60/2	0.035
60/1	0.056

योग. . 01.266 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उपविस्तरक नहर से निकलने वाली 17 आर माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 1739-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौद
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-राजलवाडी, प.ह.नं.-20,
 ब. नं.-247, रा. नि. मं.-चौद.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.637
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
 क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29, 30/1, 30/4, 31/2	0.048
6/2	0.120
6/13	0.110
6/12	0.056
6/11	0.005
6/6	0.120
1/4	0.060
1/3	0.028
1/1, 2/1, 3/1	0.090
योग .	0.637 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर से निकलने वाली 9 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं

म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 1740-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौद
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पौनिया, प.ह.नं.-40,
 ब. नं.-181, रा. नि. मं.-चौद.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-02.006
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
 क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8/3	0.055
11, 12, 13/2	0.020
82/1	0.060
8/4	0.072
8/5	0.136

(1)	(2)	(2)	
6/1	0.012	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरघाट उप वितरक नहर से निकलने वाली 11 आर माईनर एवं 12 आर माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
9	0.023		
10	0.042		
28	0.072		
67/1	0.212		
67/5	0.019		
67/4	0.019		
67/8	0.020		
67/6	0.012		
64/2, 68, 69, 70, 71	0.146		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
73/3	0.060		
62	0.016		
63	0.096		
64/3	0.076		
64/5	0.012		
352/3	0.025		
351/1	0.040		
352/1	0.040		
98/2	0.076	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
98/1	0.076		
98/3, 98/4	0.012		
100, 101/1, 101/2, 102/1	0.004		
351/6	0.080		
349/2	0.020		
349/1	0.090		
205/8/2, 206/6/2	0.064		
205/7, 206/5	0.021		
205/8/1, 206/6/1	0.036		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
205/12, 206/6	0.064		
205/5	0.030		
205/6, 206/4	0.022		
205/1, 206/1	0.026		
203/2/1, 204/1/1	0.100		
		(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	

क्र. 1741-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

योग . 02.006 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौद

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—आमाझिरी, प.ह.नं.-12,
ब. नं.-06, रा. नि. मं.-चौद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.293
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
166/1	0.045
166/2	0.040
166/3, 167/1	0.096
167/6, 167/8	0.112
योग .	0.293 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 14 एल माइनर 1 आर सब माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 1742-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—खूटपिपरिया प.ह.नं.-23/4,
ब. नं.-51, रा. नि. मं.-चौद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.221
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26, 27	0.112
39/4, 44/4, 47/4	0.015
38/6	0.010
35, 36-37,40, 41	0.084
योग .	0.221 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर से निकलने वाली 8 आर माइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।	(1) 312/5 304/2,305/2, 306/3/2	(2) 0.096 0.020
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।	306/1, 308, 309/2, 311/1 304/1, 305/1, 306/3/1 303, 306/4, 309/3, 309/4, 310	0.024 0.120 0.024
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।	259/3/1, 260/4/1, 261/4/1, 301/11/1 261/2 262/2 263/2 263/3 263/1, 264/1, 264/2, 270/2 270/3, 271/3 273/1, 277/1, 278/1	0.064 0.011 0.048 0.021 0.031 0.122 0.072 0.124

क्र. 1743-भू-अर्जन-2019.—चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चाँद
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पांजरा, प.ह.नं.-16,
ब. नं.-162, रा. नि. मं.-चाँद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.955
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
315/3	0.008
315/2	0.008
314/2	0.066
312/3	0.064
312/1	0.016
312/2	0.016

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 13 आर माइनर की 3 आर सब माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

योग . 0.955 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2019

पत्र क्र. 261-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—बेला-394
(घ) क्षेत्रफल—1.196 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	अ—निजी पट्टे की भूमि
138	0.026
135	0.140
136	0.003
133	0.123
144	0.022
132	0.001
131	0.013
130	0.020
107	0.020
105	0.020
103	0.040
102	0.027
101	0.027

(1)	(2)
91	0.019
92	0.013
683	0.042
87	0.102
80	0.040
81	0.077
82	0.010
75	0.001
68	0.024
69	0.027
70	0.050
712	0.035
43	0.030
42	0.038
41	0.035
40	0.090
682	0.031
38	0.035
292	0.010

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.191
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.005
अ + ब का योग . .	1.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— "डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 13 एवं 12" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 263-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—बहेरा-350

(घ) क्षेत्रफल—1.387 हेक्टेयर.

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
120	0.088
87	0.140
88	0.223
89	0.008
94	0.047
95	0.067
116	0.009
107	0.081
104	0.041
103	0.076
140	0.050
136	0.006
137	0.082
139	0.166
159	0.218
161	0.078
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.380
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
133	0.007
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.007
अ + ब का योग . .	1.387

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— "बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर" में आने वाली निजी भूमि / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 265-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—पुरवा-315
(घ) क्षेत्रफल—0.860 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
31	0.113
30	0.136
47	0.194
81	0.153
79	0.112
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.708
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
80	0.001
101	0.007
102	0.097
76	0.032
106/21	0.015
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.152
अ + ब का योग . .	0.860

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— "बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 11 एवं सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 6 मार्च 2019

पत्र क्र. 341-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—खरहरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.145 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
188	0.150
190	0.125
193	0.069
192	0.069
200	0.021
199	0.089
203	0.140
207	0.081
206	0.081
226	0.127
227	0.098
228	0.095
योग . .	1.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 343-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—बेला

(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.296 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
38	0.160
39	0.069
40/1	0.101
40/2	0.071
41	0.010
45/1	0.101
45/2	0.069
44	0.029
57	0.137
52	0.014
55	0.251
64/4ख	0.267
141	0.045
264	0.065
134/1	0.101
134/2	0.081
136	0.138
199	0.138
200	0.253
201	0.010
215	0.117
218	0.060
217	0.085
225	0.129
226	0.016
232	0.154
231	0.065
234	0.008
230	0.045
287	0.150
288	0.057
289	0.053
312	0.101
313	0.016
315	0.130
योग . .	3.296

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब माइनर नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 345-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—बड़ागांव
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.492 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
161	0.138
162	0.142
167	0.190
168	0.170
686	0.162
711	0.058
710	0.020
709	0.092
713	0.324
708	0.162
707	0.012
687	0.022
योग . .	<u>1.492</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की बेला सब-माइनर नहर निर्माण के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 347-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—अबेर
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.924 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
253/1/1/2	0.020
253/2/2	0.030
2478/2	0.032
252/3क/2	0.043
252/4/2	0.012
252/1/2	0.078
252/2	0.023
252/6	0.023
252/8	0.023
252/4/1	0.011
252/3क/1	0.012
1489	0.097
3419/2	0.052
1960	0.012
1961	0.012
574/1	0.020
574/2	0.093
574/3	0.121
574/4	0.073
2841	0.008
2119	0.032
1625/1/ख	0.045
335/3	0.040
2873/1/2	0.012
योग . .	<u>0.924</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 349-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम—मेंहुती
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.642 हेक्टेयर.

खसरा नं.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
3107	0.120
3013	0.140
3000	0.010
2100	0.045
2099	0.045
3010	0.096
2995	0.080
2993	0.080
2137	0.040
2136	0.016
2135	0.020
2808	0.016
2763	0.024
3011	0.110
2102	0.050
2718	0.016
2762	0.062
2761	0.084
2749	0.410
3012	0.080

(1)	(2)
3118	0.028
2108/3/ख	0.016
2108/2/ख	0.034
3096/3	0.020
योग . .	<u>1.642</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 363-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—तिघरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.10 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
805	0.100
806	0.162
809	0.044
810	0.048
811	0.080
873	0.080
823	0.084

(1)	(2)	घोषित किया जाता है कि: निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
847	0.048		
846	0.096		
845	0.010	अनुसूची	
849	0.070	(1) भूमि का वर्णन—	
850	0.070	(क) जिला—रीवा	
851	0.140	(ख) तहसील—सेमरिया	
391	0.010	(ग) नगर/ग्राम—लैनबधरी	
392	0.012	(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.365 हेक्टेयर.	
395	0.086	खसरा क्र.	एरिया (हे. में)
382	0.044	(1)	(2)
300	0.070	121	0.123
378	0.052	122	0.016
377	0.056	116	0.069
362	0.120	114	0.065
264	0.096	112	0.055
364	0.096	123	0.010
299	0.036	111	0.086
260	0.076	109	0.136
261	0.088	108	0.007
282	0.132	106	0.008
239	0.084	97	0.068
240	0.010	98	0.010
		464	0.067
		95	0.065
		91	0.190
		43	0.024
		65	0.089
		66	0.080
		67	0.057
		68	0.069
		69	0.040
		573	0.073
		572	0.089
		570	0.065
		569	0.060
		386	0.003
	योग . .	<u>2.100</u>	
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सबमाइनर नहर निर्माण के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
	क्र. 365-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,		

(1)	(2)
566	0.053
563	0.085
549	0.020
557	0.043
484	0.178
485	0.020
478	0.059
471	0.121
472	0.012
470	0.049
467	0.034
463	0.067
योग . .	<u>2.365</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पुरवा मुख्य नहर के टेल माइनर की लैन बधरी सब माइनर नहर निर्माण के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 367-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—डगडीहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.082 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
816	0.050
817	0.020

(1)	(2)
439/1	0.012
योग . .	<u>0.082</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर और उसकी सब माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 369-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.822 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
254	0.016
398	0.020
399	0.120
238	0.008
122	0.030
239	0.012
116	0.050
117	0.072
115	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
110	0.165	177	0.020
108	0.032	197	0.024
111	0.032	198	0.020
57	0.004	172	0.012
52	0.164	योग . .	<u>0.300</u>
53	0.073		
योग . .	<u>0.822</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की कुबरी माइनर नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 371-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—पतौड़ा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.300 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
127	0.040
120	0.080
171	0.008
173	0.024
174	0.056
175	0.004
176	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पवैया सबमाइनर नहर में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 373-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—इटमा कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.272 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
29	0.140
30	0.100
31	0.020
84	0.012
योग . .	<u>0.272</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 375-प्रशा.-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) नगर/ग्राम—देवखर
(घ) क्षेत्रफल—2.647 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
100/2	0.310	-
138/3/3	0.670	-
141	0.108	-
156	0.042	-
176/1, 176/2	0.158	-
167	0.080	-
440/2	0.100	-
477/1/1	1.161	-
477/1/2		
477/1/3		
190/4	0.018	-
योग . .	2.647	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. 1481-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। आमनाला जलाशय के डूब क्षेत्र की अर्जन से छूटी हुई भूमि के अधिग्रहण से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.म-बंडोल
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम नकटिया, प.ह.नं.-06,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—1.15 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तिया.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
183/1	0.36
183/2	0.20
183/3	0.37
183/4	0.02
183/5	0.20
योग . .	1.15

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आमानाला जलाशय के डूब क्षेत्र में अर्जन से छूटी हुई भूमि.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीणसिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2019

क्र. एफ 11-03-2017-सात-शा.6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-20-2018-एम एण्ड जी, दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा जिला कटनी की तहसील विजयराघवगढ़ के ग्राम दुर्जनपुर का नाम, सूची के कालम (3) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	ग्राम का वर्तमान नाम (2)	ग्राम का नया नाम (3)
1	दुर्जनपुर	शिवधाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2019

क्र. एफ 11-03-2017-सात-शा.6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-03-2017-सात-शा.6, दिनांक 19 मार्च 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 19th March 2019

No. F 11-03-2017-VII-Sec-6.—In pursuance of no objection conveyed by the Government of India, Ministry of Home Affairs *Vide* Letter No. 11-20-2018-M & G dated 18th February 2019 the State Government, hereby change the name of village Durjanpur of Tehsil Vijayraghavgarh, District Katni as mentioned in column (3) with immediate effect, namely:—

S. No. (1)	Present Name of the Village (2)	New Name of the Village (2)
1	Durjanpur	Shivdham

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2019

फा. क्र. 1753, 1417-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (क्रमांक 32 सन् 2012) की धारा 32 (1) के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत पदाभिहित विशेष न्यायालयों में प्रकरणों का संचालन करने के लिये, विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2017 को अतिष्ठित करते हुए, ऐसे जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, के साथ जिलों में नियुक्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों को एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

यह अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2019 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. A-694-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 18 फरवरी 2019 का एक दिन ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 18 से 19 फरवरी 2019 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. A-696-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 21 से 23 फरवरी 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-698-दो-2-49-2013.—श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 5 से 9 फरवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-700-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 11 से 12 फरवरी 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 13 से 14 फरवरी 2019 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 11 से 13 फरवरी 2019 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1519-दो-2-41-2017.—श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 11 से 20 मार्च 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1521-दो-2-72-2018.—श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 9 से 13 फरवरी 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1127-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 25 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 फरवरी 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 एवं 04 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1129-दो-2-55-2017.—श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवम्बर 2018 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-1131-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 5 से 15 मार्च 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 03 एवं 04 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1726-दो-2-70-2017.—श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 25 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र चौरसिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र चौरसिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1731-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2019

क्र. D-1828-दो-2-18-2015.—श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर का दिनांक 19 से 28 फरवरी 2019 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 23 से 28 फरवरी 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D-1830-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1832-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 5 से 8 मार्च 2019

तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1834-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 30 जनवरी 2019 का, दिनांक 2 फरवरी 2019 का, दिनांक 9 फरवरी 2019 का, दिनांक 13 फरवरी 2019 का तथा दिनांक 20 फरवरी 2019 का कुल पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1836-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.